53वाँ वार्षिक प्रतिवेदन
53rd Annual Report
2019-20

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

Uranium Corporation of India Limited

(A Government of India Enterprise)

S1D

विषय सूचि

	विषय सूचि	पृष्ठ संख्या
1.	निदेशक मण्डल	3
2.	कार्यकारी अधिकारिगण	4
3.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की कलम से	5
4.	निदेशकों का प्रतिवेदन	7
5.	निदेशकों का प्रतिवेदन का अनुलग्नक –I (ऊर्जा सरंक्षण इत्यादि)	15
6.	निदेशकों का प्रतिवेदन का अनुलग्नक –I I (निगमित अभिशासन)	16
7.	लेखा विश्लेषण	
	(i) प्रमुख विशिष्टताएँ	20
	(ii) कम्पनी की वित्तीय स्थिति	21
	(iii) कम्पनी की आय एवं व्यय का विवरण	22
8.	पाई एवं बार चार्ट	
	(i) आय का वर्गीकरण	23
	(ii) व्यय का विवरण	23
	(iii) आय में वृद्धि	24
	(iv) निवल मालियत (नेटवर्थ) मे	24
	(v) सकल तथा शुद्ध परिसम्पति	25
	(vi) नियोजित पूँजी	25
9.	संशोधित स्वंतत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	27
10	स्वंतत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	37
10.	निगम के लेखों पर नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	47
11.	31 मार्च 2020 की स्थिति का तुलन–पत्र	48
12.	वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए लाभ एवं हानि का लेखा	49
13.	लेखे की 1 से 35	51
14.	नकदी प्रवाह विवरणी	85
15.	पच्चीस वर्ष का सार–संग्रह	86

निदेशक मंडल

श्री सी के असनानी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री देबाशीष घोष
निदेशक (वित्त)

श्री प्रणेश एस. आर.
निदेशक (तकनीकी)

डा. डी. के. तिवारी(भा.प्र.से) (1-5-2019 से)
मुख्य सचिव, झारखंड सरकार

श्री सुखदेव सिंह (भा.प्र.से) (27-5-2020 से)
मुख्य सचिव, झारखंड सरकार

डा. मार्विन एस. अलेक्जंडर (15-4-19 से 20-5-2020 तक)
संयुक्त सचिव (आई ऐण्ड एम), परमाणु ऊर्जा विभाग

श्री ए. आर. सुले (20-5-2020 से)
संयुक्त सचिव(आई एंड एन.), परमाणु ऊर्जा विभाग

श्री संजय कुमार (20-5-2020 से)
संयुक्त सचिव(प्रशासन एवं लेखा), परमाणु ऊर्जा विभाग

श्री एम. वी. वर्मा (31-12-2019 तक)
निदेशक, एएमडी

डॉ. डी के सिन्हा (8-1-20 से)
निदेशक, एएमडी

डॉ. दिनेश श्रीवास्तव
मुख्य कार्यकारी एन.एफ.सी

श्री आर बी चक्रवर्ती (31-8-2019 तक)
पूर्व खान सुरक्षा महानिदेशक

डॉ. के उमा महेश्वर राव (31-8-2019 तक)
निदेशक, एन.आई.टी.के, सूरतकाल

श्री बी सी गुप्ता
कंपनी सचिव

ऑडिटर्स

मेसर्स कदमावाला एण्ड कंपनी

दुकान न0 - 115, प्रथम तल्ला, ब्लक ए क्रिस्टल आकोड, राजीव नगर,
लोधी पाड़ा चौक के नजदीक, रायपुर
रायपुर - 492007

कार्यकारी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	:	श्री सी के असनानी
निदेशक (वित्त)	:	श्री देवाशीष घोष
निदेशक (तकनीकी)	:	श्री प्राणेश एस. आर
महाप्रबंधक (एस. एडं आर)	:	श्री राजेश कुमार
महाप्रबंधक (तकनीकी)	:	श्री पी के पारीह
महाप्रबंधक (इंजी, सेवाएं, एपी)	:	श्री एम एस राव
महाप्रबंधक (माइंस)	:	श्री मनोज कुमार
महाप्रबंधक (माइंस)	:	श्री चंचल मन्ना
महाप्रबंधक (मिल)	:	श्री उदय कुमार
महाप्रबंधक (आई./पी. एडं आर.एस./परियोजना)	:	श्री एस के शर्मा
महाप्रबंधक (यांत्रिकी)	:	श्री एम के सिंहाय
कंपनी सचिव	:	श्री बी सी गुप्ता

"अध्यक्ष का संदेश" ...

प्रिय सदस्यगण,

आपकी कंपनी की 53वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। निदेशकों की रिपोर्ट के साथ वर्ष 2019-20 के कंपनी के खातों का लेखा-परीक्षित विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत है और आपकी सहमति से मैं इन्हें पाठ रूप में स्वीकार करता हूं।

आपकी कंपनी देश में यूरेनियम संसाधनों के वाणिज्यिक पैमाने के उपयोग में एकमात्र इकाई है, स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए समर्पित है और लगातार अपने प्रदर्शन में उत्कृष्टता प्राप्त कर रहा है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने एमओयू लक्ष्य से अधिक U_3O8 उत्पादन प्राप्त करने के लिए लगातार तीसरे वर्ष के लिए उत्कृष्ट एमओयू रेटिंग प्राप्त करने के मानदंडों को पूरा करता है।

मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि झारखंड और आंध्र प्रदेश में सभी इकाइयों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा और प्रत्येक इकाई के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया। पिछले वर्ष की तुलना में आपकी कंपनी का मुनाफा भी 50% बढ़ा है।

आपकी कंपनी ने औद्योगिक संबंधों के मोर्चे पर एक बड़ी सफलता हासिल की है। आपकी कंपनी के श्रमिकों के संबंध में मजदूरी और भत्ते का संशोधन 04 फरवरी 2020 को अपने इतिहास में पहली बार 05 वर्षों के बजाय 10 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया। इससे अधिकारियों और कामगारों के बीच वेतन और वेतन में संशोधन की आवधिकता में समानता आई और हर वेतन संशोधन के बाद सामना किए गए वरिष्ठ कामगारों और कनिष्ठ अधिकारियों के बीच वेतन की आवर्ती विसंगतियों को समाप्त कर दिया। यह औद्योगिक शांति और सद्भाव के रखरखाव को भी सुनिश्चित करेगा, जो पहले हर वेतन संशोधन के समय भंग हो गए थे। उपरोक्त के अलावा, कई मानव संसाधन संबंधित सुधार जैसे वीआरएस में संशोधन, सब्बेटिकल लीव पॉलिसी का कार्यान्वयन, एनपीसी द्वारा जनशक्ति युक्तिकरण अध्ययन, भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए एडसीआईएल के साथ समझौते को सफलतापूर्वक लिया गया।

मुझे आपके साथ साझा करने में खुशी महसूस हो रही है कि आपकी कंपनी द्वारा आर एंड डी फ्रंट में एक और कीर्तिमान हासिल किए है। तुरामडीह मिल ने 'मैग्नीशियम डि-यूरनेट (एमडीयू)' के स्थान पर हीट ट्रीटेड यूरेनियम पेरोक्साइड (HTUP) के उत्पादन की सुविधा शुरू की है। इससे झारखंड में आपकी कंपनी की सभी मिलें अब HTUP के रूप में पीले केक का उत्पादन कर रही हैं जो एमडीयू के लिए लगभग 70% की तुलना में लगभग 90% ग्रेड है। HTUP में कम अशुद्धियाँ होती हैं और यह नाइट्रिक एसिड में आसानी से घुलनशील होता है, और बेहतर ग्रेड होने के कारण, यह डाउनस्ट्रीम प्रक्रियाओं की दक्षता में वृद्धि करेगा।

इस वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी आंध्र प्रदेश के तुम्मलापल्ली में और झारखंड में बंधुहुरंग खुली खदान इन दो प्रमुख इकाइयों में खनन गतिविधियों से निरंतर उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए दो प्रमुख दीर्घकालिक अनुबंध दिए गए। उपरोक्त के अलावा, अगले पांच वर्षों के लिए तुरामडीह, मोहुलडीह, नरवापहाड़ और भटीन माइंस में खदान विकास और निरंतर उत्पादन के लिए अनुबंध देने के लिए बोर्ड की मंजूरी प्राप्त की गई है। निरंतर उत्पादन के लिए भूमिगत खनन उपकरणों की उपलब्धता का अनुकूलन करने के लिए नए खनन उपकरणों की खरीद और मौजूदा उपकरणों की ओवरहालिंग भी की गई।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने विभिन्न ग्रीन-फील्ड और विस्तार परियोजनाओं से संबंधित गतिविधियों में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। डीएई की परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) ने झारखंड में मोसाबनी यूरेनियम रिकवरी प्लांट परियोजना को मंजूरी देने की सिफारिश की है। डीएई द्वारा एक संभावित पट्टेदार के रूप में नामांकित किए जाने पर, राजस्थान में रोहिल परियोजना के लिए स्व् के अनुदान के लिए खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार को आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आंध्र प्रदेश में तुम्मलापल्ली विस्तार परियोजना के लिए टीओआर की वैधता को एमओईएफसीसी द्वारा बढ़ाया गया है और मसौदा ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट को एपीपीसीबी को 3000 टीपीडी से 4500 टीपीडी तक परियोजना विस्तार के लिए सार्वजनिक सुनवाई करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। कनामपल्ले (आंध्र प्रदेश), कंचनकाई (कर्नाटक) और जाजवल (छत्तीसगढ़) परियोजनाओं के संबंध में भूवैज्ञानिक रिपोर्टें संबंधित राज्यों के निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग को सौंप दी गई हैं और संबंधित निदेशकों ने जिला अधिकारियों को कैडस्ट्राल मैप और एएमसीआर, 2016 के नियम (ए) के अनुसार भूमि अनुसूची की तैयारी के लिए सलाह दी है।

सज्जनों, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे देश में COVID-19 महामारी के प्रकोप और उसके बाद देशव्यापी तालाबंदी के बाद, आपकी कंपनी के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि वह विभिन्न स्थानों पर अपने व्यापक कार्यबल की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करे और उत्पादन स्तर बनाए रखे। मुझे आपको यह सूचित करने की अपार संतुष्टि है कि सरकार के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करके और सभी इकाइयों में कड़े उपायों को लागू करने से, महामारी के प्रभाव को शून्य कर हताहतों की संख्या को बहुत कम करके निरंतर उत्पादन स्तर को बनाए रखा है।

आपकी कंपनी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 14001: 2015 प्रमाणन और जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन सहित व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएस 18001: 2007 प्रमाणन को बनाए रखी है। आपकी कंपनी आईएसओ 14001: 2015 के अनुसार नरवापहाड़ टाउनशिप के पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को भी बनाए रखा है। आपकी कंपनी कॉर्पोरेट प्रशासन के मानदंडों के साथ-साथ सीएसआर पहल को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

मैं आपकी कंपनी के निरंतर विकास के लिए अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के अमूल्य और निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं उनके नेतृत्व, मार्गदर्शन और देश की परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए हमारे जनादेश में नई ऊंचाइयों के लालित्य को प्रोत्साहित करने और कीर्तिमान हासिल करने के लिए आभारी हूं।

मैं कंपनी के सभी कर्मचारियों को उनकी कड़ी मेहनत एवं समर्पण के लिए सराहना करता हूं। मैं परमाणु ऊर्जा विभाग और इसके विभिन्न घटकों, विशेषकर बीएआरसी, एएमडी, एनएफसी और एनपीसीआइएल के समर्थन, उनके उदार सहयोग, मार्गदर्शन के लिए भी आभारी हूं। विभिन्न शैक्षणिक एवं अनुसंधान संगठनों, विशेष रूप से आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी (आईएसएम) धनबाद, एनएमएल जमशेदपुर, एक्सएलआरआई जमशेदपुर, सीआईएमएफआर धनबाद, एनआईटीके सुरथक्कल और एनआईआरएम कोलार से प्राप्त तकनीकी सहयोग के लिए आभारी हूं। मैं कंपनी के निदेशक मडंल में शामिल अपने सहयोगियों को उनके मूल्यवान सहयोग के लिए भी हृदय से धन्यवाद देता हूं।

अब, मैं निर्देशक की रिपोर्ट, 31 मार्च 2020 तक तुलन-पत्र और 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता आपके विचार और अनुमोदन के लिए समर्पित है।

धन्यवाद,

सी. के. असनानी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 11वीं नवम्बर, 2020

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

निदेशक मडंल की ओर से 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं अंकेक्षित लेखा और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ, आपकी कंपनी की 53वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

1.0 उल्लेखनीय प्रदर्शन :

1.1 वित्तीय प्रदर्शन :

	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
	2019-20	**2018-19**
आय	241959.58	203479.28
मूल्यह्रास से पहले लाभ	85406.83	60407.78
घटाएं : (क) मूल्यह्रास	25723.45	21139.03
कर पूर्व लाभ	59683.38	39268.75
घटाएं : (क) कर प्रावधान	16378.62	(4979.78)
(ख) पहले वर्ष के लिए	79.71	8128.71
(ग) स्थगित कर प्रावधान	43.23	10828.58
कर अदायगी के बाद लाभ	48204.83	20268.23
अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध)	(3372.32)	(1995.64)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	44832.51	18272.59

वर्ष के दौरान कंपनी ने कॉरपोरेट आयकर, लाभांश, जीएसटी, केंद्रीय बिक्री कर, वैट, उत्पाद शुल्क, राजस्व, सीमा शुल्क आदि के रूप में सरकारी खजाने से रु. 18473.87 लाख (गत वर्ष में रु. 8576.34 लाख) का योगदान किया है।

1.2 संचालित इकाइयों का प्रदर्शन :

वर्ष 2019-20 के दौरान आपकी कंपनी की सभी संचालन इकाइयों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। वर्तमान में, सात खानें और दो प्रसंस्करण संयंत्र झारखंड में चल रही हैं और एक खान तथा एक प्रसंस्करण संयंत्र आंध्र प्रदेश में चल रहे हैं। इन सभी खानों का प्रदर्शन संतोषजनक है। प्रसंस्करण संयंत्रों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2019-20 में यूरेनियम उत्पादन के लिए समझौता ज्ञापन के निर्धारित लक्ष्य से 0.48% अधिक उत्पादन हुआ है।

1.3 चालू एवं नई परियोजनाएँ :

- **तुरामडीह पेरॉक्साइड संयंत्र परियोजना**
  'मैग्नीशियम डी-यूरानेट (एमडीयू)' के स्थान पर 'हीट ट्रीटेड यूरेनियम पेरोक्साइड (HTUP)' के उत्पादन की सुविधा पूरी हो गई है । इसके साथ सभी मिलों में यलों केक HTUP के फॉर्म जो कि MDU के 70% ग्रेड के मुकाबले 90% ग्रेड है। HTUP ग्रेड में बेहतर है, कम अशुद्धियाँ, और आसानी से नाइट्रिक एसिड में घुलनशील होने के कारण, डाउनस्ट्रीम प्रक्रिया की दक्षता में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है।
- **जादुगोडा में चतुर्थ चरण टेलिंग पॉन्ड परियोजना**
  जादुगोडा मिल की मिल टेलिंग के लिए 143 mRL की ऊंचाई तक इम्पाउंडमेंट का 4वीं स्टेज टेलिंग पॉन्ड का निर्माण पूरा हो गया है। साइट पर आनुषंगिक कार्य जारी हैं।
- **तुरामडीह में द्वितीय चरण टेलिंग डैम परियोजना**
  तुरामडीह मिल की मिल टेलिंग के लिए 198 mRL से 208 mRL तक इम्पाउंडमेंट का दूसरे स्टेज टेलिंग पॉन्ड का निर्माण उन्नत चरण में है और जल्द ही पूरा होने वाला है।

- **खान विकास परियोजना**

  निम्न खान विकास परियोजना एवं संम्बंधित ठेका के लिए बोर्ड से अनुमति प्राप्त के बाद शुरू किया है।

  - खान विकास कार्य जिससे की 1500 TPD सतत् उत्पादन अगले 5 वर्ष तक तुरामडीह खान में।
  - महुलडीह खान में बचे हुए कार्य सिकिंग, लाइनिंग एवं इक्यूपिंग 5 मीटर फीक्सड डाया शाफ्ट से 283 मीटर तक का किया जाना।
  - नरवापहाड़ खान का विकास कार्य अगले 5 वर्षों तक टिकाऊ उत्पादन के लिए किया जाना।
  - खान उत्पादन एवं साथ में विकास कार्य भाटिन खान में अगले 5 वर्षों के लिए।

नई परियोजनाएँ:

- **तुम्मलापल्ली विस्तारीकरण परियोजना वाइ एस आर जिला आंध्र प्रदेश**

  टीओआर की वैधता को एक वर्ष की अवधि के लिए, यानी 18.01.2021 तक बढ़ा दिया गया है। उसके बाद ड्राफ्ट ईआईए/ईएमपी को आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) 21.09.2020 को भेजा गया है। 3000 टीपीडी से 4500 टीपीडी के विस्तार की जनसुनवाई करने के लिए जिला कलेक्टर को मामले से अवगत कराया गया है।

- **यादगीर जिला कर्नाटक में गोंगी परियोजना**

  लीज एरीया का चिन्हीकरण का कार्य कंसल्टेंट के द्वारा तैयार किया गया है और एएमडी की समीक्षा में है। ओर मोडलिंग का कार्य पूर्ण हो गया है और FR की तैयारी प्रगति पर है।

- **रोहिल खनन परियोजना सीकर जिला राजस्थान**

  DAE ने UCIL को रोहिल परियोजना के खनन लीज के लिए नामित किया है। यूसिल ने खनन लीज का आवेदन खान एवं भू-गर्व विभाग राजस्थान को भेजा है।

- **मुसाबनी यूरेनियम प्राप्ति संयंत्र जिला पूर्वी सिंहभूम झारखण्ड**

  एमओईएफ द्वारा पर्यावरण मंजूरी दी गई है। परियोजना को डीएई का PAC द्वारा अनुशंसा की गई है। पानी बिजली एवं भूमि का अधिग्रहण के लिए संम्बंधित अधिकारी को भेजा गया है और प्रगति में है। चूंकि इस परियोजना में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) के कॉपर टेलिंग्स के इनपूट को 10 वर्ष के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रयास जारी है।

- **कनामपल्ली परियोजना वाइ एस आर जिला आध्र प्रदेश**

  लीज एरीया का चिन्हींकरण एएमडी तथा खान एवं भ-गर्भ विभाग द्वारा तैयार कर लिया गया है। डीएमजी ने राज्य सरकार को सर्वे के लिए भेजा है। ओर मॉडलिंग का कार्य पूर्ण हो गया है और FR की तैयारी प्रगति पर है

- **कचनकाई परियोजना यादगीर जिला कर्नाटक**

  लीज एरीया का चिन्हींकरण एएमडी तथा खान एवं भ-गर्भ विभाग द्वारा तैयार कर लिया गया है। डीएमजी ने राज्य सरकार को सर्वे के लिए भेजा है। ओर मॉडलिंग का कार्य पूर्ण हो गया है और FR की तैयारी प्रगति पर है

- **जज्वाल परियोजना सूरजपुर जिला छतीसगढ़**

  लीज एरीया का चिन्हींकरण एएमडी तथा खान एवं भ-गर्भ विभाग द्वारा तैयार कर लिया गया है। डीएमजी ने राज्य सरकार को सर्वे के लिए भेजा है। ओर मॉडलिंग का कार्य पूर्ण हो गया है और FR की तैयारी प्रगति पर है।

- **चित्रायल परियोजना जिला नालगोंडा तेलांगना**

  टेलींग पॉड के साइट का लोकेसन अंतीम चरण में है। जिससे की लीज एरीया का चिन्हींकरण का कार्य शुरू किया जा सके।

1.4 समझौता–ज्ञापन प्रदर्शन

भारत सरकार के परमाण ऊर्जा विभाग के साथ हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन के संदर्भ में आपकी कंपनी का प्रदर्शन, वर्ष 2019-20 के लिए "उत्कृष्ट" रूप में मूल्यांकित किये जाने की उम्मीद है।

2.0 लाभांश एवं लाभांश पर कर

आपके निदेशकों ने रु. 2,06,961.78 लाख की प्रदतत् पूंजी पर रु. 16042.00 लाख के लाभांश (पिछले वर्ष रु. 6426 लाख) की सहर्ष अनशुंसा की है और वर्ष 2019-20 के लिए लाभांश पर कर शून्य (पिछले वर्ष रु. 1308.14 लाख) होगा चूंकि लाभांश वितरण कर संबंधित वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था और यह अब कंपनी द्वारा देय नहीं है।

3.0 शेयर पूंजी

वर्ष के दौरान, दिनांक 31.03.2020 को कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु. 3,500 करोड़ और अभिदत्त शेयर पूंजी रु. 2069.62 करोड़ थी।

4.0 ऊर्जा सरक्षंण ध्प्रौद्योगिकी समावेशन, अनुकूलन, नवाचार और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं उपयोग

बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधान के अनुसार निदेशकों की रिपोर्ट में दी जानी वाली आवश्यक सचूना, ऊर्जा-संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय से संबंधित नियम 8 इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-I में दिए गए हैं।

5.0 औद्योगिक संबंध :

रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि के दौरान औद्योगिक संबंधों की स्थिति संतोषजनक रही और औद्योगिक शांति बनी रही है। यूसीआईएल के प्रबंधन और श्रमिक प्रतिनिधि के रूप में जादूगोड़ा लेबर यूनियन, यूरेनियम कामगार यूनियन, यूरेनियम मजदूर संघ और सिंहभूम यूरेनियम मजदूर यूनियन के महासचिवों के बीच कल्याण, पदोन्नति, प्रशासन, आवास आवंटन आदि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएँ सौहार्दपूर्ण माहौल में नियमितरूप से होती रहीं तथा सभी शिकायतों को आपसी चर्चा के माध्यम से सुलझाया गया। बेहतर औद्योगिक संबंधों के परिणामस्वरूप, कंपनी का समग्र प्रदर्शन संतोषजनक रहा और वर्ष के दौरान औद्योगिक शांति बनी रही।

04/02/2020 को सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), चाईबासा की उपस्थिति में यूसीआईएल के प्रबंधन और सभी चार यूनियनों अर्थात जादूगोड़ा लेबर यूनियन, यूरेनियम कामगार यूनियन, यूरेनियम मजदूर संघ और सिंहभूम यूरेनियम मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच 01/04/2018 से 31/03/2028 तक 10 (दस) वर्षों की अवधि के लिए श्रमिकों के वेतन संशोधन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

6.0 श्रमशक्ति :

31 मार्च, 2020 को आपकी कंपनी की कुल श्रमशक्ति 4672 थी। आपकी कंपनी में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का कुल प्रतिनिधित्व कुल श्रमशक्ति का लगभग 52.30% है। दिनांक 31.03.2020 को कंपनी में कुल 09 दिव्यांग कर्मचारी हैं। सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के कोटा को भरने के लिए नियमित रूप से प्रयास किए गए हैं।

7.0 प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी :

आपकी कंपनी ने सभी स्तरों पर बहुत ही स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण संबंध को बनाये रखा है। जादूगोड़ा मिल, जादूगोड़ा खान, नरवापहाड़ खान और तुरामडीह खान में शॉप काउंसिल्स की बैठकें नियमित रूप से हुई। कर्मचारियों को कंपनी की भविष्य निधि न्यास, ग्रेच्युटी निधि न्यास, कर्मचारी पारिवारिक सहायता योजना, कल्याण निधि योजनाओ, कर्मचारी सहकारी क्रेडिट सोसायटी आदि न्यासी बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया गया है। कर्मचारियों को सुरक्षा समिति, कैंटीन प्रबंध समिति, खेल परिषद आदि मंचों का भी सदस्य बनाया गया है।

इसके अलावा, यह उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक है कि केंद्र सरकार भी समय-समय पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत यूरेनियम उद्योग को 'सार्वजनिक उपयोगिता सेवा' घोषित कर रही है।

8.0 मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण :

आपकी कंपनी मानव संसाधन के महत्व को समझती है और इसके लिए विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूलों के माध्यम से अपने मानव संसाधन को विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और कर्मचारियों को आकर्षित करने, बनाए रखने एवं प्रेरित करने तथा उनके विकास के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है, ताकि वे कंपनी को अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें।

वर्ष के दौरान देश में प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित सेमिनारों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों एवं कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए आपकी कंपनी के 60 अधिकारियों को भेजा गया था। कर्मचारियों के ज्ञान को बढ़ाने और विभिन्न विषयों में उनके कौशल को विकसित करने के लिए भी प्रशिक्षण एवं विकास की आवश्यकता को नियमित रूप से चिह्नित किया जाता है और कंपनी के मानव संसाधन की समग्र दक्षता में सधुार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों/

कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान, 166 अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों ने नरवापहाड़ के प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र में आंतरिक (इन-हाउस) प्रशिक्षण प्राप्त किया।

9.0 सुरक्षा :

आपकी कंपनी खदानों और मिलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए खनन उद्योग में नए उपकरणों और प्रक्रियाओं को लागू करने में अग्रणी है। कंपनी शून्य दुर्घटनाओं के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। अनुबंध श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सभी अनुबंध कर्मचारियों को कंपनी द्वारा प्रशिक्षण और पूर्व-रोजगार स्वास्थ्य जांच प्रदान की जाती है। कंपनी ने उद्योग से जाने माने व्यक्तियों को सुरक्षा मामलों पर सलाह देने के लिए बाहरी सुरक्षा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया है। खानों के लिए रिपोर्टिंग और सुरक्षा प्रबंधन योजना का डिजिटलीकरण किया गया है, जिससे सुरक्षा मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी। कंपनी ने हाल ही में सभी कर्मचारियों के लिए एक स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम पूरा किया है। कंपनी ने अधिकारियों के लिए आईआईटी खड़गपुर, एक्सएलआरआई जमशेदपुर इत्यादि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से अपनी तकनीकी और प्रबंधकीय दक्षता बनाने के लिए विभिन्न क्षमता विकास कार्यक्रम भी शुरू किए हैं।

सुरक्षा के प्रमुख निर्णय संबंधित महाप्रबंधकों द्वारा कॉर्पोरेट स्तर पर मिल्स और माइन्स संचालन की सुरक्षा के लिए लिए जाते हैं। प्रत्येक स्तर पर सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से परिभाषित है। आंतरिक सुरक्षा संगठन और यूनिट के संबंधित सुरक्षा अधिकारियों के परामर्श से यूनिट प्रमुखों द्वारा निर्णयों को विभिन्न स्तरों पर निष्पादित किया जाता है। स्वास्थ्य भौतिकी इकाई (एचपीयू) कंपनी परिसर और बाहर दोनों जगह रेडियोलॉजिकल सुरक्षा मानकों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कॉर्पोरेट स्तर की सुरक्षा समिति सभी नियामक आवश्यकताओं की समीक्षा करती है। कार्यकर्ता सुरक्षा मामलों में विभिन्न समितियों और बैठकों जैसे पिट सुरक्षा समिति की बैठकें, त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक आदि के माध्यम से भाग लेते हैं। सुरक्षा मानक में सुधार के लिए सुझावों पर गहराई से चर्चा किया जाता है। सर्वोच्च सुरक्षा समिति संचालन में सुझावों, कार्यान्वयन और सुधार की समीक्षा करती है।

10.0 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) :

अतीत की तरह, आपकी कंपनी सामाजिक जिम्मेदीरी, नैतिक एवं पर्यावरण-अनुकूल तरीके से अपने व्यवसाय का संचालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने परिचालन क्षेत्रों के आसपास के सामुदायिक जीवन की गुणवत्ता में सधुार लाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।

कंपनी की सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन, हितधारकों के हितों की रक्षा करने, स्थानीय समुदायों के साथ सक्रिय जुड़ाव और समावेशी विकास की दिशा में प्रयास करने जैसे प्रमख- मूल्यों के अनुसार किया जाता है।

सीएसआर गतिविधियां कंपनी के संचालन-क्षेत्र की समग्र सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ-साथ निम्नलिखित व्यापक विषयों पर भी केंद्रित हैं।

शिक्षा- सरकारी निर्देशों के अनुसार, आपकी कंपनी शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत अपने परमाण ऊर्जा केंद्रीय विद्यालयों में आसपास के गांवों के वंचित विद्यार्थियों का नामांकन करके उनको शिक्षा प्रदान कर रही है। आरटीई नियमों के तहत इन विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में छात्रवृत्ति के साथ पोशाक, जूते, पाठ्य-सामग्री, पाठ्य पुस्तकें, बैग आदि प्रदान की जाती है। आपकी कंपनी, आसपास के स्कूलों में पढ़ने वाले स्थानीय समुदाय के बच्चों को नोटबुक और स्कूल-बैग भी प्रदान कर रही है।

पेयजल के लिए प्रावधान - आपकी कंपनी ने खासतौर पर गर्मी के मौसम में पानी के संकट से निपटने के लिए बागजता और तुरामडीह माइंस के आसपास के गांवों में जलमीनार का निर्माण किया है। झारखंड में पानी के टैंकर के माध्यम से पीने के पानी की आपूर्ति के लिए तथा एएमसी द्वारा मौजूदा नलकूपों की मरम्मत और रखरखाव के लिए अनुबंध प्रदान किया गया था। जबकि, आंध्र प्रदेश राज्य के तुम्मलापल्ली में आरओ प्लांट के संचालन और रखरखाव के लिए नंदी फाउंडेशन को लगाया गया था।

कौशल विकास - कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही कंप्यूटर और सॉफ्ट स्किल कोचिंग से आस पास के गांवों के वंचित और आकांक्षी युवाओं को लाभ मिल रहा है। झारखंड के तुरमडीह में स्वयं के औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी)

के माध्यम से विद्युत, फिटर और वेल्डिंग ट्रेड में तकनीकी कौशल भी प्रदान किया जा रहा है।

स्वच्छता- पिछले वर्ष की तरह कंपनी ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 16 से 28 फरवरी, 2020 तक स्वच्छ्ता पखवाड़ा सहित विभिन्न स्वच्छता अभियान चलाए और मुसाबनी में मुसाबनी यूरेनियम रिकवरी प्रोजेक्ट के आसपास के गांवों में बायोडिग्रेडेबल शौचालयों की बीस (20) इकाइयों का निर्माण किया गया। जादुगोड़ा में निर्मित सार्वजनिक शौचालय के रखरखाव और मरम्मत के लिए एएमसी को एक बार फिर अनुबंध प्रदान किया गया।

विकास परियोजनाओं - आपकी कंपनी द्वारा विविध आधारभूत संरचना विकास परियोजनाओं को शुरू किया गया है, जैसे मोहुलडीह गाँव में कब्रिस्तान का विकास, मेचुआ और बड़ा तालसा गाँव में लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएँ वर्ष के दौरान क्रमशः जादुगोड़ा और तरामडीह खानों के परिवेश में किया गया। स्थानीय समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के तहत, जाहेर स्थान की चारदीवारी का निर्माण कार्य पूरा किया गया।

स्वास्थ्य - आपकी कंपनी द्वारा आसपास के गांवों में साप्ताहिक चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया, जहां रोगियों की जांच की गई और उन्हें मुफ्त दवाइयां प्रदान की गईं।

खेलकूद एवं संस्कृति - हर वर्ष की तरह, आपकी कंपनी ने जमशेदपुर स्पोर्ट्स एसोसिएशन (जेएसए) द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आसपास के गांवों के युवाओं को मुफ्त फुटबॉल कोचिंग प्रदान की है। आपकी कंपनी द्वारा स्थानीय स्तर पर अन्य फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है।

क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के अपने प्रयास के तहत, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए विभिन्न समूहों (समितियों) को प्रायोजन/वित्तीय सहायता प्रदान की गयी।

आकांक्षात्मक जिला कार्यक्रम के तहत सीएसआर पहल के लिए झारखंड सरकार को रु.50 लाख और रु.30 लाख का योगदान कोविड-19 महामारी के कारण राहत कार्यों के लिए पीएम केयर फंड में दिया गया।

सीएसआर का कुल व्यय रु. 623.66 लाख है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार वैधानिक रूप से सीएसआर मद व्यय के लिए रु. 485.35 लाख की राशि की आवश्यकता है। (वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंकेक्षित लेखा की टिप्पणी 27-ग)। यह सीएसआर पर आपकी कंपनी के जोर को दर्शाता है।

दिनांक 31.08.2019 को गठित सीएसआर समिति की संरचना निम्नानसार है :

i.डॉ. के. उमामहेश्वर राव, निदेशक, एनआईटीके, सूरतकल - अध्यक्ष

ii.डॉ. दिनेश श्रीवास्तव, मुख्य कार्यकारी, एनएफसी - सदस्य

iii.श्री डी. घोष- निदेशक (वित्त), यूसीआईएल - सदस्य

iv. निदेशक (तकनीकी), यूसीआईएल

सीएसआर समिति की बैठकें लगातार आयोजित की गईं। यूसीआईएल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।

11.0 कॉर्पोरेट प्रशासन :

कॉर्पोरेट प्रशासन पर एक रिपोर्ट अनुबंध-II में दी गई है।

12.0 सार्वजनिक जमा :

आपकी कंपनी जनता से 'जमा' स्वीकार नहीं करती है।

13.0 पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण:

आपकी कंपनी सभी कार्यों में तकनीकी उत्कृष्टता के साथ सतत विकास पर जोर देती है। जादुगोड़ा, नरवापहाड़, तुरामडीह और तुम्मलापल्ली में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) की स्वास्थ्य भौतिकी इकाई समय-समय पर सभी ऑपरेशनों और इसके आसपास के क्षेत्रों की रेडियोलॉजिकल और पर्यावरणीय निगरानी करती है। आपकी कंपनी ने एक पर्यावरण इंजीनियरिंग सेल (EEC) की स्थापना की है। सभी परिचालन खानों और अयस्क प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता और पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाती है। संसाधन संरक्षण के लिए खानों के पानी का उपयोग पूरी तरह से औद्योगिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। अपशिष्ट जल और अपशिष्ट का उपचार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स में किया जाता है। आपकी कंपनी ने बायोमेडिकल कचरे के निपटान के

लिए जादुगोड़ा में एक सामान्य इंसीनेरेटर चालू किया है। आपकी कंपनी ने कचरे के निपटान की व्यवस्था की है, जो अयस्क प्रसंस्करण संयंत्रों से सुरक्षित रोकथाम के लिए अपशिष्टों को एकत्रित करती है। कचरे के निपटान की नई तकनीक विशेषज्ञ द्वारा विकसित की जा रही है। आपकी कंपनी ने अपनी खानों और टेलिंग तालाब के आसपास के क्षेत्रों में अपशिष्ट डंपों का प्रगतिशील पुनः संचालन किया है। क्षेत्र की पारिस्थितिकी और सौंदर्यशास्त्र को बनाए रखने के लिए, कंपनी समय-समय पर प्रगतिशील वृक्षारोपण कार्यक्रम करती है। आपकी कंपनी ISO-14001: 2015 प्रमाणित संगठन है। जादुगोड़ा, तुरमाडीह और नरवापहाड़ में भूजल संसाधनों के संवर्धन के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली का निर्माण किया गया है। उपरोक्त के अलावा, आपकी कंपनी ISO-14001: 2015 के अनुसार नरवापहाड़ टाउनशिप के पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को बनाए रखती है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यशाला के माध्यम से जनता और छात्रों की भागीदारी होती है।

14.0 आईएसओ प्रमाणन

आपकी कंपनी गुणवत्ता, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा और पर्यावरण के लिए नीतियों का पालन करने में एक जिम्मेदार कंपनी है। यह संचालन की अपनी सभी इकाइयों में आईएसओ 14001: 2015 और आईएसओ 9001: 2015 की अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के मानक के मानदंड को पूरा करता है। कंपनी के पास गुणवत्ता आश्वासन के लिए आईएसओ 9001 : 2015, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 14001 : 2015 और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए IS18001:2007प्रमाणपत्र हैं।

15.0 लघु एवं मझौले उद्योग (एसएमई) :

आपकी कंपनी समाज के समावेशी विकास की दिशा में अपने परिचालन में लघु एवं मझौले उद्योगों की भूमिका को समझती है। वर्ष 2019-20 के दौरान एसएमई के लिए लगभग रु.104.37 करोड़ (विगत वर्ष रु.54.79 करोड़) के आदेश दिए गए।

16.0 विदेश यात्रा

पिछले वर्ष के रु. 8.60 लाख की तलुना में इस वर्ष 2019-20 के दौरान विदेश यात्रा पर रु.15.89 लाख का खर्च किया गया।

17.0 विज्ञापन एवं प्रचार

पिछले वर्ष रु.337.55 लाख की तलुना में इस वर्ष के दौरान, विज्ञापन एवं प्रचार पर रु.126.88 लाख की राशि खर्च की गयी। यह व्यय ज्यादातर नई नियुक्तियों, निविदा सूचनाओं आदि से संबंधित विज्ञापनों के लिए था। आपकी कंपनी विज्ञापन एवं प्रचार व्यय के प्रबंधन के लिए अपनी वेबसाइट के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रही है।

18.0 हिंदी का प्रगामी उपयोग

भारत सरकार की नीति के अनुसार राजभाषा अधिनियम एवं नियमों को लागू करने हेतु वर्ष 2019-20 के दौरान आधिकारिक कार्यों में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए गये। उपर्युक्त अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर यूसीआईएल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक होती है। यूसीआईएल में 19 सितंबर से 25 सितंबर, 2019 की अवधि के दौरान 'हिंदी सप्ताह' का आयोजन किया गया था। वर्ष के दौरान, कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया और इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया और प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को गणतंत्र दिवस, 2020 के अवसर पर पुरस्कृत किया गया। कंपनी की सभी इकाइयों में 'हिंदी कार्यशाला' का भी आयोजन किया गया। वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी की ओर से आयोजित उत्कृष्ट हिंदी कार्यशालाओं को देखते हुए, आपकी कंपनी को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास/TOLIC), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। यूसीआईएल द्वारा यह पुरस्कार 7वीं बार लगातार प्राप्त किया गया है।

19.0 लेखा परीक्षकों की नियुक्ति वित्तीय

वर्ष 2020-21 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मैसर्स कदमावाला एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, (SP0276), शॉप नं.115, पहली मजिंल, ब्लॉक ए, क्रिस्टल आर्केड, राजीव नगर, लोधी पाड़ा चौक के पास, रायपुर-492007 को कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।

20.0 लागत लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत मैसर्स आरवीएमके एण्ड कंपनी, लागत लेखाकार, जमशेदपुर, झारखंड को लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। कंपनी लागत लेखा रिकॉर्ड (खनन एवं धातुकर्म) नियम 2001 के तहत यथा निर्धारित नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा लागत लेखा रिकॉर्ड का रख-रखाव किया जा रहा है साथ ही वर्ष 2018-19 के लिए लागत अंकेक्षण रिपोर्ट को भी भरा गया है ।

21.0 सतर्कता

संगठन के निर्धारित नियमों एवं विनियमों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करके कंपनी द्वारा निवारक सतर्कता के उच्च मानकों को बरकरार रखा गया है। सीवीसी के दिशानिर्देश जब भी प्राप्त होते हैं उन्हें सख्ती से लागू किया जाता है। सभी प्रकार की निविदा आमंत्रण सूचनाएं ख्एनआईटी, कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड की जा रही हैं और साथ ही इन्हें केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल ख्सीपीपीपी, पर भी उपलब्ध कराया जाता है। सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार रु.2.00 लाख से अधिक अनुमानित लागत की सभी खरीद एवं सेवाओं के लिए ई-प्रोक्योरमेंट को अनिवार्य कर दिया गया है।

वर्ष के दौरान, आवधिक रिपोर्ट/रिटर्न केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत किए गए हैं। पारदर्शिता में सधार के लिए "इंटीग्रिटी पैक्ट" के साथ-साथ धोखाधड़ी निवारण नीति/सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति को भी कंपनी की वेबसाइट पर डाला गया है और इसे लागू किया गया है। ईसीआईएल के मख्यु सतर्कता अधिकारी श्री एम. श्रीनिवास को यूसीआईएल के मख्यु सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते हैं।

28 अक्टूबर, 2019 से 2 नवंबर, 2019 तक यूसीआईएल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया।

22.0 निदेशकों की नियुक्ति :

निदेशकों का नाम	(नियुक्त की तिथि)
श्री सुखदेव सिंह, आईएएस, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार	27.05.2020
श्री ए.आर. सुले, संयुक्त सचिव (आई एडं एम), डीएई	20.05.2020
श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव (प्रशासन और लेखा), डीएई	20.05.2020
डॉ. दीपक कुमार सिन्हा, निदेशक, एएमडी	08.01.2020

श्री देबाशीष घोष को यूसीआईएल में निदेशक (वित्त) के रूप में 05 साल की अवधि के लिए 07.02.2015 से नियुक्त किया गया था और तदनुसार 05 साल का कार्यकाल 06.02.2020 को पूरा हुआ।

डीएई के पत्र संख्या PSU-1005/2/2019-PSU & DAE/759 ने श्री देबाशीष घोष, निदेशक (वित्त)-यूसीआईएल के कार्यकाल के विस्तार 07.02.2020 से 31.01.2022 तक के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति के अनुमोदन से अवगत कराया (अर्थात श्री घोष के सेवा-निवृत्ति की तिथि) या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, समान नियम और शर्तों पर प्रभावी रहेगा।

निदेशकों की विमुक्ति :

डॉ. डी.के. तिवारी, आईएएस, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार	01.04.2020
डॉ. मेरविन एस अलेक्जेंडर, संयुक्त सचिव (आई एडं एम), डीएई	20.05.2020
श्री एम. बी. वर्मा, निदेशक, एएमडी	31.12.2019

निदेशकगण डॉ. डी.के. तिवारी, आईएएस, मुख्य सचिव, झारखंड सरकारय डॉ. मेरविन एस अलेक्जेंडर, संयुक्त सचिव (आई एडं एम), डीएईय और श्री एम. बी. वर्मा, निदेशक, एएमडी द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए उनकी सराहना करते हैं।

23.0 दृष्टिकोण (आउटलुक)

आपकी कंपनी ने देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए एनएफसी को परमाणु ईंधन ग्रेड यूरेनियम कंसेंट्रेट की आपूर्ति के लिए अपनी प्रतिबद्ध ता जारी रखी है। मांग को पूरा करने के लिए परिचालन की सभी इकाइयों से उत्पादन किया गया है। एक ही अभियान में हैंग वॉल और फुट वॉल लोड्स दोनों को निकालकर और इन-हाउस आरएंडडी के साथ प्रक्रिया के मापदंडों को अनुकूलित करके लक्षित उत्पादन के करीब पहुंचकर तुम्मलापल्ली इकाई में परिचालन के स्थिरीकरण आने वाले वर्षों में आसपास ब्लॉक खोलने का मार्ग प्रशस्त किया है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की डीएई की महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने के लिए नई खानों और प्रक्रिया संयंत्रों की स्थापना के लिए कई और क्षेत्रों की पहचान की गई है।

आपकी कंपनी स्थानीय समुदाय की भलाई के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए पोर्टेबल पानी, सोलर लाइट, ड्रेनेज सिस्टम, शौचालय और सभी इकाइयों और आगामी स्थानों में महिलाओं और युवाओं के लिए कौशल विकास जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों को सुसज्जित करनेय किताबें, अध्ययन सामग्री और मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। झारखंड में एईसीएस स्कूलों में स्थानीय समुदाय के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है।

आपकी कंपनी नए लक्ष्य क्षेत्र में ऐसी ही सुविधाएं प्रदान करने के लिए तत्पर है, जहां खान और प्रक्रिया संयंत्र स्थापित करने की योजना है। तुम्मलापल्ली, गोगी, रोहिल, झारखंड आदि के स्थानीय समुदाय के लिए इस तरह की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं।

24.0 निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सी) के प्रावधानों के अनुसार, आपके निदेशकों का कहना है कि :-

i) वार्षिक लेखा को तैयार करने में, माल को भेजने के संबंध मे उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है।

ii) आपके निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू करके निर्णय एवं आकलन किए हैं जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हों, ताकि वित्तीय वर्ष के अतं में कंपनी के कामकाज और इसी अवधि के दौरान कंपनी के लाभ-हानि से संबंधित सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सके।

iii) आपके निदेशकों ने आपकी कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा आकंड़ों के रखरखाव का उचित एवं पर्याप्त रूप से ध्यान रखा है।

iv) आपके निदेशकों ने 'सुचारू संचालित संस्थान' के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किए हैं।

v) आपके निदेशकों ने सभी प्रभावी कानूनों के प्रावधानों का अनपुालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और यह प्रणाली पर्याप्त थी एवं प्रभावी ढंग से काम कर रही थी।

25 आभार प्रदर्शन

आपकी कंपनी परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, नाभिकीय ईधनं परिसर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, एनपीसीआईएल, झारखंड सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, तेलंगाना सरकार, राजस्थान सरकार, मेघालय सरकार, कर्नाटक सरकार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग और अन्य मंत्रालयों तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वैधानिक लेखा परीक्षकों और मख्यु निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-IV, नई दिल्ली, बैंकर्स और अन्य सभी एजेंसियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी कंपनी से जडुती हैं, से प्राप्त निरंतर मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी है। आपकी कंपनी केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनसुंधान, धनबाद राष्ट्रीय रॉक मैकेनिक्स एडं ग्राउंड कंट्रोल संस्थान, कोलारय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुरय एनआईटीके सूरतकल और इंडियन स्कूल ऑफ माईंस, धनबाद से प्राप्त प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता की दिशा में वैज्ञानिक एवं अभियांत्रण सहयोग के लिए भी इन संस्थानों के प्रति आभारी है और इनकी सराहना करती है। आपकी कंपनी सभी बोर्ड सदस्यों द्वारा किए गए समर्थन, मार्गदर्शन एवं योगदान के लिए भी आभारी है। आपकी कंपनी कर्मचारियों की ईमानदारी, समर्पण एवं कठोर परिश्रम, कंपनी के श्रमिक संगठनों और कंपनी के अधिकारी संघ और यूसीआईएल के परिधीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय द्वारा प्रदान किये गए समर्थन, स्थानीय मीडिया, गैर सरकारी संगठनों और समुदाय के विशिष्ट नागरिकों से प्राप्त सहयोग के लिए भी उनके प्रति आभार करती है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(सी. के. असनानी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मुंबई

दिनांक : 11 नवंबर 2020

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–I

बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधान के अनुसार निदेशकों की रिपोर्ट में दी जानी वाली आवश्यक सचूना, ऊर्जा-संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा के आय एवं व्यय से संबंधित नियम-8।

(क) ऊर्जा–संरक्षण :

क) ऊर्जा-संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपायों को लागू/कार्यान्वित किया गया
   i) सोलर पैनल और सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना
   ii) पारंपरिक लाइट की जगह एलईडी लाइट की स्थापना
   iii) वितरण प्रणाली में कैपिसिटर पैनल की स्थापना

ख) ऊर्जा की खपत में कमी के लिए अतिरिक्त निवेश के साथ निम्नलिखित प्रस्तावों को लागूकिया जा रहा है।
   i) सोलर प्लांट की स्थापना
   ii) पारंपरिक लाइट की जगह एलईडी लाइट की स्थापना
   iii) कम ऊर्जा खपत करने वाले मोटरों का उपयोग।

ग) (क) एवं (ख) उपायों को अपनाए जाने का प्रभाव
उपर्युक्त उपाय के कारण कुल 390314KWH ऊर्जा की बचत हुई।

विदेशी मुद्रा अर्जन एवं उपयोग :

आपकी कंपनी किसी भी निर्यात व्यवसाय से नहीं जुडी है। हालांकि, सी.आई.एफ. आधार पर वर्ष के दौरान पुर्जों, पूंजीगत वस्तुओं आदि की खरीद के लिए रु. 151.48 लाख (पिछले वर्ष रु.38.90 लाख) विदेशी मुद्रा का उपयोग किया गया था।

प्रपत्र – बी

1. खोज और विकास (आर एंड डी)

विशेष क्षेत्र जहां आर एंड डी गतिविधियां की गई

इन-हाउस आर एंड डी को अपनाकर, एल्कली लीचिंग सर्किट के स्थिरीकरण के दौरान तुम्मलापल्ली प्रक्रिया संयंत्र में एक बड़ा विकास किया गया है। यूरेनियम निष्कर्षण के बाद द्राब में शेष अतिरिक्त सोडियम हाइड्रॉक्साइड को सोडियम कार्बोनेट में बदल दिया गया है। स्केल-अप, अभियांत्रिकी, निर्माण और प्रणाली का निर्माण इन-हाउस किया गया है।

उपरोक्त आर एंड डी कार्य के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ

प्लांट स्केल पर उपरोक्त के कार्यान्वयन ने सभी अवशिष्ट कमजोर सोडियम हाइड्रॉक्साइड को सोडियम कार्बोनेट को पिसाई सर्किट से आगे परिवर्तित करने और सिस्टम में द्राब का उपयोग करने में मदद की है। इसने ताजा सोडियम कार्बोनेट की खपत को कम करने में सक्षम किया, इस प्रकार उत्पादन की लागत को कम किया, जिससे लगभग 6.00 करोड़ रूपये की वार्षिक बचत हुई।

2. आगे की योजना

जादुगोड़ा मिल में लोडेड रेजिन को क्षालन के लिए बैरन इलुएट से अम्लीय ब्राइन तैयार करने के पहले उसमें अवशिष्ट हाइड्रोजन परआक्साइड में कमी लाता है।

3. प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवीनीकरण

आपकी कंपनी मैग्नीशियम-डि-यूरानेट, यूरेनियम परआक्साइड और सोडियम-डी-यूरनेट जैसे विभिन्न अंत उत्पादों का उत्पादन कर रही है। यह देखा गया है कि यूरेनियम परआक्साइड सबसे अनुकूल उत्पाद है क्योंकि इसमें बहुत कम अशुद्धियाँ होती हैं। तुरामडीह मिल में यूरेनियम परआक्साइड के उत्पादन के लिए निर्माण, उपकरण की स्थापना, विद्युत, इंस्ट्रूमेंटेशन आदि पूरा हो चुका है। झारखंड में दोनों मिल यूरेनियम परआक्साइड का उत्पादन करेंगे। इसी तरह तुम्मलापल्ली में भी यूरेनियम परआक्साइड के उत्पादन के लिए पैमाने पर प्रयोगशाला परीक्षण कार्य जारी है।

अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी समावेशन के संबंध में विवरणों के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र

अनुसंधान एवं विकास (आर ऐंड डी) :

विशेष क्षेत्र जहां अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां की गई :

क) क्षार लीचिंग परिस्थितियों में तुम्मलापल्ली में यूरेनियम निष्कर्षण में संस्थानिक (इन-हाउस) अनुसंधान के माध्यम से सफलता हासिल की गई है। यह पाया गया कि क्षार दबाव लीचिंग के दौरान अतिरिक्त सोडियम बाइकार्बोनेट यूरेनियम की निर्माण की गति को रोक रही है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड की थोड़ी सी मात्रा को जोड़कर, आवश्यक सोडियम कार्बोनेट को रीसायकल तरल पदार्थ में अतिरिक्त सोडियम बाइकार्बोनेट के रूपांतरण से हासिल किया गया है।

उपर्युक्त अनुसंधान एवं विकास कार्य के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ :

क) उपर्युक्त कार्यान्वयन से समग्र निष्कर्षण (लगभग 4%) बढ़ाने में मदद मिली है और इससे तुम्मलापल्ली संयंत्र में सोडियम कार्बोनेट की खपत को काफी हद तक कम किया गया है। यह माना जा रहा है कि इससे निकासी की लागत में कमी आएगी, जिससे रु.30 करोड़ प्रति वर्ष की बचत होगी।

भावी योजना की रूपरेखा :

क) जादूगोड़ा प्रसंस्करण संयंत्र में आयन विनिमय के अपशिष्ट उत्पादन प्रवाह से यूरेनियम को पुनर्प्राप्त करने के लिए एक अनुसंधान एवं विकास गतिविधि का कार्यान्वयन।

अनुसंधान एवं विकास पर व्यय :

(क)	पूंजी	शून्य
(ख)	राजस्व	930.21 लाख
	कुल	930.21 लाख

प्रौद्योगिकी समावेश, अनुकूलन एवं नवोन्वेशण :

आपकी कंपनी ने टेलिंग निपटान की नई विधि के लिए बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन किया है, जैसे तुम्मलापल्ली में यूरेनियम टेलिंग की सतह के समीप ट्रेंच निपटान। इससे खननपट्टे की सीमा के अंदर खाली पड़े कब्जे वाले क्षेत्र के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इस पद्धति के निहित लाभ में भमि का प्रभावी उपयोग, संरचना के रखरखाव और पर्यवेक्षण में आसानी, कम परिवहन लागत, बिजली की खपत में बचत और टेलिंग निपटान के लिए बड़े पैमाने पर भूमि का बचाव हैं।

शेयरधारकों को निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–II

कॉरपोरेट प्रशासन प्रणाली

आपकी कंपनी अपने कार्यों के सभी पहलुओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी के अधिकतम स्तर को प्राप्त करने के लिए अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन में विश्वास करती है और इस दिशा में कंपनी ने अपने प्रयासों को जारी रखा है।

निदेशक मंडल :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के संदर्भ में, यूसीआईएल एक सरकारी कंपनी है। कंपनी की संपूर्ण प्रदत्त पूंजी भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, जिसमें उनके नामांकितों के 3 शेयर भी शामिल हैं।

बोर्ड में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों का उचित संयोजन है। दस निदेशकों के बोर्ड में (i) तीन पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक अर्थात अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) एवं निदेशक (तकनीकी) और (ii) सात अंशकालिक गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। बोर्ड की बैठकें नियमित अतंराल पर होती रहती हैं और बोर्ड कंपनी की उचित दिशा और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की छह बैठकें दिनांक 24.05.2019, 16.08.2019, 14.09.2019, 29.09.2019, 10.01.2020 को संपन्न हुई और 24.03.2020 (COVID-19 के कारण स्थगित कर दी गई और 26.06.2020 को बुलाई गई)। निदेशक मंडल की संरचना, बोर्ड की बैठकों में उनकी उपस्थिति और वार्षिक आमसभा/विशेष आमसभा निम्नलिखित हैं

31.03.2020 को नाम एवं पदनाम	वर्ग	बोर्ड बैठक		14.09.2019 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	अन्य निदेशकों की संख्या
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति		
कार्यकारी निदेशक					
श्री सी. के. असनानी, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	कार्यपरक	06	06	हाँ	-
श्री देबाशीष घोष निदेशक (वित्त)	कार्यपरक	06	06	हाँ	-
श्री प्रणेश एस. आर. निदेशक (तकनीकी)	कार्यपरक	06	06	हाँ	-
गैर-कार्यकारी निदेशक					
डॉ. डी. के. तिवारी, आईएएस, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार	अंशकालिक पदेन सदस्य	05		-	
डॉ. मेरविन एस अलेक्जेंडर, संयुक्त सचिव (आई एडं एम), डीएई	अंशकालिक पदेन सदस्य	05	05	हाँ	-
डॉ. दिनेश श्रीवास्तव, मुख्य कार्यकारी, एनएफसी	अंशकालिक	05	05	हाँ	-
श्री एम.बी. वर्मा, निदेशक, एएमडी (दिनांक 31.12.2019 तक)	अंशकालिक	04	02	हाँ	-
डॉ. के. उमामहेश्वर राव, निदेशक, एनआईटीके, सूरथकल (दिनांक 31.08.2019 तक)	अंशकालिक गैर सरकारी	02	02	-	-
श्री आर.बी. चक्रवर्ती, पूर्व खान सुरक्षा उप महानिदेशक (पूर्व - डीडीजीएमएस) (दिनांक 31.08.2019 तक)	अंशकालिक गैर सरकारी	02	02	-	-

पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के संदर्भ में यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है। अंशकालिक निदेशक, सरकारी अधिकारी या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारी बैठक पारिश्रमिक के पात्र नहीं हैं।

प्रत्येक बोर्ड या समिति की बैठक में भाग लेने के लिए केवल स्वतंत्र निदेशकों को रु. 10,000/- का भगुतान किया जाता है और अधिकतम 2 दिनों के लिए रु. 1,000/- प्रतिदिन की दर से आकस्मिक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।

लेखापरीक्षा समिति :

वैधानिक आवश्यकता के अनुसार आपकी कंपनी के बोर्ड ने एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है। मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान दिनांक 29.06.2019, 07.08.2019, और 16.08.2019 को लेखापरीक्षा समिति की तीन बैठकें आयोजित की गई।

दिनांक 31.08.2019 को लेखापरीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार थी :

1. श्री आर. बी. चक्रवर्ती, पूर्व - डीडीजीएमएस : अध्यक्ष
2. डॉ. के.यू.एम. राव, निदेशक एनआईटीके, सुरथकल : सदस्य
3. श्री एम.बी.वर्मा, निदेशक, एएमडी : सदस्य
4. डॉ. दिनेश श्रीवास्तव, सीई, एनएफसी : सदस्य

यूसीआइएल के कंपनी सचिव उपर्युक्त समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

31.03.2020 तक यूसीआईएल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। यूसीआईएल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।

पारिश्रमिक समिति :

दिनांक 31.08.2019 को पारिश्रमिक समिति की संरचना इस प्रकार थी

1. श्री आर.बी. चक्रवर्ती, पूर्व - डीडीजीएमएस- अध्यक्ष
2. डॉ. दिनेश श्रीवास्तव मुख्य कार्यकारी, एनएफसी
3. श्री देबाशीष घोष, निदेशक (वित्त), यूसीआईएल
4. निदेशक (तकनीकी), यूसीआईएल

यूसीआइएल के कंपनी सचिव उपर्युक्त समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

आचरण नियमावली :

कंपनी के पास अपनी आचरण नियमावली है जो बोर्ड के सदस्यों के साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन पर भी लागू होती है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है।

सत्यनिष्ठा समझौता के साथ-साथ धोखाधड़ी रोकथाम निवारण नीति/सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर डाला गया है।

सामान्य निकाय बैठकें :

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित की गई वार्षिक आम बैठकें/अतिरिक्त-साधारण सामान्य बैठकें नीचे दी गई हैं :

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2018-19(एजीएम)	14.09.2019	12.30 घंटे	रांची
2017-18 (एजीएम)	19.09.2018	12.30 घंटे	मुंबई
2016-17 (एजीएम)	23.09.2017	13.00 घंटे	शिलांग

फार्म सं. एमजीटी–9

वार्षिक विवरण का सारांश

दिनांक 31.03.20 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) विनियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

i	सीआइएन	(CIN : U 12000 JH 1967 GOI 000806)
ii	पंजीकरण की तिथि	04 / 10 / 1967
iii	कंपनी का नाम	यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
iv	कंपनी की श्रेणी / उप-श्रेणी	सरकारी कंपनी
v	"पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण"	पीओ : जादूगोड़ा खान
		जिला : सिंहभूम पूर्वी
		झारखंड – 832 102
		दूरभाष : 0657-2730122/222/353
		फैक्स : 0657-2730322
		ई-मेल : cs@uraniumcorp-in
		विजिट करें : www-uraniumcorp-in
vi	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	नहीं
vii	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो।	लागू नहीं

II कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या उससे अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बताया जाना है।

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी का कुल % व्यवसाय
1	U_3O_8 यूरेनियम अयस्क का खनन एवं प्रसंस्करण	लागू नहीं	100

कंपनी पूर्ण रूप से भारत के राष्ट्रपति के स्वामित्व में है।

शेयरधारण का विवरण

भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित शेयर	:	20696175
सरकारी नामितों द्वारा धारित शेयर	:	03
शेयरों की कुल संख्या (अंकित मल्यू रु.1000 / - प्रत्येक)	:	20696178

ऋणग्रस्तता

		रु. लाख में	
		31.03.2020	31.03.2019
सुरक्षित ऋण (फिक्स्ड डिपॉजिट पर ओवरड्राफ्ट)			
असुरक्षित ऋणः			
एसबीआई, जादूगोड़ा से लघु अवधि की नकद साख (सीसी)		-	-
एनपीसीआईएल से ऋण		-	10,000.00
	कुल रु.	-	10,000.00

धारा 149 (6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

स्वतंत्र निदेशक को दिनांक 01.09.2016 को नियुक्त किया गया और धारा 149 (6) के तहत उल्लिखित स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा का अनुपालन किया जाता है। दोनों स्वतंत्र निदेशकों यानी श्री आर. बी. चक्रवर्ती और डॉ. के. महेश्वर राव की नियुक्तियों का कार्यकाल 31.08.2019 को पूरा हो गया।

धारा 134 (1) के तहत बोर्ड एवं निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन

यूसीआईएल एक सरकारी कंपनी है इसलिए निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। पारिश्रमिक आदि का निर्धारण डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। निदेशकों का कार्यकाल भी सरकार द्वारा तय किया जाता है। इसके अलावा, यूसीआईएल एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत आवश्यक बोर्ड और निदेशकों के प्रदर्शन के साथ-साथ निदेशक की नियुक्ति और पारिश्रमिक सहित नीति निर्धारण, योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं आदि के लिए मानदडं नहीं दिया गया है क्योंकि सरकारी कंपनी को इन प्रावधानों से छूट दी गई है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (51) के तहत प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के लिए प्रकटीकरण निम्नलिखित हैं :

i. श्री सी. के. असनानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ii. श्री देबाशीष घोष, निदेशक वित्त
iii. श्री प्रणेश एस. आर, निदेशक तकनीकी
iv. श्री बी. सी. गुप्ता, कंपनी सचिव

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निषेध

कार्यस्थल पर कार्मिकों का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निषेध के लिए एक समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी को यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई भी शिकायत नहीं मिली है।

संबंधित पक्षों (पार्टी) के साथ अनुबंध

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एच) के तहत प्रकट की जाने वाली आवश्यक सूचना वित्तीय वर्ष 2019-20 में शन्यू है। इसलिए, कंपनी (नियम) नियम 2014 के नियम 8 (2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) (एच) के तहत यथा आवश्यक फॉर्म एओसी-2 बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं है। वार्षिक लेखा की टिप्पणी 32 के तहत सेवाओं को प्राप्त करने के लिए सम्बंधित पक्ष के प्रकटीकरण का उल्लेख किया गया है।

जोखिम प्रबंधन

यूसीआईएल यह स्वीकार करता है कि किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में जोखिम निहित है और कंपनी की वर्तमान एवं भावी सफलता के लिए जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। कंपनी के पास एक प्रणाली है जो जोखिमों की देखरेख करने, महत्वपूर्ण कारोबारी जोखिमों के प्रबंधन एवं कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में मदद करती है।

यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

प्रमुख आंकड़े

अनुलग्नक - I

रु लाख में

विवरण	2019-20	2018-19	2018-19 की तुलना में वृद्धि / (कमी)	2018-19 की तुलना में वृद्धि / (कमी) % के रूप में
क. परिचालन परिणाम				
कारोबार	238656.97	201393.02	37,263.95	18.50
सकल आय	241959.58	203479.28	38,480.30	18.91
सकल व्यय	182276.20	164210.53	18,065.67	11.00
सकल लाभ	59683.38	39268.75	20,414.63	51.99
कर के बाद शुद्ध लाभ	48204.84	20268.23	27,936.61	137.83
ख. वर्ष अंत में वित्तीय स्थिति				
शेयर पूंजी	206961.78	206961.78	-	-
अन्य इक्विटी	113865.45	75279.81	38,585.64	51.26
नियोजित पूंजी	347899.74	311378.23	36,521.51	11.73
कुल मूल्य (नेटवर्थ)	320827.23	282241.59	38,585.64	13.67
सकल ब्लॉक	281909.97	261135.92	20,774.05	7.96
मूल्यह्रास	91339.02	65613.52	25,725.50	39.21
शुद्ध ब्लॉक	190570.95	195522.43	(4,951.48)	(2.53)
मालसूची (इन्वेंटरी)	23214.41	22452.60	761.81	3.39
ग. लाभप्रदता एवं अन्य अनुपात				
(i) प्रतिशत :				
बिक्री में सकल लाभ / (हानि)	25.01%	19.50%		
बिक्री में शुद्ध लाभ / (हानि)	20.20%	10.06%		
कुल मूल्य में सकल लाभ / (हानि)	18.60%	13.91%		
कुल मूल्य में शुद्ध लाभ / (हानि)	15.03%	7.18%		
नियोजित पूंजी में सकल लाभ / (हानि)	17.16%	12.61%		
नियोजित पूंजी में शुद्ध लाभ / (हानि)	13.86%	6.51%		
इक्विटी पूंजी में सकल लाभ / (हानि)	28.84%	18.97%		
बिक्री के लिए मालसूची	9.73%	11.15%		
इक्विटी पूंजी में बिक्री	68.60%	64.68%		
(ii) अनुपात :				
वर्तमान परिसंपत्तियां एवं वर्तमान देयताएं	2.27 : 1	2.06 : 1		
त्वरित सं पत्ति एवं वर्तमान देनदारियां	2.03 : 1	1.76 : 1		

यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
कंपनी का वित्तीय स्थिति
31 मार्च 2020 और 2019 को तलुन-पत्र सारांश

अनुलग्नक - II

(रू लाख में)

विवरण	2019.20	2018.19	2018-19 की तुलना में वृद्धि /(कमी)
क. कंपनी का स्वामित्य			
अचल परिसंपति	269126.28	248352.23	20,774.05
सकल ब्लॉक	83448.66	60113.74	23,334.92
घटाया संचित मूल्यह्रास	185677.62	188238.52	(2,560.90)
नेट ब्लॉक	4893.33	7283.91	(2,390.58)
अपूर्त परिसम्पत्तियाँ	7615.74	1866.17	5,749.57
अन्य दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम (वित्तीय एवं गैर वित्तीय) गैर मौजूदा संपत्तियों सहित	27023.39	34624.73	(7,601.34)
प्रगतिशील पूंजीगत कार्य/स्टॉक	225210.08	2,32,013.33	(6,803.25)
उप - योग (क)			
ख. चालू परिसम्पति			
(i) सम्पति सूची	23214.41	22452.60	761.81
(ii) प्राप्ति योग्य व्यापार	155502.26	101918.03	53,584.23
(iii) ऋण एवं अन्य वित्तीय सम्पतियाँ	3995.07	3557.48	437.59
(iv) नकद और बैंक अधिशोष	32258.95	23367.76	8,891.19
(v) अन्य चालू सम्पतियाँ	4177.17	2820.65	1,356.52
उप - योग (ख)	219147.86	154116.52	65,031.34
कुल {1 (क+ख)}	444357.94	386129.85	58,228.09
2. कम्पनी का स्वामित्व			
(क) गौर वित्तीय देनदारियाँ, सेवाओं, चालू देनदारियाँ तथा अन्य प्रावधानों के लिए	110261.70	85317.65	24,944.05
(ख) कम्पनी की शुद्ध मालियत			
इक्विटी शेयर पूंजी	206961.78	206961.78	-
अन्य इक्विटी	113865.45	75279. 81	38,585.64
उप - योग (ख)	320827.23	2,82,241.59	38,585.64
(ग) आस्थागित कर दायित्व	13269.01	18570.61	(5,301.60)
कुल {2 (क़ख़ग)}	444357.94	3,86,129.85	58,228.09

यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

कंपनी की आय और व्यय का विवरण

31 मार्च, 2020 और 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा का सारांश

अनुलग्नक - III

(रू लाख में)

विवरण	2019-20	2018-19	2018-19 की तुलना में वृद्धि / (कमी)
1. कंपनी की आय			
क) परमाण ऊर्जा विभाग द्वारा यूरेनियम सांद्रता के अधिग्रहण से	238453.77	201104.29	37,349.48
ख) गौण उत्पादों की बिक्री से (उत्पाद शुल्क को छोड़कर)	203.20	288.73	(85.53)
ग) अन्य प्राप्तियां	3302.61	2086.26	1,216.35
उप - योग	241959.58	2,03,479.28	38,480.30
घ) अंतिम स्टॉक में (वृद्धि) / कमी	878.01	(11483.34)	12,361.35
कुल (1)	242837.59	1,91,995.94	50,841.65
2. कंपनी द्वारा भुगतान और व्यवस्था			
क) खपत की गई सामग्री की लागत	18174.08	17984.42	189.66
ख) कर्मचारी लाभ व्यय	54070.04	47125.81	6,944.23
ग) वित्तीय लागत (ब्याज व्यय)	1059.80	869.58	190.22
घ) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	25723.45	21139.03	4,584.42
ङ) अन्य व्यय	84126.84	65608.35	18,518.49
कुल (2)	183154.21	1,52,727.19	30,427.02
3. कंपनी का सकल लाभ			
समायोजन के पहले (1 - 2)	59683.38	39,268.75	20,414.63
घटाया : आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	11478.55	19000.52	(7,521.97)
4. अवधि के लिए शुद्ध लाभ	48204.83	20,268.23	27,936.60
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	(3,372.32)	(1,995.64)	(1,376.68)
5. वर्ष के लिए व्यापक आय	44832.51	18,272.59	26,559.92

आय का वर्गीकरण

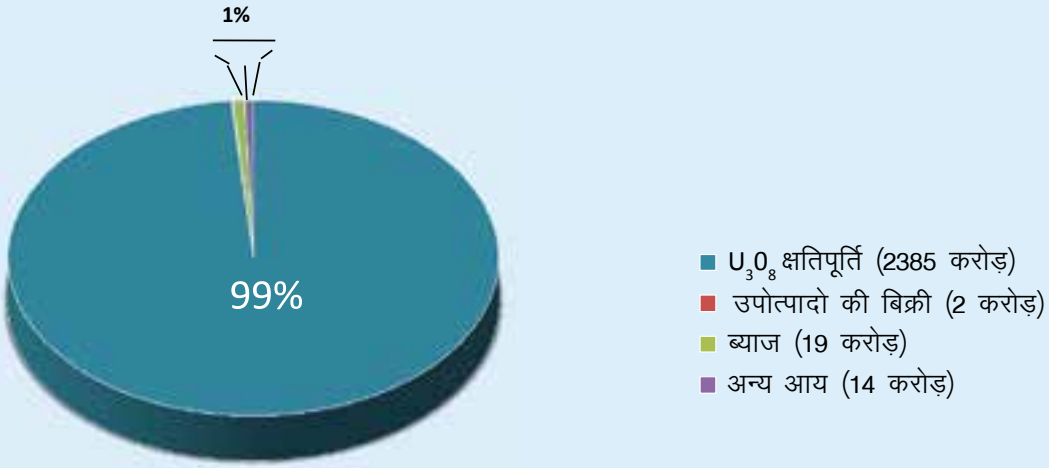

व्यय का विवरण

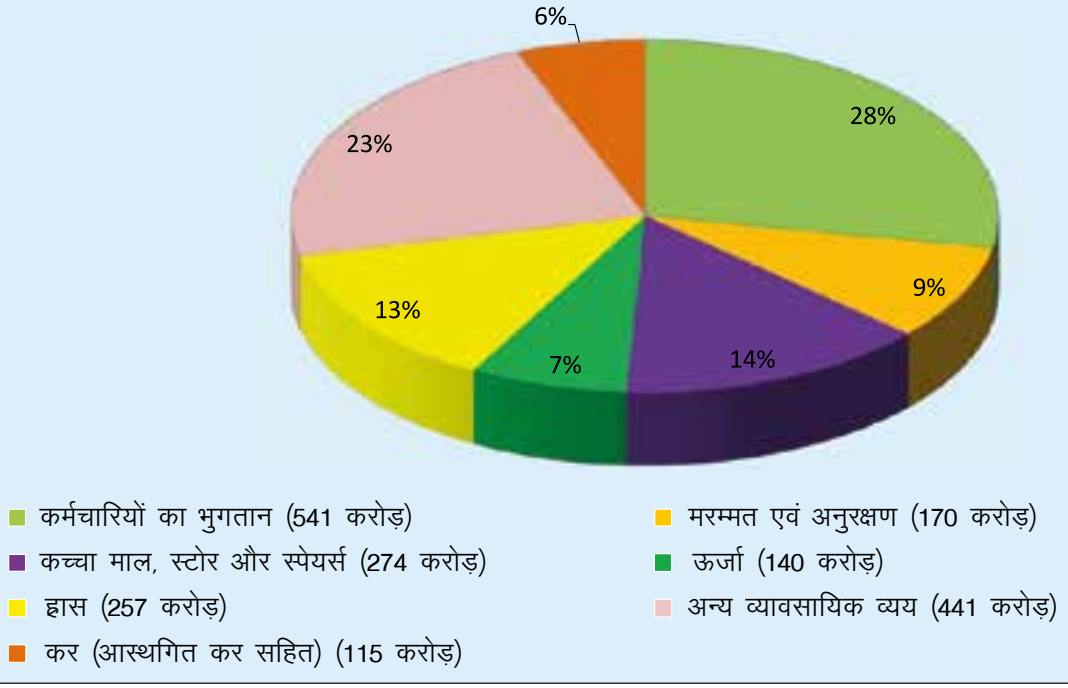

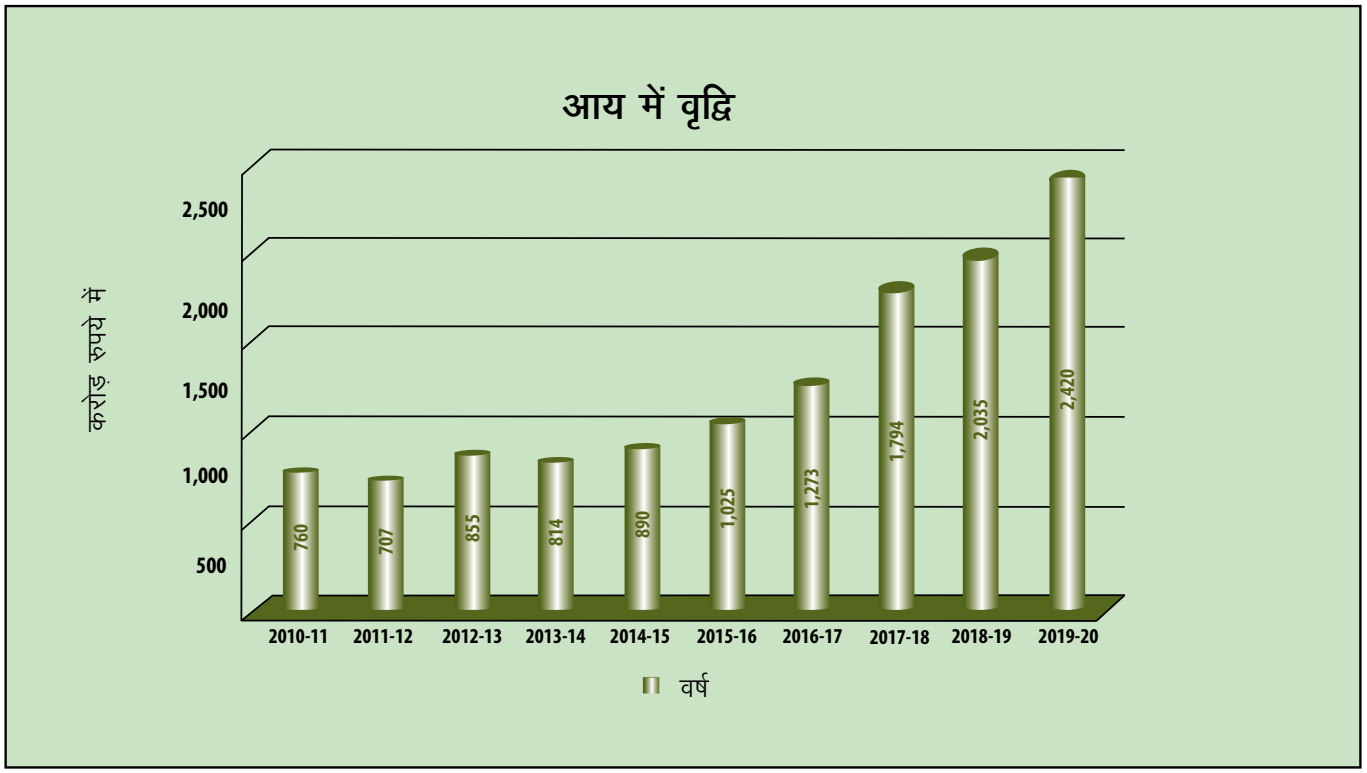
आय में वृद्धि
करोड़ रुपये में
2,500
2,000
1,500
1,000
500
760
707
855
814
890
1,025
1,273
1,794
2,035
2,420
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
वर्ष

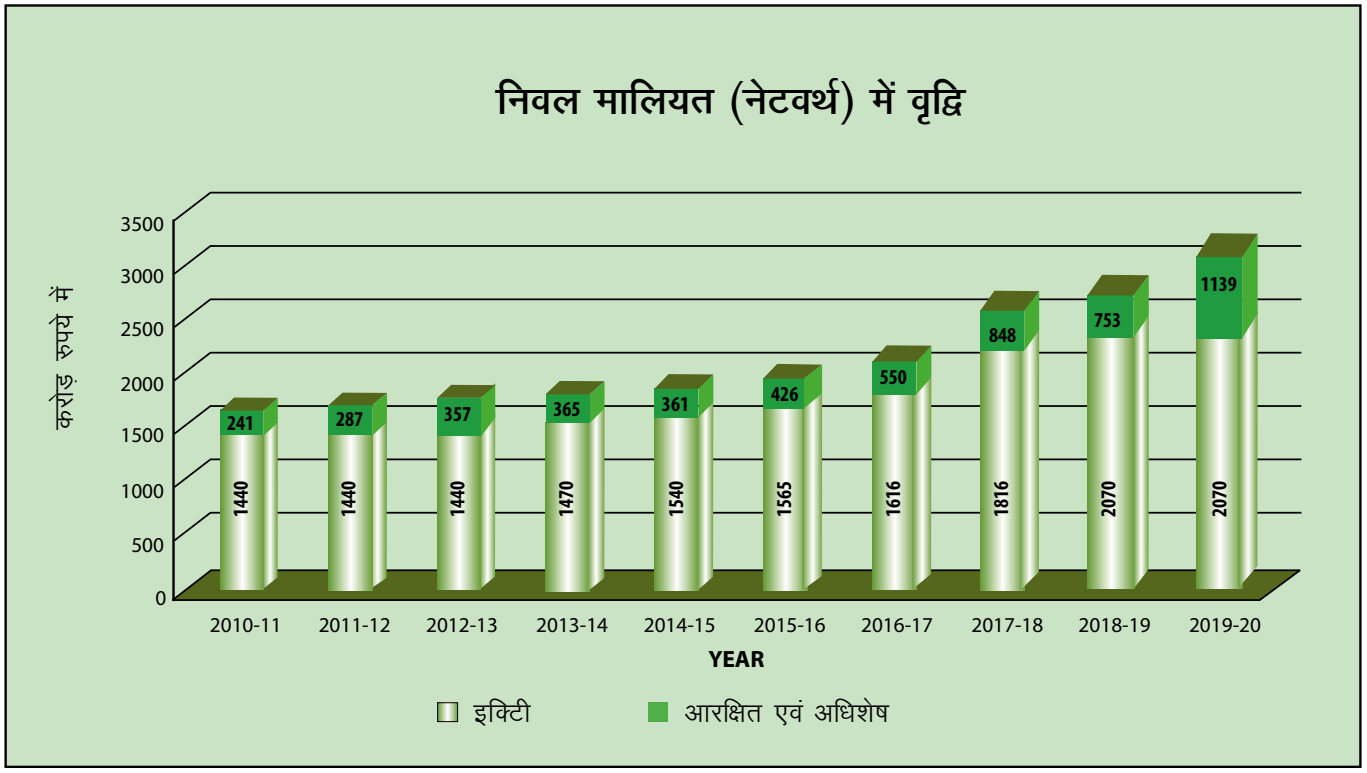
निवल मालियत (नेटवर्थ) में वृद्धि
करोड़ रुपये में
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
241
287
357
365
361
426
550
848
753
1139
1440
1440
1440
1470
1540
1565
1616
1816
2070
2070
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
YEAR
इक्विटी
आरक्षित एवं अधिशेष

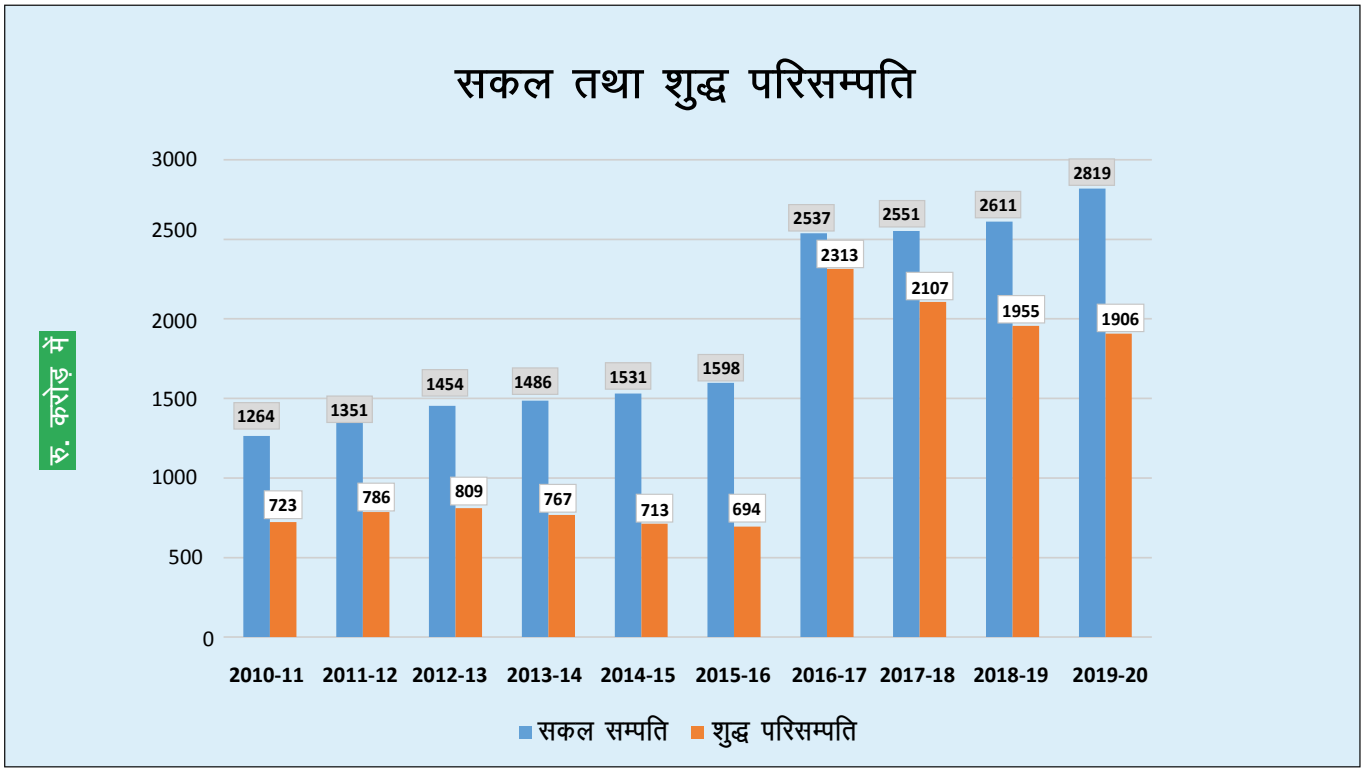
सकल तथा शुद्ध परिसम्पति
रु. करोड़ में
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1264
723
1351
786
1454
809
1486
767
1531
713
1598
694
2537
2313
2551
2107
2611
1955
2819
1906
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
सकल सम्पति
शुद्ध परिसम्पति

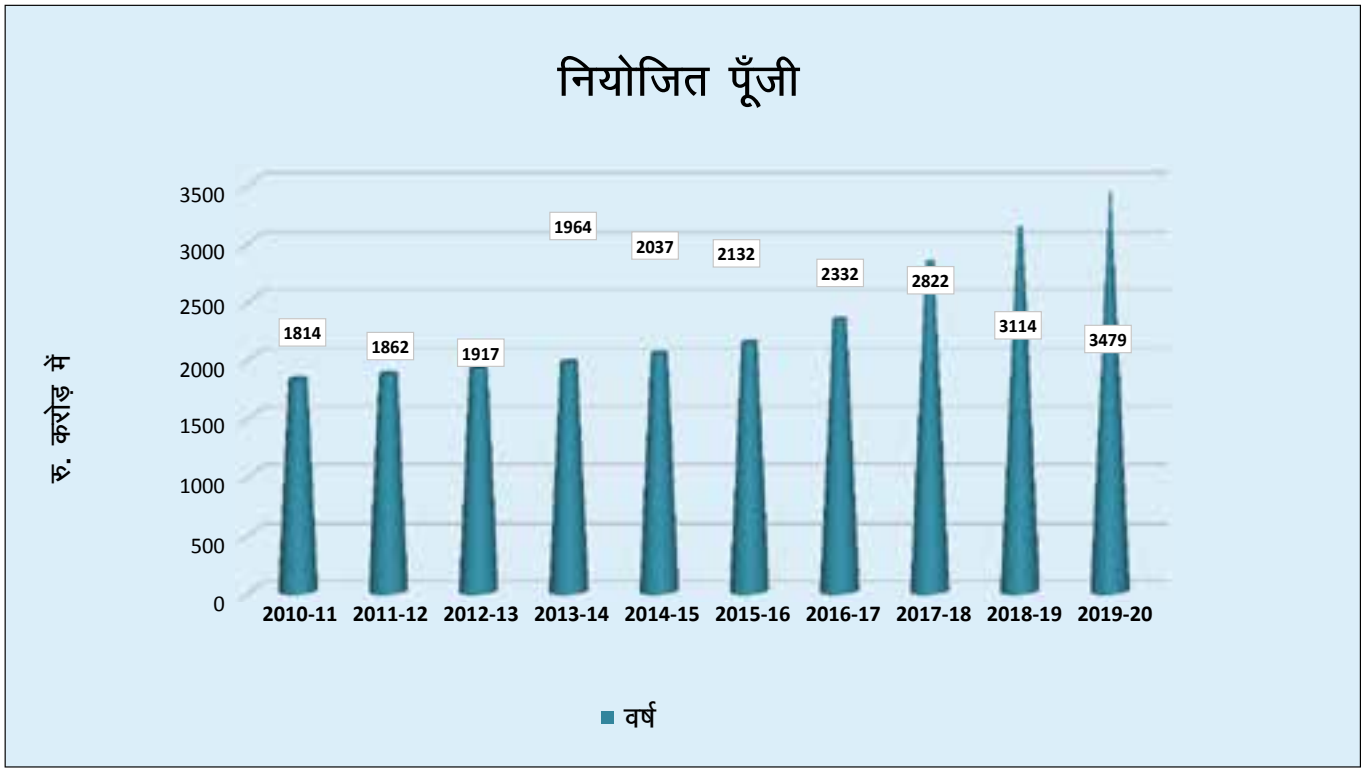
नियोजित पूँजी
रु. करोड़ में
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1814
1862
1917
1964
2037
2132
2332
2822
3114
3479
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
वर्ष

गणतंत्र दिवस 2020 पर सीएमडी द्वारा सम्बोधन एवं झंडोत्तोलन

सशोंदित स्वंतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

मेसर्स यूरेनियम कॉरपोरशन ऑफ इडिया लिमिटेड

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पर ऑडिट रिपोर्ट

राय

हमने यूरेनियम कॉरपोरशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण का लेखा परीक्षा किया है, जिसमे 31 मार्च 2018 का तुलन पत्र, लाभ-हानि का विवरण, समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह और वित्तीय लेखे पर के नोट, साथ में महत्तवपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल हैं।

हमारी राय एवं बेहतर सूचनाओ तथा हमें दी गई व्याख्याओ के आधार पर पर्वोक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण, अधिनियम द्वारा आवश्यक वांक्षित सूचनाएं देता है और 31 मार्च 2018 को कंपनी अधिनियम 2013 के मामलों की स्थिति सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के साथ सत्य एवं स्पष्ट दृश्य अन्य व्यापक आय सहित इसके लाभ और वर्षांत तक के लिए इसका नकद प्रवाह को दर्शाता है।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग (एसएएस) के मानकों के अनुसार भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण का ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी की तरफ से स्वतंत्र हैं और इन्स्टिच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी अचार संहिता तथा साथ में कंपनी अधिनियम 2013 के अतर्गत तथा इसके अतर्गत नियमों के अनुसार वित्तीय विवरण का लेखा परिक्षण करते हैं, और हमने उस अचार संहिता की आवश्यकता के अनूरूप दायित्व का निर्वाहन किया है। हमें यकीन है कि जो साक्ष्य हमें मिला है वह हमारे राय के आधार के लिए भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण सही एवं पर्याप्त है।

मामले की अवधारणा

हम बिना अपनी राय को सिमित किये निम्नलिखित मामले की ओर ध्यानाकृष्ट करते हैं :

क) चूंकि हमने लॉकडाउन (कोविद -19 महामारी) के कारण हमारे कार्यालय से अपना ऑडिट किया है, इसलिए ऑडिट दस्तावेजों और विवरणों तक सीमित है और हम कंपनी के लेन-देन से संबंधित सहायक दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं कर पाए हैं। अतः हमारी ऑडिट राय प्रासंगिक दस्तावेजों तक सीमित है।

ख) दो कार्यों से कुल लागत के बागजाता के सम्बन्ध में प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य से सम्बंधित लेखे की टिप्पणी 4 (घ) में कार्य (i) डिजाइनिंग सिंकिंग लाइनिंग कार्य 375 मीटर गहरी, 5 मीटर डायमीटर वर्टिकल शाफ्ट जिसका मूल्य 2059.22 लाख रुपये तथा कार्य (ii) यूसिल में उपलब्ध पुराने 560kw वाइन्डर और हेड फ्रेम को जिसमें डिजाइन, इरेक्शन और 100.00 लाख की कुल विंडर सिस्टम की कमीशनिंग शामिल है, जो 2159.22 लाख रुपये का कुल मूल्य बना रही है, को कुल 4254.39 लाख की राशि में पूंजीगत कार्य में शामिल किया गया है। ठेकेदार को कार्य दिया गया और ठेकेदार कार्य को विस्तारित तिथि 31.12.2014 इस पूरा करने में असफल रहा। कंपनी ने 247.61 लाख की जो अर्नेस्ट मनी डिपाजिट (ईएमडी) बैंक गारंटी के रूप में लिया था जिसकी अवधि 14. 01.2015 को समाप्त हो गई। लंबित कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 2159.22 लाख रूपये का है जो कि किसी विशेषज्ञ द्वारा मूल्यांकित कर नियमानुसार व्यवहार किया जायेगा। कंपनी ने कानूनी प्रक्रिया आरम्भ की है और मामला 3

वर्ष की समयावधि की समाप्ति के बाद मध्यस्थता की स्थिति में है।

ग) वर्ष 2017-18 के लिए प्रयोज्य दर पर यूरेनियम सांद्र की राजस्व की मान्यता से सम्बंधित लेखों की टिप्पणी संख्या 21 'इद्व परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है। हालाँकि, वर्ष 2018-19 के लिए यूरेनियम सांद्र के मुआवजे की लंबित अंतिम दर को परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा निश्चित की गई है, परिचालन से राजस्व का निर्धारण करने के लिए वर्ष 2017-18 के लिए लागू दर पर विचार किया जाना है।

घ) लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी संख्या 35.2 से सम्बंधित नरवापहाड़ में 1128.32 एकड़ खनन पट्टे का कार्य लंबित है। 31.77 एकड़ अतिरिक्त जमीन तुरामडीह के लिए 290.45 हेक्टेयर जमीन केलेंग पेंडिंग सोहियोंग मावथावा में, 1337.62 एकड़ जमीन लाम्बापुर एवं गोगी में 39.13 हेक्टेयर जमीन का खनन पट्टा अभी प्राप्त किया जाना है।

ड.) लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी खाता संख्या 35.3 सम्बंधित राज्य सरकार/निजी पार्टी से अधिग्रहित 1517.59 एकड़ भूमि के संबधं मे डीड जिसका कीमत 1517.59 लाख रूपया है का हस्तांतरण विलेख लंबित है।

च) लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी संख्या 35.3 कंपनी मुसाबनी, झारखण्ड में 1986 से 3 एकड़ जमीन का उपभोग कर रही है। झारखण्ड सरकार द्वारा उठाय गए डिमांड नोट का भुगतान कर दिया गया है और झारखण्ड सरकार के साथ पट्टा हस्तांतरण का कार्य प्रगति पर है।

छ) नोट संख्या 31.12 लेखा पर अतिरिक्त नोट, जो लॉक-डाउन के कारण प्रबंधन के वित्तीय प्रभाव के आकलन की व्याख्या करता है और COVID-19 महामारी की स्थिति से संबंधित अन्य प्रतिबंधों और शर्तों, जिसके लिए प्रबंधन को कंपनी में दीर्घकालिक जोखिम के लिए कोई माध्यम नहीं दिखता है और कंपनी की क्षमता से अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए सक्षम है। इसके अलावा, सरकार द्वारा जारी वर्तमान लॉकडाउन प्रतिबंधों के तहत हमारी उपस्थिति अव्यावहारिक थी और इसलिए दस्तावेज ऑनलाइन मोड के माध्यम से हमें उपलब्ध कराए गए थे।

ज) कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत धारा 115 बीएए की शुरूआत के अनुरूप, कंपनी के पास संचित मैट क्रेडिट की कमी और अतिरिक्त मूल्यह्रास को आगे बढ़ाने सहित कुछ कर प्रोत्साहनों में परिणामी कमी के साथ कम कर दर पर स्थानांतरण का एक अपरिवर्तनीय विकल्प है। कंपनी ने इस विकल्प का प्रयोग किया है और वित्त वर्ष 2019-20 से कर की निम्न दर पर स्थानांतरित कर दिया है।

वित्तीय विवरण एवं लेखा परिक्षण प्रतिवेदन के अतिरिक्त अन्य सूचना

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। वार्षिक रिपोर्ट में अन्य जानकारी शामिल है लेकिन इसमें भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परिक्षण रिपोर्ट शामिल नहीं है। लेखा परिक्षण रिपोर्ट के उपरांत बोर्ड रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराने की उम्मीद है।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के लिए जो हमारी राय है उसमे अन्य सूचना शामिल नहीं है और उसके लिए हम किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष के किसी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

दूसरी जानकारी को पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है और ऐसा करते हुए, विचार करना कि अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ या हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी के साथ असंगत है अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होते हैं।

हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस तथ्य की जानकारी देने के लिए हमें इस तथ्य की जानकारी देना आवश्यक है। हमें इस सम्बन्ध में कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मण्डल कंपनी अधिनियम 2013 की धरा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है जिससे कि भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की तैयारी जो कंपनी की वित्तीय स्थिति की सही एवं साफ तस्वीर पेश करती है तथा वित्तीय म्हत्वपादन अन्य व्यापक आय सहित एवं कंपनी का नकद प्रवाह भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन पद्धति के अनुसार है जिसमें अधिनियम की धरा 133 के अन्तर्गत लेखांकन सिद्धांत भी शामिल हैं। इस दायित्व में पर्याप्त लेखांकन आँकड़े अधिनियम के अनुसार हैं जो कंपनी की निधि की सुरक्षा तथा अन्य अनियमितताओ को प्रकट करने के लिए तथा सही लेखांकन नीति का चुनाव करने के लिए तथा सही एवं सटीक अनुमान तथा निर्णय के लिए तथा वित्तीय विवरण की तयारी एवं अनुपालन के लिए जो की भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की तयारी एवं भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण में दर्शाये गए आँकड़े सही एवं स्पस्ट छवि पेश करें जो किसी भी प्रकार की महत्तवपूर्ण त्रुटि से परे हो चाहे गलती से या गबन से हो।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की तैयारी में प्रबंधन का दायित्व है की वह कंपनी की दक्षता का आकलन कर इसे चालू संस्था के आधार पर तथा चालू संस्था के लेखांकन के आधार पर करे, जब तक कि निदेशक मण्डल की ईरादा कंपनी का समापन या बंद करने का नहीं है तथा ऐसे किसी विकल्प के लिए नहीं है।

निदेशक मण्डल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या महत्वपूर्ण रूप से भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण भौतिक दुर्व्यहार से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि SAs के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा, जब यह मौजूद रहे। गलतफहमी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और माना जाता है कि सामग्री, यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, तो इन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर हमसे लिए गए आर्थिक फैसलों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं, हम भी :

- भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करते हैं और उनका आकलन करते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए ऑडिट प्रक्रियाओ को डिजाइन और निष्पादित करते हैं और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करन के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखेबाजी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली एक से अधिक सामग्री के गलत होने का जोखिम न उठाना या त्रुटि के परिणामस्वरूप जो कि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर, गलत बयानी, या आतरिक नियंत्रण की अधिकता शामिल हो सकती है।
- ऑडिट प्रक्रियाओ को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के लिए आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनियों के अधिनियम, 2013 की धारा 143(3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय विवरण के संदर्भ में और इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों और लेखा अनुमानों के तर्क और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित खुलासों के मूल्यांकन का मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन की चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालन, और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या एक घटना या शर्तों से सम्बंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर महत्तवपूर्ण सदेह डाल सकती है जो एक चिंता का विषय है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक परिपक्वता अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि वित्तीय विवरणों में इस तरह के खुलासे या, यदि इस तरह के खुलासे हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओ या स्थितियों से कंपनी को चिंता का विषय बना रह सकता है।
- खुलासे सहित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, सरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना कि क्या भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अतर्निहित लेनदेन और घटनाओ का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।
- हम उन लोगों के साथ शासन के बारे में बातचीत करते हैं, जो ऑडिट के नियत दायरे और समय और महत्तवपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ-साथ आतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्तवपूर्ण कमी को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।
- हम उन लोगों को एक बयान के साथ शासन प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ सवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और सुरक्षा उपाय संबंधित जहां लागू हो।
- हम नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं जो वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है।

अन्य मामलों

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुई कंपनी की तुलनात्मक वित्तीय जानकारी, पूर्ववर्ती जारी किए गए वैधानिक वित्तीय विवरणों पर आधारित है, जो पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक मेसर्स रमेश के. - कं. जिनकी वर्ष के लिए रिपोर्ट 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुई 25 सितंबर, 2019 को उनके वित्तीय वक्तव्यों पर अयोग्य राय व्यक्त की गई।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओ पर रिपोर्ट

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत आवश्यक है, हम अनुलग्नक 1 में देते हैं, ऑडिट की सुझाई गई कार्यप्रणाली का अनुपालन करने के बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर एक बयान, उस पर की गई कार्र वाई और कंपनी के खातों और वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव।
2. जैसा कि कंपनियों (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार आवश्यक है, कंपनियों के अधिनियम 143, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी, हम देते हैं 'अनुलग्नक-II' आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान लागू सीमा तक लागू होता है।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   क) हमने उन सभी सूचनाओ और स्पष्टीकरणों की तलाश की और प्राप्त की, जो हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सर्वोत्तम थे।

ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून की आवश्यकता के अनुसार उचित पुस्तकों को अभी तक रखा गया है, क्योंकि यह उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है।

ग) इस रिपोर्ट द्वारा दी गई बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण अन्य व्यापक आय सहित और कैश फ्लो स्टेटमेंट खाते की पुस्तकों के साथ हैं।

घ) हमारी राय में, उपरोक्त भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, कंपनियों (भारतीय लेखा मानकों) के नियमों, 2015 में संशोधन के साथ पढ़ा जाता है।

ड.) कंपनी सरकारी कंपनी होने के नाते, धारा 164 (2) और धारा 197 के प्रावधान एमसीए द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार लागू नहीं हैं। तदनुसार, धारा 143 के खंड 3 (जी) और 3 (i) के संबंध में कोई रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, 'अनुलग्नक III' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

ज) कंपनी के ऑडिट नियम (ऑडिट एड ऑडिटर्स) नियम, 2014 के अनुसार, हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और उन्हें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में :

i. कंपनी ने लंबित मुकदमों और उसकी भारतीय लेखा मानक के वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का खुलासा किया है। वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 31 को संदर्भित करें।

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए किसी भी तरह की सामग्री नुकसानदेह थी।

iii- कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और सरक्षण कोष में हस्तांतरित किए जाने के लिए कोई राशि नहीं थी।

कृते मेसर्स कदमावाला एड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 323212E

CA राकेश कुमार जैन
साथी
M-No- 063654
यूडीआईएन : 20063654AAAAABX9029

स्थान : राऊरकेला
दिनांक : 07.10.2020

मेसर्स यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरण पर हमारी तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध – I

(हमारी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर 'रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

निर्देश	उत्तर
क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास व्यवस्था है? यदि हाँ, तो इंडियात्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ खातों की अखडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जा सकते हैं।	प्राप्त जानकारी के अनुसार, कंपनी के पास ओएलएफएएस लेखा पैकेज है और सभी लेखांकन लेनदेन आईटी सिस्टम के माध्यम से दर्ज किए जाते हैं। आईटी प्रणाली के बाहर सभी लेखांकन लेनदेन विधिवत रूप से लेखांकन पैकेज में दर्ज किए जाते हैं और फिर सिस्टम से वाउचर उत्पन्न होते हैं और सहायक भौतिक दस्तावेजों के साथ दायर किए जाते हैं। हालाँकि, हमारे पास कंपनी द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रणाली तक कोई पहुंच नहीं है क्योंकि हमने लॉकडाउन (कोविद -19 महामारी) के कारण हमारे कार्यालय से ऑडिट किया है।
कृपया रिपोर्ट करें कि क्या किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन हो रहा है या कंपनी को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/लिखावट के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जा सकता है।	मौजूदा ऋण के किसी भी पुनर्गठन या छूट/ऋण/ऋण/ब्याज आदि को लिखने के मामले नहीं थे।
क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि/प्राप्य को इसकी अवधि और शर्तों के अनुसार ठीक से उपयोग/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाए।	प्रबंधन से प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त धनराशि का उसके कार्यकाल और शर्तों के अनुसार सही तरीके से उपयोग/उपयोग किया गया था।

कृते मेसर्स कदमावाला एड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 323212E

CA राकेश कुमार जैन
साथी
M-No- 063654
यूडीआईएन : 20063654AAAAABX9029

स्थान : राऊरकेला
दिनांक : 07.10.2020

मेसर्स यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरण पर हमारी तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध –II

(हमारी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओश पर 'रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

1) कंपनी के अचल संपत्ति के संबंध में :

(क) कंपनी पूर्ण विवरणों को दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए हुए है जिसमें अचल संपत्तियों (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) का विवरण और स्थिति शामिल है।

(ख) कंपनी की अचल संपत्तियों (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) को उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है और इस तरह के सत्यापन पर कोई सामग्री विसंगतियां नहीं देखी गई हैं।

(ग) कंपनी के अभिलेखों की हमारी परीक्षा के आधार पर हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अचल संपत्तियों के शीर्षक कर्मों को कंपनी के नाम पर रखा जाता है :

(1) कंपनी नरवांपहाड़ में 1128.32 एकड़ जमीन के अनुमेय कब्जे में है। इसके अलावा, तरामडीह में 31.77 एकड़ की अतिरिक्त भूमि, केलांग पेंगेंगसोइयनग मतवाभ में 290.45 हेक्टेयर जमीन, लंबापुर में 1337.62 एकड़ जमीन और गोगी में 39.13 हेक्टेयर जमीन के संबंध में पट्टे प्राप्त होने बाकी हैं।

(2) राज्य सरकार/निजी दलों से अधिग्रहित 1548.09 एकड़ भूमि कंपनी के कब्जे में है, जिससे संबंधित पंजीकरण का औपचारिक विलेख लंबित है, जिसकी लागत 1517.59 लाख रुपये है, जो संबंधित प्रमुख पट्टे की भूमि और फ्रीहोल्ड भूमि के तहत कंपनी की अचल संपत्ति में शामिल है।

(3) कंपनी 1986 से, मोसाबनी, झारखंड में 3 (तीन) एकड़ जमीन का उपयोग कर रही है। झारखण्ड सरकार द्वारा मांग नोटिस का भुगतान किया गया है और झारखंड सरकार के साथ लीज ट्रांसफर डीड प्रक्रियाधीन है।

2) कंपनी की सूची के संबंध में :

(क) जैसा कि हमें समझाया गया है, सूची को उचित अंतराल पर वर्ष के दौरान स्वतंत्र पेशेवरों द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है।

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा पीछा किए गए आविष्कारों की भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त है।

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी इन्वेंट्री के उचित रिकॉर्ड को बनाए रख रही है। सूची रिकॉर्ड की तुलना में इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन पर देखी गई विसंगतियां भौतिक नहीं थीं और खातों की पुस्तकों के भीतर निपटा दी गई थीं।

3) कंपनी ने अधिनियमों की धारा 189 के तहत बनाए रखा रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है। तदनुसार, उपरोक्त आदेश के खण्ड-3 [(iii) (ए) से (सी), के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

4) कंपनी ने न तो कोई ऋण दिया है और न ही कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है और न ही कोई निवेश किया है इसलिए धारा 185 और अधिनियम की धारा 186 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

5) कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 के अर्थ के भीतर जनता से किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है और नियमों के तहत तय किए गए हैं। इसलिए, आदेश के खंड 3(v) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

6) कंपनी को अपने उत्पादों के संबंध में अधिनियम की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता है। हमने व्यापक रूप से एक ही समीक्षा की है, और राय है कि, प्रथम दृष्टया, निर्धारित खाते और रिकॉर्ड बनाए और बनाए रखे गए हैं। हमने यह देखने के

लिए अभिलेखों की विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सही है या पूरी है।

7) कंपनी उचित प्राधिकरणों के साथ आम तौर पर निर्विवाद वैधानिक देय राशि जमा करने में नियमित रही है, जिसमें भविष्य निधि, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक देय राशि शामिल हैं। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त देय राशि के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि मार्च 31, 2020 तक बकाया नहीं थी, जो देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए है।

8) कंपनी ने किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंकों को बैलेंस शीट की तारीख तक ऋणों या उधारों के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है। कंपनी ने न तो कोई डिबेंचर जारी किया है और न ही बैलेंस शीट डेट पर सरकार से कोई ऋण या उधार लिया है। कंपनी ने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इडिया लिमिटेड से लिया गया असुरक्षित ऋण 100 करोड़ रुपए चुका दिया है, लेकिन ऋण या उधार लेने के बाद से ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है।

9) कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव/आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई पैसा नहीं बढ़ाया है।

10) कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी परीक्षा के दौरान, भारत में आम तौर पर स्वीकृत ऑडिटिंग प्रथाओं के अनुसार किया जाता है, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम न तो कंपनी द्वारा या पर किसी भी तरह की सामग्री धोखाधड़ी के मामले में आए हैं, वर्ष के दौरान देखा या रिपोर्ट किया गया, न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना दी गई है।

11) कंपनी सरकारी कंपनी होने के नाते अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान इस पर लागू नहीं होते हैं और तदनुसार आदेश के खंड 3 (ix) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

12) चूंकि कंपनी निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3 (xii) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

13) कंपनी ने अधिनियम की धारा 177 और 188 के प्रावधानों के साथ संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन में प्रवेश किया है। नोट संख्या 32 में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार आवश्यक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन के विवरण का खुलासा किया गया है।

14) वर्ष के दौरान अधिमान्य आवंटन/शेयरों के निजी प्लेसमेंट/पूर्ण/आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर के माध्यम से कोई पैसा नहीं उठाया गया, इसलिए, उक्त आदेश के खंड 3 (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

15) कंपनी ने अपने निदेशकों या उनके साथ जुड़े किसी व्यक्ति के साथ किसी भी गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3 (xv) कंपनी पर लागू नहीं है।

16) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, खंड 3 (xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते है।

कृते मेसर्स कदमावाला एड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

FRN: 323212E

CA राकेश कुमार जैन

साथी

M-No- 063654

यूडीआईएन : 20063654AAAAABX9029

स्थान : राऊरकेला

दिनांक : 07.10.2020

मेसर्स यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के भारतीय लेखा मानक के
वित्तीय विवरण पर हमारी तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध -III

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा 3 के खण्ड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने इस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ 31 मार्च, 2020 तक मेसर्स यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट नोट में आवश्यक आंतरिक घटकों पर विचार करना। भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट के इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के नीतियों के पालन, अपनी सपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान सहित अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से चल रहे थे। धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय ऑडिट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट (गाइडेंस नोट) और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए मानकों और कंपनी अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित माना जाता है। 2013 आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू और, भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी दोनों। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करते हैं और योजना के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था या नहीं और इस तरह के नियंत्रण सभी सामग्री के मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी ऑडिट में इन भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों और उनके संचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना शामिल है जो एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करता है। चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत मूल्यांकन के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और

आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओश को शामिल किया जाता है जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनुमति देने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैंय तथा (3) अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या कंपनी की संपत्ति के निपटान के समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर एक सामग्री प्रभाव डाल सकता है।

भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अतर्निहित सीमाओं की वजह से, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की सभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री की गड़बड़ी हो सकती है और पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओ के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट में मैटर पैराग्राफ के जोर में बताए गए कोविद-19 के प्रभाव के साथ पढ़ा है, भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2019 तक प्रभावी रूप से चल रहे थे, जो वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर स्थापित किए गए थे। कंपनी द्वारा चार्टर्ड इस्टीटउट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी किए गए आतरिक वित्तीय नियंत्रण से अधिक वित्तीय रिपोर्टिंग के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करना हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतरिक वित्तीय नियंत्रण है।

कृते मेसर्स कदमावाला एड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 323212E

CA राकेश कुमार जैन
साथी
M-No- 063654
यूडीआईएन : 20063654AAAAABX9029

स्थान : राऊरकेला
दिनांक : 07.10.2020

स्वंतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

मेसर्स यूरेनियम कॉरपोरशन ऑफ इडिया लिमिटेड

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पर ऑडिट रिपोर्ट

राय

हमने यूरेनियम कॉरपोरशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण का लेखा परीक्षा किया है, जिसमे 31 मार्च 2018 का तुलन पत्र, लाभ-हानि का विवरण, समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह और वित्तीय लेखे पर के नोट, साथ में महत्तवपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल हैं।

हमारी राय एवं बेहतर सूचनाओं तथा हमें दी गई व्याख्याओ के आधार पर पर्वोक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण, अधिनियम द्वारा आवश्यक वांक्षित सूचनाएं देता है और 31 मार्च 2018 को कंपनी अधिनियम 2013 के मामलों की स्थिति सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के साथ सत्य एवं स्पष्ट दृश्य अन्य व्यापक आय सहित इसके लाभ और वर्षांत तक के लिए इसका नकद प्रवाह को दर्शाता है।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग (एसएएस) के मानकों के अनुसार भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण का ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी की तरफ से स्वतंत्र हैं और इन्स्टिच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी अचार संहिता तथा साथ में कंपनी अधिनियम 2013 के अतर्गत तथा इसके अतर्गत नियमों के अनुसार वित्तीय विवरण का लेखा परिक्षण करते हैं, और हमने उस अचार संहिता की आवश्यकता के अनूरूप दायित्व का निर्वाहन किया है। हमें यकीन है कि जो साक्ष्य हमें मिला है वह हमारे राय के आधार के लिए भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण सही एवं पर्याप्त है।

मामले की अवधारणा

हम बिना अपनी राय को सिमित किये निम्नलिखित मामले की ओर ध्यानाकृष्ट करते हैं :

क) चूंकि हमने लॉकडाउन (कोविद -19 महामारी) के कारण हमारे कार्यालय से अपना ऑडिट किया है, इसलिए ऑडिट दस्तावेजों और विवरणों तक सीमित है और हम कंपनी के लेन-देन से संबंधित सहायक दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं कर पाए हैं। अतः हमारी ऑडिट राय प्रासंगिक दस्तावेजों तक सीमित है।

ख) दो कार्यों से कुल लागत के बागजाता के सम्बन्ध में प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य से सम्बंधित लेखे की टिप्पणी 4 (घ) में कार्य (i) डिजाइनिंग सिंकिंग लाइनिंग कार्य 375 मीटर गहरी, 5 मीटर डायमीटर वर्टिकल शाफ्ट जिसका मूल्य 2059.22 लाख रुपये तथा कार्य (ii) यूसिल में उपलब्ध पुराने 560kw वाइन्डर और हेड फ्रेम को जिसमें डिजाइन, इरेक्शन और 100.00 लाख की कुल विंडर सिस्टम की कमीशनिंग शामिल है, जो 2159.22 लाख रुपये का कुल मूल्य बना रही है, को कुल 4254.39 लाख की राशि में पूंजीगत कार्य में शामिल किया गया है। ठेकेदार को कार्य दिया गया और ठेकेदार कार्य को विस्तारित तिथि 31.12.2014 इस पूरा करने में असफल रहा। कंपनी ने 247.61 लाख की जो अर्नेस्ट मनी डिपाजिट (ईएमडी) बैंक गारंटी के रूप में लिया था जिसकी अवधि 14.01.2015 को समाप्त हो गई। लंबित कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 2159.22 लाख रूपये का है जो कि किसी विशेषज्ञ द्वारा मूल्यांकित कर नियमानुसार व्यवहार किया जायेगा। कंपनी ने कानूनी प्रक्रिया आरम्भ की है और मामला 3 वर्ष की समयावधि की समाप्ति के बाद मध्यस्थता की स्थिति में है।

ग) वर्ष 2017-18 के लिए प्रयोज्य दर पर यूरेनियम सांद्र की राजस्व की मान्यता से सम्बंधित लेखों की टिप्पणी संख्या 21 ´इद्ध परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है। हालाँकि, वर्ष 2018-19 के लिए यूरेनियम सांद्र के मुआवजे की लंबित अंतिम दर को परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा निश्चित की गई है, परिचालन से राजस्व का निर्धारण करने के लिए वर्ष 2017-18 के लिए लागू दर पर विचार किया जाना है।

घ) लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी संख्या 35.2 से सम्बंधित नरवापहाड़ में 1128.32 एकड़ खनन पट्टे का कार्य लंबित है। 31.77 एकड़ अतिरिक्त जमीन तुरामडीह के लिए

290.45 हेक्टेयर जमीन केलेंग पेंडिंग सोहियोंग मावथावा में, 1337.62 एकड़ जमीन लाम्बापुर एवं गोगी में 39.13 हेक्टेयर जमीन का खनन पट्टा अभी प्राप्त किया जाना है।

ड.) लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी संख्या 35.3 सम्बंधित राज्य सरकारधनिजी पार्टी से अधिग्रहित 1517.59 एकड़ भुमि जिसका मुल्य 1517.59 लाख रूपया है का हस्तांतरण विलेख लंबित है।

च) लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी संख्या 35.3 कंपनी मुसाबनी, झारखण्ड में 1986 से 3 एकड़ जमीन का उपभोग कर रही है। झारखण्ड सरकार द्वारा उठाय गए डिमांड नोट का भुगतान कर दिया गया है और झारखण्ड सरकार के साथ पट्टा हस्तांतरण का कार्य प्रगति पर है।

छ) नोट संख्या 31.12 लेखा पर अतिरिक्त नोट, जो लॉक-डाउन के कारण प्रबंधन के वित्तीय प्रभाव के आकलन की व्याख्या करता है और COVID-19 महामारी की स्थिति से संबंधित अन्य प्रतिबंधों और शर्तों, जिसके लिए प्रबंधन को कंपनी में दीर्घकालिक जोखिम के लिए कोई माध्यम नहीं दिखता है और कंपनी की क्षमता से अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए सक्षम है। इसके अलावा, सरकार द्वारा जारी वर्तमान लॉकडाउन प्रतिबंधों के तहत हमारी उपस्थिति अव्यावहारिक थी और इसलिए दस्तावेज ऑनलाइन मोड के माध्यम से हमें उपलब्ध कराए गए थे।

ज) कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत धारा 115 बीएए की शुरूआत के अनुरूप, कंपनी के पास संचित मैट क्रेडिट की कमी और अतिरिक्त मूल्यह्रास को आगे बढ़ाने सहित कुछ कर प्रोत्साहनों में परिणामी कमी के साथ कम कर दर पर स्थानांतरण का एक अपरिवर्तनीय विकल्प है। कंपनी ने इस विकल्प का प्रयोग किया है और वित्त वर्ष 2019-20 से कर की निम्न दर पर स्थानांतरित कर दिया है।

वित्तीय विवरण एवं लेखा परिक्षण प्रतिवेदन के अतिरिक्त अन्य सूचना

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। वार्षिक रिपोर्ट में अन्य जानकारी शामिल है लेकिन इसमें भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परिक्षण रिपोर्ट शामिल नहीं है। लेखा परिक्षण रिपोर्ट के उपरांत बोर्ड रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराने की उम्मीद है।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के लिए जो हमारी राय है उसमे अन्य सूचना शामिल नहीं है और उसके लिए हम किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष के किसी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

दूसरी जानकारी को पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है और ऐसा करते हुए, विचार करना कि अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ या हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी के साथ असंगत है अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होते हैं।

हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस तथ्य की जानकारी देने के लिए हमें इस तथ्य की जानकारी देना आवश्यक है। हमें इस सम्बन्ध में कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मण्डल कंपनी अधिनियम 2013 की धरा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है जिससे कि भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की तैयारी जो कंपनी की वित्तीय स्थिति की सही एवं साफ तस्वीर पेश करती है तथा वित्तीय म्हत्वपादन अन्य व्यापक आय सहित एवं कंपनी का नकद प्रवाह भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन पद्धति के अनुसार है जिसमें अधिनियम की धरा 133 के अन्तर्गत लेखांकन सिद्धांत भी शामिल हैं। इस दायित्व में पर्याप्त लेखांकन आँकड़े अधिनियम के अनुसार हैं जो कंपनी की निधि की सुरक्षा तथा अन्य अनियमितताओ को प्रकट करने के लिए तथा सही लेखांकन नीति का चुनाव करने के लिए तथा सही एवं सटीक अनुमान तथा निर्णय के लिए तथा वित्तीय विवरण की तयारी एवं अनुपालन के लिए जो की भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की तयारी एवं भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण में दर्शाये गए आँकड़े सही एवं स्पस्ट छवि पेश करें जो किसी भी प्रकार की महत्तवपूर्ण त्रुटि से परे हो चाहे गलती से या गबन से हो।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की तयारी में प्रबंधन का दायित्व है की वह कंपनी की दक्षता का आकलन कर इसे चालू संस्था के आधार पर तथा चालू संस्था के लेखांकन के आधार पर करे, जब तक कि निदेशक मण्डल की मंशा कंपनी का समापन या बंद करने का नहीं है तथा ऐसे किसी विकल्प के लिए नहीं है।

निदेशक मण्डल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या म्हत्वपूर्ण रूप से भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण भौतिक दुर्व्यवहार से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि SAs के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा, जब यह मौजूद रहे। गलतफहमी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और माना जाता है कि सामग्री, यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, तो इन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर हमसे लिए गए आर्थिक फैसलों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं, हम भी :

- भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करते हैं और उनका आकलन करते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए ऑडिट प्रक्रियाओ को डिजाइन और निष्पादित करते हैं और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करन के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखेबाजी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली एक से अधिक सामग्री के गलत होने का जोखिम न उठाना या त्रुटि के परिणामस्वरूप जो कि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर, गलत बयानी, या आतरिक नियंत्रण की अधिकता शामिल हो सकती है।
- ऑडिट प्रक्रियाओ को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के लिए आश्तरिक नियंत्रण के लिए प्रासंगिक आतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनियों के अधिनियम, 2013 की धारा 143(3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय विवरण के संदर्भ में और इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों और लेखा अनुमानों के तर्क और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित खुलासों के मूल्यांकन का मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन की चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालन, और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या एक घटना या शर्तों से सम्बंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर महत्तवपूर्ण सदेह डाल सकती है जो एक क्र"इता का विषय है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक परिपक्वता अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि वित्तीय विवरणों में इस तरह के खुलासे या, यदि इस तरह के खुलासे हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओ या स्थितियों से कंपनी को क्र"इता का विषय बना रह सकता है।
- खुलासे सहित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, सरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना कि क्या भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अतर्निहित लेनदेन और घटनाओ का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।
- हम उन लोगों के साथ शासन के बारे में बातचीत करते हैं, जो ऑडिट के नियत दायरे और समय और महत्तवपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ-साथ आतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्तवपूर्ण कमी को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।
- हम उन लोगों को एक बयान के साथ शासन प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओ के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ सवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और सुरक्षा उपाय से संबंधित जहां लागू हो।
- हम नैतिक आवश्यकताओ के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं जो वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन आवश्यकताओ के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है।

अन्य मामलों

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुई कंपनी की तुलनात्मक वित्तीय जानकारी, पूर्ववर्ती जारी किए गए वैधानिक वित्तीय विवरणों पर आधारित है, जो पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक मेसर्स रमेश के. - कं. जिनकी वर्ष के लिए रिपोर्ट 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुई 25 सितंबर, 2019 को उनके वित्तीय वक्तव्यों पर अयोग्य राय व्यक्त की गई।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओ पर रिपोर्ट

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत आवश्यक है, हम अनुलग्नक 1 में देते हैं, ऑडिट की सुझाई गई कार्यप्रणाली का अनुपालन करने के बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर एक बयान, उस पर की गई कार्र वाई और कंपनी के खातों और वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव।

2. जैसा कि कंपनियों (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार आवश्यक है, कंपनियों के अधिनियम 143, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी, हम देते हैं 'अनुलग्नक-II' आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान लागू सीमा तक लागू होता है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   क) हमने उन सभी सूचनाओ और स्पष्टीकरणों की तलाश की और प्राप्त की, जो हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सर्वोत्तम थे।

   ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून की आवश्यकता के अनुसार उचित पुस्तकों को अभी तक रखा गया है, क्योंकि यह उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है।

   ग) इस रिपोर्ट द्वारा दी गई बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण अन्य व्यापक आय सहित और कैश फ्लो स्टेटमेंट खाते की पुस्तकों के साथ हैं।

   घ) हमारी राय में, उपरोक्त भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, कंपनियों (भारतीय लेखा मानकों) के नियमों, 2015 में संशोधन के साथ पढ़ा जाता है।

   ड.) कंपनी सरकारी कंपनी होने के नाते, धारा 164 (2) और धारा 197 के प्रावधान एमसीए द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार लागू नहीं हैं। तदनुसार, धारा 143 के खंड 3 (जी) और 3 (i) के संबंध में कोई रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

   च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, 'अनुलग्नक III' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

   ज) कंपनी के ऑडिट नियम (ऑडिट एड ऑडिटर्स) नियम, 2014 के अनुसार, हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और उन्हें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में :

      i. कंपनी ने लंबित मुकदमों और उसकी भारतीय लेखा मानक के वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का खुलासा किया है। वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 31 को संदर्भित करें।

      ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए किसी भी तरह की सामग्री नुकसानदेह थी।

      iii- कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और सरक्षण कोष में हस्तांतरित किए जाने के लिए कोई राशि नहीं थी।

कृते मेसर्स कदमावाला एड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 323212E

CA राकेश कुमार जैन
साथी
M-No- 063654
यूडीआईएन : 20063654AAAAAW7699

स्थान : जादूगोड़ा
दिनांक : 17.08.2020

मेसर्स यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरण पर हमारी तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध – I

(हमारी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर 'रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

निर्देश	उत्तर
क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास व्यवस्था है? यदि हाँ, तो इंडियात्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ खातों की अखडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जा सकते हैं।	प्राप्त जानकारी के अनुसार, कंपनी के पास ओएलएफएएस लेखा पैकेज है और सभी लेखांकन लेनदेन आईटी सिस्टम के माध्यम से दर्ज किए जाते हैं। आईटी प्रणाली के बाहर सभी लेखांकन लेनदेन विधिवत रूप से लेखांकन पैकेज में दर्ज किए जाते हैं और फिर सिस्टम से वाउचर उत्पन्न होते हैं और सहायक भौतिक दस्तावेजों के साथ दायर किए जाते हैं। हालाँकि, हमारे पास कंपनी द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रणाली तक कोई पहुंच नहीं है क्योंकि हमने लॉकडाउन (कोविद -19 महामारी) के कारण हमारे कार्यालय से ऑडिट किया है।
कृपया रिपोर्ट करें कि क्या किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन हो रहा है या कंपनी को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/लिखावट के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जा सकता है।	मौजूदा ऋण के किसी भी पुनर्गठन या छूट/ऋण/ऋण/ब्याज आदि को लिखने के मामले नहीं थे।
क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि/प्राप्य को इसकी अवधि और शर्तों के अनुसार ठीक से उपयोग/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाए।	प्रबंधन से प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त धनराशि का उसके कार्यकाल और शर्तों के अनुसार सही तरीके से उपयोग/उपयोग किया गया था।

कृते मेसर्स कदमावाला एड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 323212E

CA राकेश कुमार जैन
साथी
M-No- 063654
यूडीआईएन : 20063654AAAAAW7699

स्थानरू जादूगोड़ा
दिनांक : 17.08.2020

मेसर्स यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरण पर हमारी तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध –II

(हमारी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओश पर 'रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

1) कंपनी के अचल संपत्ति के संबंध में :

(क) कंपनी पूर्ण विवरणों को दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए हुए है जिसमें अचल संपत्तियों (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) का विवरण और स्थिति शामिल है।

(ख) कंपनी की अचल संपत्तियों (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) को उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है और इस तरह के सत्यापन पर कोई सामग्री विसंगतियां नहीं देखी गई हैं।

(ग) कंपनी के अभिलेखों की हमारी परीक्षा के आधार पर हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अचल संपत्तियों के शीर्षक कर्मों को कंपनी के नाम पर रखा जाता है :

(1) कंपनी नरवांपहाड़ में 1128.32 एकड़ जमीन के अनुमेय कब्जे में है। इसके अलावा, तरामडीह में 31.77 एकड़ की अतिरिक्त भूमि, केलांग पेंगेंगसोइयनग मतवाभ में 290.45 हेक्टेयर जमीन, लंबापुर में 1337. 62 एकड़ जमीन और गोगी में 39.13 हेक्टेयर जमीन के संबंध में पट्टे प्राप्त होने बाकी हैं।

(2) राज्य सरकार/निजी दलों से अधिग्रहित 1548.09 एकड़ भूमि कंपनी के कब्जे में है, जिससे संबंधित पंजीकरण का औपचारिक विलेख लंबित है, जिसकी लागत 1517.59 लाख रुपये है, जो संबंधित प्रमुख पट्टे की भूमि और फ्रीहोल्ड भूमि के तहत कंपनी की अचल संपत्ति में शामिल है।

(3) कंपनी 1986 से, मोसाबनी, झारखंड में 3 (तीन) एकड़ जमीन का उपयोग कर रही है। झारखण्ड सरकार द्वारा मांग नोटिस का भुगतान किया गया है और झारखंड सरकार के साथ लीज ट्रांसफर डीड प्रक्रियाधीन है।

2) कंपनी की सूची के संबंध में :

(क) जैसा कि हमें समझाया गया है, सूची को उचित अंतराल पर वर्ष के दौरान स्वतंत्र पेशेवरों द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है।

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा पीछा किए गए आविष्कारों की भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त है।

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी इन्वेंट्री के उचित रिकॉर्ड को बनाए रख रही है। सूची रिकॉर्ड की तुलना में इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन पर देखी गई विसंगतियां भौतिक नहीं थीं और खातों की पुस्तकों के भीतर निपटा दी गई थीं।

3) कंपनी ने अधिनियमों की धारा 189 के तहत बनाए रखा रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है। तदनुसार, उपरोक्त आदेश के खण्ड-3 [(iii) (ए) से (सी)] के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

4) कंपनी ने न तो कोई ऋण दिया है और न ही कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है और न ही कोई निवेश किया है इसलिए धारा 185 और अधिनियम की धारा 186 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

5) कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 के अर्थ के भीतर जनता से किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है और नियमों के तहत तय किए गए हैं। इसलिए, आदेश के खंड 3(v) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

6) कंपनी को अपने उत्पादों के संबंध में अधिनियम की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता है। हमने व्यापक रूप से एक ही समीक्षा की है, और राय है कि, प्रथम दृष्टया, निर्धारित खाते और रिकॉर्ड बनाए और बनाए रखे गए हैं। हमने यह देखने के लिए अभिलेखों की विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सही है या पूरी है।

7) कंपनी उचित प्राधिकरणों के साथ आम तौर पर निर्विवाद

वैधानिक देय राशि जमा करने में नियमित रही है, जिसमें भविष्य निधि, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक देय राशि शामिल हैं। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त देय राशि के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि मार्च 31, 2020 तक बकाया नहीं थी, जो देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए है।

8) कंपनी ने किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंकों को बैलेंस शीट की तारीख तक ऋणों या उधारों के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है। कंपनी ने न तो कोई डिबेंचर जारी किया है और न ही बैलेंस शीट डेट पर सरकार से कोई ऋण या उधार लिया है। कंपनी ने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इडिया लिमिटेड से लिया गया असुरक्षित ऋण 100 करोड़ रुपए चुका दिया है, लेकिन ऋण या उधार लेने के बाद से ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है।

9) कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव/आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई पैसा नहीं बढ़ाया है।

10) कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी परीक्षा के दौरान, भारत में आम तौर पर स्वीकृत ऑडिटिंग प्रथाओं के अनुसार किया जाता है, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम न तो कंपनी द्वारा या पर किसी भी तरह की सामग्री धोखाधड़ी के मामले में आए हैं, वर्ष के दौरान देखा या रिपोर्ट किया गया, न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना दी गई है।

11) कंपनी सरकारी कंपनी होने के नाते अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान इस पर लागू नहीं होते हैं और तदनुसार आदेश के खंड 3 (ix) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

12) चूंकि कंपनी निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3 (xii) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

13) कंपनी ने अधिनियम की धारा 177 और 188 के प्रावधानों के साथ संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन में प्रवेश किया है। नोट संख्या 32 में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार आवश्यक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन के विवरण का खुलासा किया गया है।

14) वर्ष के दौरान अधिमान्य आवंटन/शेयरों के निजी प्लेसमेंट/पूर्ण/आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर के माध्यम से कोई पैसा नहीं उठाया गया, इसलिए, उक्त आदेश के खंड 3 (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

15) कंपनी ने अपने निदेशकों या उनके साथ जुड़े किसी व्यक्ति के साथ किसी भी गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3 (xv) कंपनी पर लागू नहीं है।

16) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, खंड 3 (xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते है।

कृते मेसर्स कदमावाला एड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 323212E

CA राकेश कुमार जैन
साथी
M-No- 063654
यूडीआईएन : 20063654AAAAAW7699

स्थान : जादूगोड़ा
दिनांक : 17.08.2020

मेसर्स यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के भारतीय लेखा मानक के
वित्तीय विवरण पर हमारी तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध -III

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा 3 के खण्ड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने इस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ 31 मार्च, 2020 तक मेसर्स यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट नोट में आवश्यक आंतरिक घटकों पर विचार करना। भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट के इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के नीतियों के पालन, अपनी सपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान सहित अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से चल रहे थे। धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय ऑडिट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट (गाइडेंस नोट) और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए मानकों और कंपनी अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित माना जाता है। 2013 आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू और, भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी दोनों। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करते हैं और योजना के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था या नहीं और इस तरह के नियंत्रण सभी सामग्री के मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी ऑडिट में इन भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों और उनके संचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना शामिल है जो एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करता है। चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत मूल्यांकन के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी

उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओश को शामिल किया जाता है जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनुमति देने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैंय तथा (3) अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या कंपनी की संपत्ति के निपटान के समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर एक सामग्री प्रभाव डाल सकता है।

भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अतर्निहित सीमाओं की वजह से, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की सभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री की गड़बड़ी हो सकती है और पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओ के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट में मैटर पैराग्राफ के जोर में बताए गए कोविद-19 के प्रभाव के साथ पढ़ा है, भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2019 तक प्रभावी रूप से चल रहे थे, जो वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर स्थापित किए गए थे। कंपनी द्वारा चार्टर्ड इस्टीटउट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी किए गए आतरिक वित्तीय नियंत्रण से अधिक वित्तीय रिपोर्टिंग के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करना हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतरिक वित्तीय नियंत्रण है।

कृते मेसर्स कदमावाला एड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 323212E

CA राकेश कुमार जैन
साथी
M-No- 063654
यूडीआईएन : 20063654AAAAAW7699

स्थान : जादूगोड़ा
दिनांक : 17.08.2020

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग
ए.जी.सी.आर.भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली-110002

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
ENVIRONMENT & SCIENTIFIC DEPARTMENTS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE
NEW DELHI-110002

DGA(ESD)/EA/110/Accs.-UCIL /2020-21/436 Dated: 06/11/2020

सेवा में,

Shri C.K. Asnani
Chairman & Managing Director Uranium Corporation of India Limited
PO: Jaduguda Mines,
Singhbhum East,
Jharkhand – 832 102.

विषयः भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 (6)(ब) के अंतर्गत Uranium Corporation of India Limited के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तिय खातों पर टिप्पणियां

महोदय,

इस पत्र के साथ, कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत UCIL के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तिय खातों, पर प्रमाणपत्र भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

संलग्नः यथोपरि

संजय कुमार झा
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत 31मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लेखे पर भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणीयां

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत बनाये गए वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसरण में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करना कंपनी प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरण के बारे में सनदी लेखपाल संरक्षण के व्यवसायिक संसथान के निर्धारित मानक के तहत अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निष्पक्ष रूप से लेखा परीक्षा करने का हमारा दायित्व है। यह उनके संशोधित लेखा प्रतिवेदन दिनांक 7 अक्टूबर 2020 के द्वारा किया गया है जो उनकी पिछली ऑडिट रिपोर्ट में 17 अगस्त 2020 के स्थान पर है।

भारत के नियंत्रक एवं माहलेखा परिक्षक की ओर से मैंने 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अनुपूरक लेखा परीक्षा, अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत किया गया है। अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा कार्यरत कागजातों को देखे बिना एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी के प्रतिवेदनों द्वारा प्रांरभिक पूछताछ एवं कुछ चुने गए कागजातों एवं लेखा रेकॉर्डों के आधार पर किया गया है।

वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में किए गए संशोधन (नो) को देखते हुए, पूरक लेखा परीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे कुछ ऑडिट अवलोकन के प्रभाव को देने के लिए, मेरे पास अधिनियम की धारा 143 (6)(बी) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर पेश करने या पूरक करने के लिए कोई और टिप्पणी नहीं है।

कृते
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रक
महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 06.11.2020

31 मार्च, 2020 तक तुलन–पत्र

रु. लाख में

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
संपत्ति			
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां			
संपत्ति, सयत्र और उपकरण	3	185,677.62	188,238.52
प्रगतिधीन कार्य पूजी	4	27,023.39	34,624.73
अमूर्त परिसंपत्तियां	5	4,893.33	7,283.91
वित्तीय परिसंपत्तियां			
- ऋण	6	766.92	836.22
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	13	6,581.37	856.97
अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	7	267.45	172.98
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां		**2,25,210.08**	2,32,013.33
वर्तमान संपत्ति			
मालसूची (इन्वेंटरी)	8	23,214.41	22,452.60
वित्तीय परिसंपत्तियां			
- व्यापार प्राप्य	9	155,502.26	101,918.03
- नकद और नकद समत ल्य	10	32,204.78	18,163.11
- नकद और नकद समतुल्यों के अलावा बैंक शेष राशि	11	54.17	5,204.65
- ऋण	6	2,820.53	2,637.42
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	13	1,174.54	920.06
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	14	4,177.17	2,820.65
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		**219,147.86**	154,116.52
कुल परिसंपत्तियां		**444,357.94**	386,129.85
इक्विटी और देनदारियां			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूँजी	15	206,961.78	206,961.78
अन्य इक्विटी	16	113,865.45	75,279.81
कुल इक्विटी		**320,827.23**	282,241.59
देयताए			
गैर-वर्तमान देनदारियां			
वित्तीय देनदारियां			
- अन्य वित्तीय देनदारियां	17(c)	1,860.16	1,893.55
प्रावधान	18	11,943.34	8,672.48
आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)	19	13,269.01	18,570.61
कुल गैर-वर्तमान देनदारियां		**27,072.51**	29,136.64
वर्तमान देनदारियां			
वित्तीय देनदारियां		-	
- उधार	17(a)	-	10,000.00
- व्यापार देय			
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया	17(b)	183.29	43.06
उपर्युक्त के अलावा	17(b)	7,311.06	5,145.64
- अन्य वित्तीय देनदारियां	17(c)	66,612.60	45,926.03
प्रावधान	18	3,774.93	3,258.39
वर्तमान कर देनदारियां (शुद्ध)	12	12,714.18	6,067.53
अन्य वर्तमान देनदारियां	20	5,862.14	4,310.97
कुल वर्तमान वर्तमान		**96,458.20**	74,751.62
कुल देनदारियां		**123,530.71**	103,888.26
कुल इक्विटी और देनदारियां		**444,357.94**	386,129.85
महत्तवपूर्ण लेखांकन नीतियां	1,2		

संलग्न टिपण्णियाँ इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न भाग हैं। संलग्न समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स कदमावाला एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 323212E

CA राकेश कुमार जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या : 063654
यूडीआईएन : 20063654AAAAAW7699

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

बी सी गुप्ता	**एस आर प्रणेश**	**देबाशीष घोष**	**सी के असनानी**
कपनी सचिव	निदेशक (तकनीकी)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
एईआरपीजी 9596 सी	डीआईएन : 08477517	डीआईएन : 07252959	डीआईएन 03497356

स्थान : राउरकेला
दिनांक : 11-08-2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरणी

रु. लाख में

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
आय			
परिचालन से राजस्व	21	238,656.97	201,393.02
अन्य आय	22	3,302.61	2,086.26
कुल आय		**2,41,959.58**	203,479.28
व्यय			
खपत सामग्री की लागत	23 (a)	18,174.08	17,984.42
तैयार माल और जारी कार्य की सूची में परिवर्तन	23 (b)	(-878.01)	11,483.34
कर्मचारी लाभ व्यय	24	54,070.04	47,125.81
वित्तीय लागत मूल्य	25	1,059.80	869.58
ह्रास और परिशोधन व्यय	26	25,723.45	21,139.03
अन्य व्यय	27	84,126.84	65,608.35
कुल व्यय		**1,82,276.20**	**1,64,210.53**
कर से पहले लाभ / (हानि)		59,683.38	39,268.75
कर व्यय			
(1) वर्तमान कर	28		
(2) आस्थगित कर	28	16,458.33	8,171.94
कुल कर व्यय		**(-4,979.78)**	10,828.58
		11,478.55	19,000.52
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)		48204.83	20,268.23
अन्य व्यापक आमदनी		(-3694.14)	(-2,017.62)
ऐसे वस्तुएं जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा शुद्ध		**321.82**	21.98
परिभाषित लाभ योजनाओं की पुनः माप		(-3372.32)	(-1,995.64)
उपरोक्त वस्तुओं से संबंधित आयकर			
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध)		44832.51	18,272.59
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय			
प्रति शेयर आय			
बेसिक और डाइल्यूट	29	235.91	99.19

संलग्न टिपण्णियाँ इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न भाग हैं।

संलग्न समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स कदमावाला एड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 323212E

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

CA राकेश कुमार जैन	बी सी गुप्ता	एस आर प्रणेश	देबाशीष घोष	सी के असनानी
भागीदार	कपनी सचिव	निदेशक (तकनीकी)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्या : 063654	एईआरपीजी 9596 सी	डीआईएन : 08477517	डीआईएन : 07252959	डीआईएन 03497356
यूडीआईएन : 20063654AAAAAW7699				

स्थान : जादूगोड़ा
दिनांक : 17.08.2020

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर कैपिटल

रु. लाख में

विवरण	राशि (रु में)
रुपये के इक्विटी शेयर रु 1,000 प्रत्येक जारी किए गए, सदस्यता लिया और पूरी तरह से भगुतान किया गया	
1 अप्रैल 2018 को	1,81,561.78
शेयर पूँजी जारी करना	25,400.00
31 मार्च 2019 को	2,06,961.78
शेयर पूँजी जारी करना	-
31 मार्च 2020 को	**2,06,961.78**

ख. अन्य इक्विटी

रु. लाख में

विवरण	शेयर आवेदन धन लंबित आवंटन	आरक्षित और अधिशेष		
		सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	कुल
1 अप्रैल 2018	23,900.00	14,336.03	46,525.15	84,761.18
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	20,268.23	20,268.23
प्राप्त राशि	1,500.00	-	(-1,995.64)	(-1,995.64)
शेयर निर्गमन	(-25,400.00)	-	-	1,500.00
प्रदत्त लाभांश	-	-	-	(-25,400.00)
लाभांश वितरण कर (डीडीटी)	-	-	(-3,202.00)	(-3,202.00)
31 मार्च 2019	-	-	(-651.96)	(-651.96)
	-	**14,336.03**	**60,943.78**	**75,279.81**
वर्ष के लिए लाभ	-		48,204.83	48,204.83
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-		(-3,372.32)	(-3,372.32)
प्राप्त राशि	1,500.00		-	1,500.00
शेयर निर्गमन			-	-
प्रदत्त लाभांश			(-6,426.00)	(-6,426.00)
लाभांश वितरण कर (डीडीटी)			(-1,320.87)	(-1,320.87)
31 मार्च 2019	**1,500.00**	**14,336.03**	**98,029.42**	**1,13,865.45**

सामान्य आरक्षित :-

आरक्षित को इक्विटी के एक घटक से विनियोजन द्वारा बनाया गया था, अर्थात अन्य के लिए प्रतिधारित आय, अन्य व्यापक आय के एक मद के रूप में नहीं है।

संलग्न समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स कदमावाला एड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 323212E

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

CA राकेश कुमार जैन	बी सी गुप्ता	एस आर प्रणेश	देबाशीष घोष	सी के असनानी
भागीदार	कपनी सचिव	निदेशक (तकनीकी)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्या : 063654	एईआरपीजी 9596 सी	डीआईएनः 08477517	डीआईएनः 07252959	डीआईएन 03497356
यूडीआईएन : 20063654AAAAAW7699				

स्थान : जादूगोड़ा
दिनांक : 17-08-2020

यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा पर टिप्पणियां

(i) कॉर्पोरेट जानकारी

यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) (कंपनी) एक सार्वजनिक कंपनी है जो शेयरों द्वारा सीमित है, कंपनी का गठन 4 अक्टूबर, 1967 को किया गया और भारत में अवस्थित है। यह परमाणु ऊर्जा इंडियाभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो परमाणु ऊर्जा चक्र में सबसे अग्रणी है। दबाव वाले भारी जल रिएक्टरों के लिए यूरेनियम की आवश्यकता को पूराकरते हुए, यूसीआईएल देश की परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में बहुत महत्तवपूर्ण भूमिका निभाता है। यूसीआईएल एक ISO 9001:2008, 14001:2004 और IS 18001:2007 कंपनी है और कंपनी ने अपनी खदानों एवं प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियाँ अपनायी हैं।

(ii) महत्वपूर्ण लेखा नीतिया

2.1 तैयारी करने के लिए आधार

वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (Ind AS), कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रासंगिक प्रावधानों, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और अन्य लागू वैधानिक कानूनों के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों पर लेखांकन नीतियों को निरंतर लागू किया जाता है।

2.2 माप का आधार

वित्तीय विवरण निम्नलिखित मामलों को छोड़कर व्यवसाय की निरंतरता की अवधारणा और उपार्जन/वृद्धि आधार तथा ऐतिहासिक लागत की परंपरा के तहत तैयार किए गए है :

क) मेडिकल स्टोर, खेल सामग्रियाँ तथा कैंटीन एवं अतिथि गृह के लिए प्रावधान नकद आधार पर किया जाता है अर्थात उन्हें खरीद के समय व्यय में शामिल किया जाता है,

ख) परिभाषित लाभ योजना - उचित मूल्य पर मापी गयी योजना परिसंपत्ति और

ग) उचित मूल्य पर मापे गये खदान बंदी दायित्व।

2.3 अनुमानों और निर्णयों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के दौरान इस्तेमाल किय गए अनुमानों एवं निर्णयों का कंपनी द्वारा निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और ये ऐतिहासिक अनुभव एवं विभिन्न अन्य मान्यताओं तथा कारकों (भविष्य की घटनाओं की संभावनाओ सहित) पर आधारित हैं, जिन्हें कंपनी मौजूदा परिस्थितियों के तहत उचित समझती है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें परिणाम ज्ञात/प्रकट होते हैं।

उक्त अनुमान वैसे तथ्यों और घटनाओं पर आधारित हैं, जो रिपोर्टिंग की तिथि को विद्यमान थीं, या उस तिथि के बाद घटित हुई लेकिन रिपोर्टिंग की तिथि को विद्यमान स्थितियों के बारे में अतिरिक्त साक्ष्य उपलब्ध कराती हैं।

2.4 कार्यात्मक मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा अंतरण

क. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा और उसके अधिकांश संचालनों के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपयों (रु) में है, जो उस आर्थिक परिवेश की मुख्य मुद्रा है, जिसमें कंपनी काम करती है, और इसे लाख रुपये में दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया गया है, यदि अन्यथा घोषित न किया गया हो।

ख. लेनदेन और शेष

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को लेनदेन की तारीख को लाग विनिमय दर का उपयोग करते हुए कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अत में बकाया विदेशी मुद्राओं में वर्णित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों का अतरण रिपोर्टिंग अवधि के अत में लागू विनिमय दरों पर किया जाता है। विदेशी मुद्रा में वर्णित गैर-मौद्रिक सामग्रियों का मूल्यांकन लेनदेन की तिथि पर लागू विनिमय दरों पर किया जाता है।

मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के निपटान या मुद्रा की परिसंपत्तियों और देनदारियों को, शुरूआती मान्यता के दौरान या पिछले वित्तीय विवरणों में अतरण करने की दर से भिन्न दर पर, अन्तरित करने की वजह से उत्पन्न विनिमय अंतर को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, और पूंजीगत परसंपत्ति के मामले में उत्पन्न होने वाले अन्तर को अचल परिसंपत्तियों/पूजी में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

2.5 वर्तमान और गैर–वर्तमान वर्गीकरण

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को, जब वे कंपनी के सामान्य संचालन चक्र, अर्थात बारह महीने, के भीतर देय होती हैं, वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और पट्टे की भूमि को ऐतिहासिक लागत पर अग्रेनीत किया जाता है। ऐतिहासिक लागत में वैस व्यय शामिल होते हैं जिनका संबंध भूमि अधिग्रहण से जोड़ा जा सकता है, जैसे कि पुनर्वास खर्च, पुनर्वास लागत और सम्बंधित विस्थापित व्यक्तियों पर खर्च की गयी मुआवजा राशि इत्यादि।

नई खदान की स्थापना पर होने वाले व्यय को नयी खदान के ऐस निर्माण के दौरान उत्पादित अयस्क से हुई आमदनी को घटाने के बाद पूँजीकृत किया जाता है।

सिस्टम सॉफ्टवेयर को संबंधित संपत्तियों के साथ पूँजीकृत किया जाता है।

अन्य सभी संपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों को ऐतिहासिक लागत घटाव संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति हानि के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। परियोजनाओं से सम्बंधित पूर्व-परिचालनात्मक व्यय, वैसे खर्च जो सीधे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण या स्वतःनिर्माण से सम्बंधित हैं, और एरेक्शन/इस्टॉलेशन पर किया गया व्यय तथा परिसंपत्तियों को उनके असली उद्देश्य के अनुसार काम करने की स्थिति में लान पर हुए अन्य संबंधित खर्च को लागत में शामिल किया जाता है।

कंपनी द्वारा, उत्पादन, वस्तुओं की आपूर्ति या कंपनी की किसी भी वर्तमान परिसंपत्ति तक पहुंचने के लिए आवश्यक कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण धविकास पर किये गये पूजीगत व्यय को, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत सक्षमकारी परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है।

जब भी किसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के महत्तवपूर्ण हिस्सों की उपयोगी आयु अलग-अलग होती है, तब उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की पृथक सामग्रियों (अवयवों) के रूप में लेखांकित किया जाता है। दैनिक सर्विसिंग पर आनेवाली लागत, जिसे मरम्मत और रखरखाव के रूप में वर्णित किया जाता है, को उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, जिस अवधि में उसे खर्च किया गया हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के पहले से ही पूँजीकृत मद पर होन वाले परवर्ती व्यय को तब पूँजीकृत किया जाता है जब यह किसी मौजूदा मद के संभावित आर्थिक लाभों को बढ़ाता है और इस भविष्य अपेक्षी रूप से अवमूल्यित किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के निपटान या उस सेवा से हटाये जाने पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

इन्श्योरेंस स्पेयर्स, जिनका इस्तेमाल केवल संपत्ति, संयंत्र, उपकरण एवं उनके उपयोग के किसी मद के सिलसिले में ही किया जा सकता है और जिनका उपयोग अनियमित रहने की सभावना होती है, को पूँजीकृत किया जाता है। आपातोपयोगी उपकरणों को संपत्ति, संयंत्र या उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि वे उत्पादन या माल अथवा सेवाओं की आपूर्ति में इस्तेमाल के लिए रखे गये हों और यदि उन्हें एक से अधिक अवधियों के दौरान इस्तेमाल किये जाने की उम्मीद होय अन्यथा ऐसी संपत्तियां माल-सूची (इन्वेंट्री) रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।

2.7 पट्

एक पट्टेदार के रूप में

ऐसे पट्टे को, जो कंपनी के स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को काफी हद तक स्थानांतरित कर देता है, वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जिन पट्टों में स्वामित्व के जोखिमों और प्रतिफलों के एक महत्तवपूर्ण हिस्से को पट्टादाता द्वारा अपने पास रख लिया जाता है, उन्हें संचालित पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक पट्टे को उसकी प्रारंभ तिथि को ही वित्त पट्टा या संचालित पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी लीज की शुरुआत की तारीख (यानी, इस्तेमाल के लिए अंतर्निहित एसेस्ट उपलब्ध है) की राइट-ऑफ-यूज एसेस्ट को पहचानती है। राइट-ऑफ-यूज एसेस्ट को लागत पर मापा जाता है, किसी भी संचित मूल्यह्रास और हानि के नुकसान को कम किया जाता है, और पट्टे की देनदारियों के किसी भी पुनः माप के लिए समायोजित किया जाता है। राइट-ऑफ-यूज एसेस्ट्स की लागत में लीज की देनदारियों की मान्यता, आरंभिक प्रत्यक्ष लागतें शामिल हैं, और आरंभ तिथि से पहले या लीज पेमेंट से प्राप्त किसी भी लीज प्रोत्साहन को कम किया गया है। संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियां मूल्यह्रास की जाती हैं।

2.8 अवमूल्यन

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण से संबंधित अवमूल्यन, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन के आधार पर, सीधी रेखा विधि से, या कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञों के तकनीकी अनुमानों के आधार पर प्रदान किया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के लिए तकनीकी अनुमान पर अवमूल्यन प्रदान किया गया है वे नीचे उल्लिखित हैं;

•	सड़क, पुल और पुलिया (कल्वर्टस)	:	30 वर्ष
•	शाफ्ट और डिक्लाइन	:	21 वर्ष
•	विद्युतीय प्रतिस्थापन	:	15 वर्ष
•	संयंत्र और मशीनरी (मिल) (ट्रिपल शिफ्ट के आधार पर)	:	8.5-9.5 वर्ष
•	आवासीय भवन तुरामडीह	:	45 वर्ष
•	कंसर्टीना तार की बाड़	:	15 वर्ष
•	चेन लिंक बाड़	:	10 वर्ष
•	कांटेदार तार की बाड़	:	5 वर्ष

खुली खदान के विकास, ओवरबर्डन को हटाने और खदान के शुरू होने की तारीख तक माइनिंग बेंच को तैयार करने के लिए किये गये व्यय को खदान की पूरी आयु के दौरान परिशोधित किया जाता है।

एक वित्तीय वर्ष में टेलिंग डेम (स्लाइम डैम) को ऊँचा करने के काम के पूर्ण किये गये हिस्से को पूँजीकृत किया जाता है और तकनीकी आकलन के अनुसार इस ऊँचाई की उपयोगी आयु के दौरान अवमूल्यित किया जाता है।

संवर्धन या विस्तार का ऐसा काम जो मौजूदा परिसंपत्तियों का अभिन्न हिस्सा बन जाता है, उस परिसंपत्ति के शेष उपयोगी आयु के दौरान अवमूल्यित किया जाता है।

सरकारी भूमि, निजी भूमि, और टेलिंग पोंड्स के निर्माण के लिए इस्तेमाल की जानेवाली वन भूमि को टेलिंग पोंड्स की उपयोगी आयु के दौरान अवमूल्यित किया जाता है।

पट्टे पर अभिग्रहीत एवं अन्य प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की जा रही सरकारी भूमि को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन और पट्टे की अवधि में जो सबसे कम हो उतनी अवधि के दौरान अवमूल्यित किया जाता है, यदि इस बात की पर्याप्त निश्चितता न हो कि कंपनी पट्टा अवधि के अतः में स्वामित्व प्राप्त कर लेगी।

इश्योरेन्स स्पेयर्स को सम्बंधित परिसंपत्तियों की शेष उपयोगी आयु के दौरान उस दर पर अवमूल्यित किया जाता है जो वर्तमान परिसंपत्तियों पर लागू होती है, और मौजूदा परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से लेकर इश्योरेंस स्पेयर्स के अधिग्रहण की तारीख तक के अवमूल्यिन राशि को अधिग्रहण के वर्ष में चार्ज-ऑफ किया जाता है।

परिसंपत्तियों और परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्यों के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है, और यदि उपयुक्त हो, तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अतः में समायोजित कर दिया जाता है।

वर्ष के दौरान जोड़ी/हटायी गयी परिसंपत्तियों को समानुपातिक आधार पर, अधिग्रहण/आरंभ होने के लिए महीने का पहला दिन और निपटान के लिए महीने का आखिरी दिन लेते हुए, अवमूल्यित किया जाता है।

2.9 अमूर्त संपत्ति और परिशोधन

शुरुआती मान्यता में, अमूर्त संपत्तियों को लागत के आधार पर मान्यता दी जाती है। शुरुआती मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्तियों को लागत घटाव किसी भी प्रकार का संचित धन एवं संचित क्षति हानि के साथ अग्रेनीत किया जाता।

पहले से ही ही पूँजीकृत अमूर्त परिसंपत्तियों पर होने वाले परवर्ती व्यय को तब पूँजीकृत किया जाता है जब यह किसी मौजूदा परिसंपत्ति में निहित संभावित आर्थिक लाभों को बढ़ाता है और इसे भविष्य अपेक्षी रूप से परिशोधित किया जाता है।

आतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहित सॉफ्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न हिस्सा नहीं है), जो भविष्य में महत्तवपूर्ण आर्थिक लाभ दे सकता है, को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में तब मान्यता दी जाती है, जब वह इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है।

पहचानने योग्य अमूर्त परिसंपत्तियों, जैसे कि भमि के उपयोग का अधिकार, के लिए भुगतान की गयी राशि को चुकायी गयी राशि के उपयुक्त मूल्य पर पूँजीकृत किया जाता है और इसे लागत घटाव संचित अवमूल्यन व क्षति मूल्य के रूप में दर्ज किया जाता है। अमूर्त संपत्तियों (परिमित आयु वाली) को लागत मॉडल के अनुसार एक सीधी रेखा पद्धति के आधार (स्ट्रेट लाइन बेसिस) पर उनके अपेक्षित उपयोगी आयु के दौरान परिशोधित किया जाता है।

विकास गतिविधियों का मतलब है अनुप्रयोग के निष्कर्ष या व्यावसायिक उत्पादन या इस्तेमाल शुरू होने से पूर्व नयी या काफी हद तक सुधारी गयी सामग्रियों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों की किसी योजना या डिजाइन का ज्ञान। लागत को पांच वर्षों के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाएगा।

2.10 प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य

प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य में शामिल हैं परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और निर्माण के लिए व्यय, और संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की लागत, जो अब तक अपने निर्धारित उपयोग के लिए तैयार नहीं है।

2.11 खदान बंदी, स्थल पुनरुद्धार और डिकमीशनिंग दायित्व

डि-कमीशनिंग लागतें अनुमानित नकदी प्रवाह का उपयोग करके दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित लागत के वर्तमान मूल्य पर प्रदान की जाती है और इन्हें प्रासंगिक परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पहचाना जाता है। नकदी प्रवाह को मौजूदा कर-पूर्व दर से डिस्काउंट किया जाता

है, जो पैसे के समय-मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है। डिस्काउंट के मोचन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में दर्शाया जाता है। अनुमानित भविष्य की लागतों या लागू की गयी डिस्काउंड दर में हुए परिवर्तन को परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा या घटाया जाता है। खदान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 के अनुसार खदान बंदी और पर्यावरण के पुनरुद्धार के दायित्व को पूरा करने की देयता का तकनीकी तौर पर आकलन मैसर्स मेकॉन लिमिटेड द्वारा किया गया है।

2.12 सहायता अनुदान

केन्द्रीय सरकार से पूजीगत व्यय के लिए प्राप्त सहायता अनुदान, जहां अधिग्रहित संपत्ति का स्वामित्व सरकार में निहित होता है, अनुदान को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है।

2.13 गैर–वित्तीय परिसंपतियों की क्षति

परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किसी प्रकार की क्षति के संकेत हैं या नहीं। यदि कोई संकेत मौजूद है, तो उस परिसंपत्ति से प्राप्त की जानेवाली राशि का अनुमान लगाया जाता है। जहाँ कहीं भी किसी परिसंपत्ति की वहन राशि वसूली जाने वाली राशि से ज्यादा होती है इसे क्षतिकारी हानि माना जाता है। वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति के बिक्री मूल्य और उपयोग किये जा रहे मूल्य में से जो ज्यादा हो वही होती है। उपयोग किये जा रहे मूल्य का आकलन करने के लिए अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य तक डिस्काउंट किया जाता है।

वहन राशि को वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है और इस कमी को लाभ और हानि के विवरण में क्षतिकारी हानि के रूप में मान्यता दी जाती है। पहले से मान्यता प्राप्त क्षति-हानि को परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर बढ़ाया या घटाया जाता है। हालांकि, क्षतिकारी हानि को घटाकर वहन राशि से ज्यादा तक नहीं लाया जाता है, यह निर्धारित किया गया होगा (परिशोधन या अवमूल्यन का शुद्ध) पूर्व वर्ष में किसी क्षतिकारक हानि को मान्यता नहीं दी गई थी। क्षति के बाद, अवमूल्यन क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति के संशोधित वहन मूल्य पर उसकी शेष बची उपयोगी आयु के दौरान प्रदान किया जाता है।

2.14 वित्तीय प्रपत्र या साधन

वित्तीय साधन एक ऐसा अनुबंध है, जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और किसी अन्य संस्था की वित्तीय देयता या इक्विटी उपकरण को जन्म देता है।

क. वित्तीय परिसंपत्तियां

कंपनी की वित्तीय संपत्तियों में नकद और बैंक शेष, ऋण एवं कर्मचारियों को दिये गये अग्रिम, व्यापार प्राप्तियां और प्रतिभूति जमा शामिल हैं।

व्यापार प्राप्तियों को उनके लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है।

बिना नियत परिपक्वता अवधि के प्रतिभूति जमा को उस मूल्य पर आगे ले जाया जाता है जिसपर इसे अनुबंध समाप्त होने पर प्राप्त किया जाएगा और यही वह राशि है जो वास्तव में भुगतान की जाती है। वह समयावधि, जिस पर रकम प्राप्त की जाएगी, अनिर्णीत है क्योंकि वह रकम तब प्राप्त होगी जब अनुबंध समाप्त किया जा रहा होगा। डिस्काउंटिंग को हटा दिया जाता है, क्योंकि समयावधि निर्धारण योग्य नहीं होती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता–समाप्ति

एक वित्तीय संपत्ति की मान्यता को केवल तभी समाप्त समझा जाता है जब

- कपनी ने वित्तीय संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया हो, या
- उसने वित्तीय संपत्ति का नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए आनुबधिक अधिकारों को बरकरार रखा हो, लेकिन एक या उससे अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए अनुबंध संबधी दायित्व स्वीकार करती हो।

ख. वित्तीय देनदारियां

कंपनी की वित्तीय देनदारियां ऐसी परिस्थिति में जो कंपनी के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल हैं, किसी अन्य इकाई को नकद या कोई और वित्तीय परिसंपत्ति देने या वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का उन इकाइयों के साथ विनिमय करने का संविदात्मक दायित्व है।

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य भुगतान शामिल हैं इन्हें अपने लेनदेन मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

वित्तीय देनदारियों की मान्यता–समाप्ति

एक वित्तीय देयता की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन कर दिया जाता है, उसे रद्द कर दिया जाता है या उसकी समयसीमा खत्म हो जाए। किसी वित्तीय दायित्व की आगे ले जानेवाली राशि, जिसे किसी अन्य पक्ष को शमित या स्थानांतरित किया गया हो, एवं भुगतान किये गये मूल्य, जिसमें स्थानांतरित गैर-नकदी परिसंपत्तियाँ एवं स्वीकार की गयी देनदारियाँ शामिल हैं, को लाभ व हानि के विवरण में अन्य आय या वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय साधनों का समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और वित्तीय देनदारियाँ समायोजित की जाती हैं और शुद्ध राशि को तुलन-पत्र में सूचित किया जाता है, यदि वर्तमान में मान्यताप्राप्त राशियों को समायोजित करने का साध्य कानूनी अधिकार हो और यदि शुद्ध आधार पर निपटारा करने का इरादा हो, ताकि परिसंपत्तियों की सब और देनदारियों का निपटान एक साथ किया जा सके।

2.15 माल सूचियाँ

क. माल सूचियों की माप

माल-सूचियों के मूल्य को लागत तथा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में जो सबसे कम हो उस पर निर्धारित किया जाता है। माल सूचियों की अनुमानित बिक्री कीमत में से पूर्ण करने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत को घटाने पर शुद्ध वसूली योग्य मूल्य प्राप्त होता है।

ख. लागत फॉर्मूला

1	अयस्क या प्रगतिधीन कार्य	अवशोषण लागत विधि पर
2	प्रत्यक्ष सामान, स्टोर और पुर्जे	भारित औसत लागत पर
3	माल जो रास्ते में है और निरीक्षण के अतर्गत है	अधिग्रहण लागत पर
4	गौण उत्पाद	परिवर्तन लागत पर
5	रद्दी माल	अनुमानित लागत पर

ग. स्टोर और पुर्जे

स्पेयर्स पुर्जे और अपातोपयागी (स्टैन्डबाई) उपकरणों को माल सूची के रूप में वर्गीकत किया जाता है यदि वे उत्पादन या माल की आपूर्ति में इस्तेमाल किया जाते हों। लूज टूल्स को जारी करने के वर्ष में बड्टे खाते में डाल दिया जाता है। कैपिटल स्टोर्स एवं बीमा स्पेयर्स को छोड़कर, पांच साल तक अचलायमान स्टोर्स स्पेयर्स के लिए प्रावधान सृजित किया जाता है। अप्रचलित घोषित सामग्री को आवश्यक निपटान के लिए अलग किया जाता है और उसके बही मूल्य को बट्टे खात में डाला जाता है। निपटान के बाद वसूले गये मूल्य को आय में जमा (क्रेडिट) कर दिया जाता है।

2.16 नकद एवं नकद समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरणी में प्रस्तुति के उद्देश्य के लिए नकद एवं नदक समतूल्य में नकदी, हाथ में नकदी, तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक अत्यधिक तरल शामिल है जो अधिग्रहण की तारिख से आसानी से परिवर्तनीय हैं। नकदी की मात्रा और जो मूल्य में एक महत्त्वपूर्ण जोखिम परिवर्तन एवं बैंक ओवरड्राफ्ट के अधीन है। बैंक ओवरड्राफ्ट तुलन पत्र में मौजूदा देनदारियों में उधार के तहत दिखाये जाते हैं।

2.17 कराधान

आयकर व्यय वर्तमान और आस्थगित कर के योग को निरूपित करता है। कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। सिवाय उस स्थिति में जिसमें वह सीधे इक्विटी या अन्य विस्तृत आय से संबंधित हो।

क. वर्तमान आयकर

वर्तमान कर आयकर अधिनियमए 1961 के तहत वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है।

ख. आस्थगित कर

आस्थगित कर को कंपनी के वित्तीय विवरणों में संपत्तियों और देनदारियों की आगे ले जानेवाली राशियों एवं कर।

योग्य लाभ की गणना में इस्तेमाल किये गये संबंधित कर आधारों जंग के बीच के अस्थायी अंतर के आधार पर मान्य किया जाता है और इसका लेखांकन तुलन-पत्र देयता विधि से किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों जंग को आम तौर पर पर सभी घटाने योग्य अस्थायी अतरों, अप्रयुक्त कर हानि जंग एवं अप्रयुक्त कर क्रेडिट जग के लिए मान्य किया जाता है, उस हद तक कि यह संभावना रहे कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध हो गए जिसके विरूद्ध ऐसे घटाने योग्य अस्थायी अतर, अप्रयुक्त कर हानि एवं अप्रयुक्त कर क्रेडिट का इस्तेमाल किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की बकाया राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि को की जाती है और यह इस हद तक घटायी जाती है कि यह संभावना ही न रहे कि पर्याप्त कर योग्य मुनाफा उपलब्ध हो और उसके विरूद्ध अस्थायी अतश्र का उपयोग किया जा सके।

बकाया कर संपत्ति और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है जिनकी उस अवधि में लागू होने की उम्मीद की जाती है जिसमें देयता का निपटारा होता है या परिसंपत्ति की वसूली होती है और यह उन कर दरों (और कर कानून) के आधार पर किया जाता है जो बैलेंश शीट तिथि तक लागू की गयी हों।

2.18 आय को मान्य करना

कंपनी आय को मान्य तब करती है जब आय की राशि को भरोसेमद रूप से मापा जा सकता हो, यह संभव है कि इकाई को भावी आथिक लाभ मिलेगा यानी, जब यूरेनियम सांद्र भारत सरकार को सौंपा जाएगा। बाई-प्रोडक्ट्स की बिक्री से प्राप्त आय को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल (एक्साइज डयूटी समेत) रिटर्न और भत्ते, ट्रेड छूट और वॉल्यूम रिबेट्स के शुद्ध जोड़ पर मान्य किया जाता है।

2.19 उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागत, जिसे सीधे तौर पर योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण से जोड़ा जा सकता है को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूँजीकृत किया जा सकता है (कोष को अस्थायी रूप से इस्तेमाल करने से हुई शुद्ध आय), तब तक जब तक कि वे परिसंपत्तियाँ अपन इच्छित उद्देश्य से इस्तेमाल को तैयार न हों। योग्य परिसंपत्तियाँ वैसी परिसंपत्तियाँ हैं, जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से अच्छा-खासा समय लेती हैं।

अन्य सभी ऋण लागतों को उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है, जिसमें उन्हें वहन किया गया है।

2.20 कर्मचारी लाभ

क. अल्पावधि लाभ

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ उस वर्ष के लाभ व हानि विवरण में मान्य किये जाते हैं जिसमें उनसे सबधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

ख. यात्रा अवकाश छूट लाभ

यात्रा अवकाश छूट को वर्ष के लाभ व हानि विवरण के आधार पर शामिल किया जाता है।

ग. अवकाश नकदीकरण लाभ

अर्जित अवकाश एवं बीमारी के अवकाश की देयता का निपटान कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा दिये जाने की अवधि की समाप्ति के 12 महीनों के अंदर किये जाने की आशा नहीं की जाती। इसलिए उन्हें भविष्य में होने वाले वैस भावी भुगतानों के वर्तमान मान के रूप में मापा जाता है, जो कर्मचारी द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए किये जाएँगे। लाभों को, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, सरकारी प्रतिभूतियो, जो संबंधित दायित्व की शर्तों के निकट होती है, पर प्राप्त मार्केट ईल्ड का इस्तेमाल करते हुए डिस्काउंट किया जाता है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मूल्यांकन में परिवर्तन की वजह से की जानेवाली पुनर्माप को अन्य विस्तृत आय में मान्य किया जाता है।

दायित्वों को तुलन-पत्र में वर्तमान देनदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यदि इकाई को रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 महीने बाद तक निपटान को आस्थगित करने का बेशर्त अधिकार न हो, और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वास्तविक निपटान कब होने की उम्मीद है।

घ. नियोजन पश्चात लाभ एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :

कंपनी निम्नलिखित सेवा-अवधि के बाद की योजनाओं को संचालित करती है :-

I) परिभाषित लाभ योजनाएं जैसे कि ग्रेच्युटी, नियोजन पश्चात चिकित्सा लाभ

क) ग्रैच्युटी दायित्व

परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजनाओश के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि से किया जाता है और बीमांकिक मूल्यांकन प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किये जाते हैं।

परिभाषित लाभ ग्रैच्युइटी योजनाओश्के संबंध में तुलन-पत्र में मान्य की गयी देयता या परिसंपत्ति, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य घटाव योजना की संपत्तियों के उचित मूल्य के बराबर होती है।

परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का निर्धारण अनुमानित भावी कैश आउटफ्लो को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, सरकारी बौंड, जो संबंधित दायित्व की शर्तों के निकट होती हैं, पर प्राप्त मार्केट ईल्ड के संदर्भ में डिस्काउंट किया जाता है।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व एवं संपत्तियोंके उचित मूल्य के शुद्ध शेष पर डिस्काउंट रेट को लागू करते हुए की जाती है। यह लागत लाभ व हानि विवरण के कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल की जाती है।

बीमाकिक मान्यताओं में बदलाव से उत्पन्न पुनर्माप संबंधी लाभ और हानि को उस अवधि में मान्य किया जाता है, जिसमें वे उत्पन्न होती है, वह भी सीधे अन्य विस्तृत आय में। उन्हें इक्विटी में परिवर्तन विवरण में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है। योजना समायोजन या कटौती से उत्पन्न परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में हुए परिवर्तन को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत ही पिछली सेवा लागत के रूप में मान्य किया जाता है।

ख) सेवा अवधि के बाद के चिकित्सा लाभ

इन लाभों की अपेक्षित लागत कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान सचित होती है और इसके लिए उसी लेखांकन पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है जिसका परिभाषित लाभ योजनाओ के लिए किया जाता है। बीमांकिक मान्यताओं में बदलाव। उत्पन्न पुनर्माप संबंधी लाभ और हानि को अन्य विस्तृत आय में चार्ज या क्रेडिट किया जाता है, उस अवधि में, जिसमें वे उत्पन्न होती हैं।

ii) परिभाषित अशदान योजनाएं जैसे प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड प्रोविडेंट फंड में कंपनी का योगदान बढ़ोतरी आधार पर लाभ व हानि विवरण में शामिल किया जाता है। सुपरएनुएशन फंड में योगदान कंपनी की नीतियों के मुताबिक किया जाता है और भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ वित्त पोषित होता है और उस वर्ष में लाभ व हानि विवरण में शामिल किया जाता है, जिसमें योगदान (प्रीमियम) देय होता है।

2.21 अनुसंधान और विकास व्यय

पूजीगत वस्तुओं से संबंधित व्यय विशिष्ट संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल किये जाते हैं और इन्हें लागू दरों पर अवमूल्यित किया जाता है। रेवेन्यू व्यय को उस वर्ष के लाभ व हानि विवरण में शामिल किया जाता है, जिसमें वह खर्च किया जाता है।

2.22 पूर्व प्रदत्त व्यय

पूर्वप्रदत्त व्यय को के वल वहीं लेखांकित किया जाता है, जहाँ अव्यतीत अवधि से सम्बंधित राशियाँ प्रत्येक मामले में रू. 50,000 से ज्यादा हों।

2.23 स्ट्रिपिंग एक्टिविटी व्यय/समायोजन

खदान के विकास चरण के दौरान अयस्क निकाय के विकास पर हुए स्ट्रिपिंग व्यय का पूँजीकरण किया जाता है, जबकि उत्पादन चरण के दौरान इसे लाभ व हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

2.24 दावारहित देयता

जॉब/अनुबंध पूराकरने के बाद, पाँच वर्षों से ज्यादा अवधि से बकाया दावारहित अनुबंध मुल्य, अग्रिम राशि सुरक्षा जमा कॉशन मनी को समीक्षा के बाद विविध आय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यदि दावा न किया गया क्रेडिट बैलेंस संविदा मूल्य की वजह से प्रोजेक्ट से संबंधित है, या अब कंपनी की देनदारियों के रूप में नहीं माना जाता, तो उसे पहचानी गयी प्रासंगिक संपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है। ऐसी मदका विवरण रखा जाएगा। बाद में, रिफंड के मामल में, समीक्षा के बाद रिफंड के वर्ष में, उसे विविध खर्च में डेबिट किया जाएगा।

2.25 प्रावधान और आकस्मिकताए

क) प्रावधान

प्रावधानों को तब मान्य किया जाता है जब किसी पूर्वघटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्वों से संभवतरू कंपनी के आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह हो सकता है और राशि का अनुमान विश्वसनीय ढंग से लगाया जा सकता है। समय या बहिर्वाह की राशि अब भी अनिश्चित हो सकती है। प्रावधानों को वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए जरूरी अनुमानित व्यय पर मापा जाता है, जो रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध सबसे विश्वसनीय सबूतों पर आधारित होता है, और जिसमें मौजूदा दायित्वों को व्यवस्थित करने के लिए जोखिम और अनिश्चितताएँ भी शामिल होती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वश्रेष्ठ अनुमान को प्रतिबिबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

ख) आकस्मिक देयता

पिछली घटनाओं से उत्पन्न संभावित दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देनदारियों को जाहिर किया जाता है, लेकिन उनका अस्तित्व एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की ऐसी घटनाओं के घटित या न घटित होने से पुष्ट होगा, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं या जहां किसी भी मौजूदा दायित्व को संसाधनों के भविष्य के बहिर्वाह की शर्तों के अनुसार नहीं मापा जा सकता या जहां दायित्व का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं तैयार किया जा सकता है।

ग) आकस्मिक परिसंपत्ति

आकस्मिक संपत्ति एक संभावित परिसंपत्ति है, जो पिछली घटनाओ की वजह से उत्पन्न होती है और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक ऐसी अनिश्चित घटना के घटने या न घटने से होती है, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती है। आकस्मिक संपत्तियों को मान्य नहीं किया जाता है बल्कि जब आर्थिक लाभों का अतर्प्रवाह संभावित होता है, तब उन्हें नोट्स टु द अकाउंट्स में जाहिर किया जाता है। जब एक अतर्प्रवाह लगभग निश्चित होता है, तब एक परिसंपत्ति को मान्य किया जाता है।

2.26 शेयर पूंजी

साधारणतया शेयरों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.27 प्रति शेयर आय

शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या के आधार पर प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है।

डाइल्यूटेड आय प्रति शेयर की गणना, वर्ष के दौरान शेयरधारकों से संबंधित शुद्ध लाभ एवं वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों एवं संभावित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या

का इस्तेमाल करत हुए की जाती है, केवल वैसे मामलों को छोड़कर जो एटी-डाइल्यूटिव हों।

2.28 पूर्व अवधि समायोजन

पिछले वर्षों से संबंधित प्रत्येक मामले में रू 50,000/- से ऊपर के आय/व्यय के मद को, प्रस्तुत की गयी पूर्व की अवधियों, जिनमें त्रुटि हुई, की तुलनात्मक राशि को पुनः घोषित करके, भूतलक्षी तरीके से, या यदि त्रुटि प्रस्तुत की गयी सबसे पहले की अवधि से भी पहले हुई हो तो आरंभिक तुलन-पत्र को फिर से घोषित करके सुधारा जाता है।

2.29 नकद प्रवाह विवरणी

अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके नकद प्रवाह की सूचना दी जाती है जिससे विगत या भावी नकद प्राप्ति संचालन या भुगतान की भिन्नता या संग्रहण और विनियोजन का वित्तपोषित नकद प्रवाह सहित आय या व्यय की वस्तु की लिए कर पूर्वलाभ गैर नकद प्रकृति की लेनदेन के प्रवाह के लिए समायोजित किया जाता है नकदी प्रवाह संचालन, निवेश और वित्त पोषण गतिविधियों में अलग हो जाते है।

2.30 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान, पूर्व धारणा और निर्णय

कंपनी भविष्य के बारे में अनुमान और धारणाएँ तय करती है। परिणामस्वरूप लेखा अनुमान, परिभाषा के अनुसार, शायद ही कभी संबंधित वास्तविक परिणामों के बराबर होंगे। अनुमानों और पूर्वधारणाओं, जिनकी वजह से, अगले एक वित्तीय वर्ष के अन्दर, संपत्ति और देनदारियों की वहन राशियों में ठोस समायोजन होने का खासा जोखिम हो, के बारे में निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है।

अनुमान और अतर्निहित पूर्वधारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखा अनुमानों में संशोधन को उस संशोधन होने वाली अवधि में और प्रभावित होने वाली किसी भावी अवधि में मान्य किया जाता है।

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को नुकसान

जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह संकेत मिलता है कि संभव है कि संपत्ति का वहन मूल्य वसूली योग्य न हो, तो कंपनी संभावित हानि के आकलन के लिए अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यांकन करती है। एक नुकसान हानि को मान्य किया जाता है, यदि किसी संपत्ति का वहन मूल्य उसके उचित मूल्य के उच्चतम मान में बिक्री लागत व उपयोग किये जा रहे मूल्य को घटाने पर मिलने वाली राशि से ज्यादा हो।

परिसंपत्ति को कितना नुकसान हुआ है इसका निर्धारण अनिश्चित मामलों पर प्रबंधन के अनुमान से जुड़ा होता है। हालांकि, नुकसान की समीक्षा और गणना उन पूर्वधारणाओं पर आधारित होती हैं, जो कंपनी की व्यावसायिक योजनाओं और दीर्घकालिक निवेश निर्णयों के अनुरूप होती हैं।

ख) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त सम्पत्तियों की उपयोगी आयु

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अनुमानित उपयोगी आयु कई कारकों पर आधारित होती है, जिनमें अप्रचलन, परिसंपत्ति का उपयोग और अन्य आर्थिक कारकों (जैसे कि ज्ञात तकनीकी प्रगति) के प्रभाव शामिल हैं।

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख के अतश में और अमूर्त सम्पत्तियों की उपयोगी आयु की समीक्षा करती है।

ग) खदान पुनरूद्धार दायित्व

आकलन केवल तभी तैयार किया जाता है, जब कंपनी का कोई वर्तमान दायित्व हो, और यह संभावित हो कि भविष्य की तारीख में पुनर्वास/पुनर्स्थापना लागत का खर्च उठाना पड़ेगा। किसी दायित्व का अस्तित्व तब होता है, जब पुनर्वास/पुनर्स्थापना करने के सिवाय और कोई वास्तविक विकल्प न हो या जब इकाई पर्यावरण को पहुँचे नुकसान में सुधार करने या पर्यावरण को पुनर्बहाल करने हेतु कानून या रचनात्मक रूप से बाध्य हो।

घ) आयकर

आयकरों के प्रावधान का निर्धारण करने के लिए एक अच्छी निर्णय प्रक्रिया जरूरी होती है। कई ऐसे लेन-देन और गणनाएं हैं, जिनके लिए सामान्य व्यवसाय के दौरान अतिम रूप से कर का निर्धारण अनिश्चित होता है। कंपनी अनुमानित कर से सम्बंधित मामलों की देयताओं को, अतिरिक्त कर देय होंगे या नहीं इस पर आधारित अनुमान पर मान्य करती है। जहां इन मामलों का अतिम कर परिणाम शुरू में दर्ज की गई राशि से अलग होता है, उनमें ऐसे अन्तर का आयकर और आस्थगित कर प्रावधानों पर उस अवधि में प्रभाव पड़ता है, जिसमें इसका निर्धारण किया जाता है।

उन कारकों में किसी भी प्रकार का बदलाव आयकर और स्थगित कर प्रावधानों को उस अवधि में प्रभावित करेगा जिसमें ऐसा निर्धारण किया गया है।

3. सपंत्ति, सयंत्रं और उपकरण

रु. लाख में

विवरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पट्टे वाली भमि	कारखाने की इमारत	प्रशासनिक एवं अन्य भवन	सयंत्रं और मशीनरी (स्वामित्व)	विद्युत संस्थापन	खुली खदान	फर्नीचर और स्थावर	उपकरण	वाहन	योग
सकल ब्लॉक											
1 अप्रैल 2018	5,429.94	260.44	32,336.16	8,013.64	166,782.06	19,910.11	8,415.19	305.24	574.46	261.60	2,42,289.03
परिवर्धन	-	3.49	1423.53	146.79	4,224.65	212.06	-	24.94	10.00	17.74	6,063.20
31 मार्च 2019	5,429.94	263.93	33,759.69	8,160.62	171,006.71	20,122.17	8,415.19	330.18	584.46	279.34	248,352.23
परिवर्धन	-	-	831.37	52.61	19,595.69	206.80	-	22.78	36.28	28.51	20,774.05
31 मार्च 2020	5,429.94	263.93	34,591.06	8,213.23	190,602.40	20,328.98	8,415.19	352.96	620.74	307.85	269,126.28
सचिंत मूल्यह्रास और हानि	16.80	80.90	3,284.29	605.88	30,943.29	4,023.02	1,824.98	143.95	275.01	168.69	41,366.81
1 अप्रैल 2018	13.44	18.70	1,449.35	208.26	14,553.37	1,710.90	608.33	38.24	105.32	41.02	18,746.93
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	30.24	99.50	4,733.64	814.14	45,496.66	5,733.92	2,433.31	182.19	380.33	209.71	60,113.74
31 मार्च 2019	13.44	18620	1,452.89	210.61	19,185.95	1,689.92	608.33	32.43	94.47	30.10	23,336.76
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	-	-	-	-	-	1.84	-	-	-	-	1.84
वर्ष के लिए समायोजन											
31 मार्च 2020	43.68	118.22	6,186.53	1,024.75	64,682.61	7,422.00	3,041.64	214.62	474.80	239.81	83,448.66
शुद्ध बही मूल्य											
31 मार्च 2020	5,386.26	145.71	28,404.53	7,188.48	125,919.79	12,906.98	5,373.55	138.34	145.94	68.04	185,677.62
31 मार्च 2019	5,399.70	164.33	29,026.05	7,346.48	125,510.05	14,388.25	5,981.88	147.99	204.13	69.63	188,238.52

4. प्रगतिधीन कार्य पूंजी

रु. लाख में

विवरण	प्रगतिधीन कार्य पूंजी (परिचालन इकाई)	प्रगतिधीन कार्य पूंजी (चालू परियोजना)	प्रगतिधीन कार्य पूंजी (परियोजना पूर्व व्यय)	स्थापन हेतु लंबित स्टॉक में पूंजी परिसंपत्ति	कुल
1 अप्रैल 2018	9,705.57	16,049.40	2,203.66	152.83	28,111.46
परिवर्धन	3,568.12	8,745.71	153.63	-	12,467.46
स्थानांतरण	(-3,547.97)	(-2,283.70)	-	(-122.52)	(-5,954.19)
31 मार्च 2019	**9,725.72**	**22,511.41**	**2,357.29**	**30.31**	**34,624.73**
परिवर्धन	-	-	184.51	231.25	415.76
स्थानांतरण	(-2,006.04)	(-6,011.06)	-	-	(-8,017.10)
31 मार्च 2020	**7,719.68**	**16,500.35**	**2,541.80**	**261.56**	**27,023.39**

परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है :

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
परिचालन इकाइयाँ :		
क. जादूगोड़ा माइंस एंड मिल	1303.41	1,377.62
ख. तुरामडीह खदान	164.62	206.69
ग. बागजाता खदान	4,221.39	4,221.39
घ. तुरामडीह मिल	769.43	774.88
च. मोहुलडीह खदान	827.40	852.99
छ. तुम्मलापल्ली माइंस एंड मिल	425.76	2,275.32
झ. नरवापहाड खदान	7.67	-
ञ. भाटिन खदान	-	16.83
	7,719.68	**9,725.72**
चालू परियोजनाएं :		
क. तुरामडीह मिल विस्तार परियोजना	4,624.27	4,614.65
ख. तुरामडीह मैग्नेटाइट संयंत्र परियोजना	2,327.32	2,380.76
ग. तुरामडीह पेरोक्साइड संयंत्र परियोजना	1,268.49	1,268.49
घ. जादूगोड़ा में चतुर्थ चरण की टेलिंग तालाब परियोजना	6,538.20	13,388.82
ङ. तुरामडीह में द्वितीय चरण की टेलिंग तालाब परियोजना	-	30.05
च. संचालन की डीबॉटलनेकिंग	1,742.07	828.64
	16,500.35	**22,511.41**
परियोजना पूर्व व्यय :	873.38	827.22
क. लांबापुर परियोजना	1,004.76	1,004.76
ख. केपीएम परियोजना	83.40	83.40
ग. तुम्मलापल्ली विस्तार परियोजना	394.01	309.59
घ. गोगी परियोजना	34.22	20.08
ङ. रोहिल प्रोजेक्ट	131.49	112.24
च. यूरेनियम रिकवरी संयंत्र (मुसाबनी)	20.54	-
छ. जजवाल परियोजना	**2,541.80**	2,357.29
लंबित स्टॉक में पूंजी परिसंपत्ति की स्थापना/उपयोग	**261.56**	30.31
कुल	**27,023.39**	**34,624.73**

5. अमूर्त संपत्ति

रु. लाख में

विवरण	उत्पाद विकास गतिविधि	वन भूमि के उपयोग का अधिकार	कुल
सकल ब्लॉक			
01 अप्रैल 2018	**11,524.72**	**1,258.97**	**12,783.69**
परिवर्धन / समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2019	11,524.72	1,258.97	12,783.69
परिवर्धन / समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2020	**11,524.72**	**1,258.97**	**12,783.69**
ऋण परिशोधन और क्षति			
01 अप्रैल 2018	2,881.18	228.02	3,109.20
ऋण परिशोधन	2,304.94	85.64	2,390.58
31 मार्च 2019	5,186.12	313.66	5,499.78
ऋण परिशोधन	2,304.94	85.64	2,390.58
31 मार्च 2020	**7,491.06**	**399.30**	**7,890.36**
शुद्ध बही मूल्य			
31 मार्च 2020	**4,033.66**	**859.67**	**4,893.33**
31 मार्च 2019	**6,338.60**	**945.31**	**7,283.91**

वन भूमि के उपयोग का अधिकार : विशिष्ट उपयोग और स्वामित्व के लिए झारखण्ड सरकार से प्राप्त की गई। 437.164 एकड़ (31.03.2019 रु.437.164 एकड़) की वन भूमि झारखण्ड सरकार के पास ही पड़ी है।

6. ऋण

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
गैर-वर्तमान		
प्रतिभूति युक्त, जो वसूली योग्य समझे गए		
- कर्मचारियों को घर निर्माण के लिए अग्रिम	649.03	718.68
प्रतिभूति-रहित, जो वसूली योग्य समझे गए		
- कर्मचारियों को अग्रिम	117.89	117.54
	766.92	836.22
वर्तमान		
प्रतिभूति युक्त, जो वसूली योग्य समझे गए		
- कर्मचारियों को घर निर्माण के लिए अग्रिम	160.31	181.40
प्रतिभूति-रहित, जो वसूली योग्य समझे गए		
- कर्मचारियों को अग्रिम	531.36	318.65
- कर्मचारियों से अन्य प्राप्तियां	8.56	12.06
- अन्य प्राप्तियां	2,120.30	2,125.31
	2,820.53	**2,637.42**

7. अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
पूजी अग्रिम (प्रतिभूति युक्त, जो वसूली योग्य समझे गए)	101.87	7.40
पूर्वभुगतान	165.58	165.58
	267.45	**172.98**

8. मालसूची (इन्वेंटरी)

रु. लाख में

विवरण		31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
कच्चा माल		1,475.88	1,598.27
कार्य प्रगति पर		9,693.94	8,390.51
तैयार माल		947.38	0.00
अयस्क		6,241.75	7,493.31
गौण उत्पाद	14.57		0.00
घटाए : प्रावधान	3.25	11.32	10.34
रद्दी माल		273.78	395.99
स्टोर और पुर्जे		4,935.28	4,682.48
घटाए : अप्रचलित स्टोर और पुर्जे के लिए प्रावधान		(-497.65)	(-430.95)
		4,437.63	4,251.53
स्टोर और पुर्जे - पारगमन में		132.73	312.65
		23,214.41	22,452.60

9. कोराबार प्राप्तियां

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
कारोबार प्राप्तियां (सुरक्षित युक्त, जिन्हें वसूली योग्य समझा गया)	155,502.26	101,918.03
	155,502.26	101,918.03
- बिल प्राप्त करने वाले व्यापार : 11,619.11 लाख		
- अनिर्दिष्ट व्यापार प्राप्य : 1,43,883.15 लाख		

10. नकद और नकद समतुल्य

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
हाथ में नकदी (अग्रदाय नकदी और स्टांप सहित)	2.81	7.51
बैंकों में जमा शेष :	82.36	53.92
- चालू खातों में	32,119.61	18,101.68
- तीन महीने से कम अवधि की मूल परिपक्वता वाली जमाएं (ग्रहणाधिकार के बिना)	**32,204.78**	18,163.11

11. नकद और नकद समतुल्यों के अलावा बैंक जमा शेष

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली जमाएं (ग्रहणाधिकार के बिना)	-	5,036.07
3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली जमाएं (ग्रहणाधिकार के साथ)*	54.17	168.58
	54.17	5,204.65

*ऋण पत्र के खिलाफ ग्रहणाधिकार के रूप में।

12. वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
कराधान के लिए अग्रिम	4,910.52	3,181.86
घटाएं : कराधान का प्रावधान	(-17,624.70)	(-9,249.39)
वर्तमान कर परिसंपत्तियां / (देनदारियां)	(-12,714.18)	(-6,067.53)

13. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
गैर-वर्तमान		
प्रतिभूति जमा	858.12	856.97
12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली जमाएं (ग्रहणाधिकार के बिना)	5,223.93	-
12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली जमाएं (ग्रहणाधिकार के साथ) '	499.32	-
	6,581.37	**856.97**
वर्तमान		
उपार्जित ब्याज		
- बैंकों से	392.17	137.89
- कर्मचारियों से	781.60	781.40
- अन्य से	0.77	0.77
	1,174.54	**920.06**

*बैंक गारंटी के खिलाफ ग्रहणाधिकार के रूप में।

14. अन्य वर्तमान परसंपत्तियां

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
पूर्वदत्त व्यय	174.58	27.82
अग्रिम (प्रतिभूति-रहित) :	3,175.68	2,167.53
- ठेकेदारों, सरकारी विभाग आदि को अग्रिम	826.91	625.30
- आपूर्तिकर्ताओश्को अग्रिम	2.33	2.33
क) वसूली योग्य समझे गए	829.24	627.63
ख) संदिग्ध माने गए	2.33	2.33
	826.91	625.30
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**4,177.17**	2,820.65

टिप्पणी :

ठेकेदारों, सरकारी विभागों आदि को दिए गए अग्रिम में, विवादित मांग के खिलाफ जिला खनन कार्यालय, झारखण्ड सरकार के प्रतिवाद के तहत वर्ष 2007-08 में मैग्नेटाइट पर रॉयल्टी के लिए जमा किए गए रू.165.63 लाख शामिल हैं, मामला कानूनी न्यायालय में विचाराधीन हैं।

15. शेयर पूंजी

क) अधिकृत शेयर पूंजी

रु. लाख में

विवरण	इक्विटी शेयर	
	संख्या	राशि
अधिकृत शेयर पूजी		
1 अप्रैल 2017	350 लाख	3,50,000.00
शेयर पूजी में वृद्धि / (कमी)	-	-
31 मार्च 2018	350 लाख	3,50,000.00
शेयर पूजी में वृद्धि / (कमी)	-	-
31 मार्च 2019	350 लाख	3,50,000.00

ख) इक्विटी पूंजी निर्गम

रु. लाख में

	विवरण	संख्या	राशि
I.	रु.1000 / - प्रत्येक मूल्य के इक्विटी शेयर (प्रत्येक रु. 581 / - तक का भुगतान नकद के अलावा में तथा रु.419 / - प्रत्येक का भुगतान नकद में)		
	1 अप्रैल 2018	1 लाख	1,000
	अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
	31 मार्च 2019	1 लाख	1,000
	अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
	31 मार्च 2020	**1 लाख**	**1,000**
II.	रु.1000 / - प्रत्येक मूल्य के इक्विटी शेयर नकद के अलावा अन्य के रूप में मान्य करने हेतु पूर्ण प्रदत्त के रूप में आवंटित किए गए		
	1 अप्रैल 2018	0.02 लाख	18.53
	अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
	31 मार्च 2019	0.02 लाख	18.53
	अवधि के दौरान परिवर्तन		
	31 मार्च 2020	**0.02 लाख**	18.53
III.	रु.1000 / - प्रत्येक मूल्य के इक्विटी शेयर नकद पूर्णतः नकद में भुगतान		
	1 अप्रैल 2018	180.54 लाख	180,543.25
	अवधि के दौरान परिवर्तन	25.4 लाख	25,400.00
	31 मार्च 2019	205.94 लाख	205,943.25
	अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
	31 मार्च 2020	205.94 लाख	205,943.25
	31 मार्च 2020	**206.96 लाख**	**206,961.78**
	31 मार्च 2019	**206.96 लाख**	**206,961.78**

ग) इक्विटी शेयरों से जुड़े नियम और अधिकार

कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका प्रति शेयर 1000 / - का सममूल्य मूल्य है। प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आमसभा में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रु. 16042 लाख (गत वर्ष रु. 6426.00 लाख) के इक्विटी लाभांश की सिफारिश की है। यह इक्विटी लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारक द्वारा अनुमोदन के अधीन है और इन वित्तीय विवरणों में देयता के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

घ) कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

20696178 शेयर (31.03.2019 : 20696178), भारत के राष्ट्रपति 100% इक्विटी शेयरों के धारक हैं।

16. अन्य इक्विटी

रु. लाख में

विवरण	शेयर आवेदन धन लंबित आवंटन	आरक्षित और अधिशेष		
		सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	कुल
1 अप्रैल 2018	23,900.00	14,336.03	46,525.51	84,761.18
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	20,268.23	20,268.23
शेयर आवंटन के लिए प्राप्त राशि	-	-	(-1,995.64)	(-1,995.64)
शेयर निर्गमन	1,500.00	-	-	1,500.00
प्रदत्त लाभांश	(-25,400.00)	-	-	(-25,400.00)
लाभांश वितरण कर (डीडीटी)	-	-	(-3,202.00)	(-3,202.00)
31 मार्च 2019	-	-	(-651.96)	(-651.96)
	-	**14,336.03**	**60,943.78**	**75,279.81**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	48,204.83	48,204.83
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	(-3,372.32)	(-3,372.32)
शेयर आवंटन के लिए प्राप्त राशि	-	-	-	-
शेयर निर्गमन	1,500.00	-	-	1,500.00
प्रदत्त लाभांश	-	-	(-6,426.00)	(-6,426.00)
लाभांश वितरण कर (डीडीटी)	-	-	(-1,320.87)	(-1,320.87)
31 मार्च 2020	**1,500.00**	**14,336.03**	**98,029.42**	**113,865.45**

सामान्य आरक्षित :–

आरक्षित को इक्विटी के एक घटक से विनियोजन द्वारा बनाया गया था, अर्थात अन्य के लिए प्रतिधारित आय, अन्य व्यापक आय के एक मद के रूप में नहीं है।

17. वित्तीय देनदारियां

(क) वर्तमान उधारियां

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
प्रतिभूति-रहित	-	10,000.00
अन्य संस्था से ऋण	-	10,000.00

* प्रतिभूति-रहित उधारियों का विवरण

रु. लाख में

बैंकों/सस्थानों का नाम	ऋण सीमा	लिए गए ऋण 31.03.2019 को	ब्याज की दर
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10,000	10,000	9.56%

(ख) व्यापार देय

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
विविध लेनदार		
- एमएसएमई	183.29	43.06
- अन्य	7,311.06	5,145.64
कुल	**7,494.35**	**5,188.70**

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से सम्बंधित प्रकटीकरण

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
वर्ष के अंत में बकाया मूल राशि	182.41	41.38
वर्ष के अंत में बकाया ब्याज राशि	0.88	1.68
वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई मूल राशि	41.38	163.48
वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ताओ को एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अलावा भुगतान की गई ब्याज राशि	-	-
वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ताओं को एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के तहत भुगतान की गई ब्याज राशि	1.14	1.14
पहले से किए गए भुगतानों के लिए आपूर्तिकर्ताओं को बकाया और देय ब्याज	0.88	1.40
पहले के वर्षों के लिए अन्य बकाया एवं देय ब्याज	-	1.68

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से सम्बंधित प्रकटीकरण सम्बंधित आपूर्तिकर्ताओं से उपलब्ध जानकारी तक सीमित है।

(ग) अन्य वित्तीय देनदारियां

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
गैर-वर्तमान	1,860.16	1,893.55
ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए देयता	1,860.16	1,893.55
वर्तमान		
ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए देयता	37,880.90	25,652.31
कर्मचारी और एसीईएस के लिए देयता	13,767.35	9,462.60
सरकारी संस्थाओं के लिए को देयता (देखें टिप्पणी (i) और (ii))	14,222.15	10,484.32
अन्य खर्चों के लिए देयता	742.20	326.80
	66,612.60	**45,926.03**

टिप्पणी :

वर्ष 1996 में कंपनी ने बंद तुरामडीह परियोजना की परिसंपत्तियों को रु. 2322.00 लाख की विचार राशि पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को हस्तांतरित कर दिया था। तुरामडीह खदान के फिर से चालू होने पर परिसंपत्ति वापस ले ली गई है। सीआरपीएफ द्वारा रु.3467.00 लाख के कुल दावे के मुकाबले रु. 2500.00 लाख का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और शेष रु. 967.00 लाख राशि का प्रावधान अंतिम निपटान के लिए लंबित खातों में किए गया है।

कंपनी बंद तुरामडीह खदान की रु.1110.60 लाख (31.03.2019 : रु.1110.60 लाख) मूल्य की भूमि एव अन्य परिसंपत्तियों का उपयोग कर रही है, जो भारत सरकार से संबंधित हैं। भारत सरकार द्वारा संचित मूल्य के आधार पर रु. 1110.60 लाख (31.03.2019 : रु.1110.60 लाख) का प्रावधान लेखा में किया गया है।

18. प्रावधान

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020		31 मार्च 2019	
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	गैर-वर्तमान	वर्तमान
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान				
- ग्रेच्युटी	-	3,375.22	-	2,852.14
- अवकाश नकदीकरण	9,273.67	344.22	7,182.88	275.76
- सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	1,849.55	34.09	589.76	12.79
- छुट्टी यात्रा रियायत	-	-	139.25	96.30
	11,123.22	3,753.53	7,911.89	3,236.99
अन्य के लिए प्रावधान				
- खादान बंदी दायित्व	820.12	-	760.59	-
- बिक्री कर और उत्पाद शुल्क	-	-	-	-
- सीआईएसएफ बकाया	-	16.21	-	16.21
- अन्य	-	5.19	-	5.19
कुल प्रावधान	11,943.34	3,774.93	8,672.48	3,258.39

19. आस्थगित कर देयता (शुद्ध)

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
आस्थगित कर देयता		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों से संबंधित	16,486.11	22,720.16
आस्थगित कर परिसंपत्तियों		
पूर्वदत्त व्यय	2.38	2.53
अप्रचलित स्टोर के लिए प्रावधान	125.25	150.59
अवकाश नकदीकरण के लिए देयता	2,409.94	2,594.84
सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान	473.12	209.23
खदान बंदी दायित्व के लिए प्रावधान	206.41	265.78
एलटीसी के लिए प्रावधान	-	82.31
मैट क्रेडिट	3,217.10	3,305.28
आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	-	844.27
	13,269.01	**18,570.61**

20. अन्य वर्तमान देयताएं

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
केपीएम परियोजना के लिए भारत सरकार से सहायता अनुदान (टिप्पणी i और ii देखें)	754.45	754.45
गोगी और रोहिल परियोजना के लिए एएमडी से प्राप्त धन (टिप्पणी iii और iv देखें)	1,176.15	1,703.35
सरकारी संस्थानों के लिए देयता	1.58	214.94
कर्मचारी एवं एसीईएस के लिए देयता	3,440.16	1,227.30
वैधानिक बकाया	489.80	410.93
	5,862.14	**4,310.97**

टिप्पणी :

i. केलेंग पेंडेंग सोहियोंग माउथाबा खनन और मिलिंग परियोजना मेघालय में कार्यान्वयन की सुगमता हेतु बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत सरकार से रु 4000 लाख (31.03.2019 : रु 4000 लाख) की अनुदान सहायता राशि प्राप्त हुई। रु 4000 लाख की कुल राशि में से रु 3322.03 लाख (31.03.2019 : 3322.03 लाख रुपये) की राशि 31.03.2020 तक केएचएडीसी को जारी कर दी गयी थी।

ii. अनुदान सहायता की बाकी राशि में उस पर अर्जित संचयी ब्याज की रु 76.49 लाख राशि (31.03.2019 : रु 76.49 लाख) शामिल है।

iii. राजस्थान के सीकर जिले में रोहिल यूरेनियम निक्षेप में परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है। रोहिल में खोजपूर्ण खनन कार्य के लिए एएमडी ने यूसीआईएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यूसीआईएल एजेंट के रूप में काम करेगा और स्वामित्व एएमडी के पास रहेगा। एएमडी से प्राप्त निधि को किए गए कार्य और शेष के साथ समायोजित किया जाता है, यदि ऐसा कोई शेष लेखा बही में देयता के रूप में दिखाया गया हो।

iv. कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में गोगी परियोजना के लिए खोजपूर्ण खनन द्वारा पूर्वेक्षण संचालन कार्य हेतु परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) और यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के बीच दिनांक 06.03.2007 को एक समझौता ज्ञापन किया गया था, जिसके लिए एएमडी द्वारा धन उपलब्ध कराया गया था। यूसीआईएल एजेंट के रूप में काम करेगा और स्वामित्व एएमडी के पास रहेगा। एएमडी से प्राप्त निधि को किए गए कार्य और शेष के साथ समायोजित किया जाता है, यदि ऐसा कोई शेष लेखा बही में देयता के रूप में दिखाया गया हो।

21. परिचालन से राजस्व

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा यूरेनियम सांद्रता के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए मुआवजा	1,95,224.73	1,77,335.24
क) चालू वर्ष के लिए	43,229.04	23,769.05
ख) पिछले वर्ष के लिए	2,38,453.77	2,01,104.29
अन्य परिचालन राजस्व	203.20	288.73
गौण-उत्पादों की बिक्री	**238,656.97**	2,01,393.02

वर्ष 2017-18 के लिए सांद्र यूरेनियम के लिए मुआवजे की दर को परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। हालांकि वर्ष 2017-18 के लिए प्रयोज्य दर वर्ष 2018-19 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा सांद्र यूरेनियम के लंबित मुआवजे की दर को परिचालन से राजस्व का निर्धारण करने के लिए माना गया है। कोई अंतर होने पर दर के अंतिम रूप में इसकी गणना की जायेगी। पहले के वर्षों के मुआवजे को ऊपर दिखाया गया है।

22. अन्य आय

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
बैंकों में जमा राशि पर ब्याज	1,727.33	1,043.22
आयकर रिफंड पर ब्याज	103.40	-
अन्य पर ब्याज	78.97	99.42
कबाड़ सामग्री की बिक्री	49.06	89.64
उपकरणों और वाहनों का किराया शुल्क	1.00	2.23
आपूर्तिकर्ताओं से पैकिंग संशोधन भाड़ा दंड आदि से संबंधित वसूली	363.21	217.75
निविदा प्रपत्रों की बिक्री	1.27	5.93
देयताएं और प्रावधान जो अब अनावश्यक हो चुके है	471.00	135.11
टाउनशिप रसीद	469.84	378.33
विविध रसीद	37.53	114.63
	3,302.61	2,086.26

23 (क). खपत सामग्री की लागत

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
कच्चे माल का आरंभिक भंडार	1598.27	943.81
जोड़ें : खरीद	18,051.69	18,638.88
घटाएं : कच्चे माल का अंतिम भंडार	1,475.88	1,598.27
कच्चे माल की खपत	**18,174.08**	17,984.42

23 (ख). तैयार माल और प्रगतिधीन कार्य की सूची (इन्वेंटरी) में परिवर्तन

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
वर्ष के आरंभमें मालसूची (इन्वेंटरी)		
- तैयार माल	-	-
- अयस्क	7,493.31	19,957.12
- गौण-उत्पाद	13.60	14.64
- प्रगतिधीन कार	8,390.51	7,503.41
- रद्दी माल	395.99	301.58
	16,293.41	27,776.75
कम : वर्ष के अंत में माल सूची		
- तैयार माल	947.38	-
- अयस्क	6,241.75	7,493.31
- गौण-उत्पाद	14.57	13.60
- प्रगतिधीन कार	9,693.94	8,390.51
- रद्दी माल	273.78	395.99
	17,171.42	16,293.41
माल सूची में कुल (वृद्धि)/कमी	**(-878.01)**	**11,483.34**

24. कर्मचारी लाभ व्यय

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
वेतन मजदूरी और भत्ता	45,235.25	40,124.30
भविष्य निधि में योगदान	4,881.59	3,622.49
ग्रेच्युटी निधि में योगदान	943.90	869.51
कल्याण कोष में योगदान	4.82	3.52
सेवानिवृत्ति निधि में योगदान	282.54	190.41
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	71.08	61.99
एलटीसी व्यय	67.97	112.93
कर्मचारी कल्याण व्यय	522.88	462.70
चिकित्सा व्यय	2,060.01	1,677.96
	54,070.04	**47,125.81**

वेतन और मजदूरी सहित अन्य लाभ रु. 544.72 लाख (2018-19 : रु. 582.62 लाख) पानी की लागत से संबंधित हैं, जिसमें वेतन और मजदूरी और अन्य लाभ शामिल नहीं हैं।

25. वित्त लागत

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
अन्य संस्था से ऋण पर ब्याज	1,000.27	800.00
बैंक ब्याज	-	14.46
खदान बंदी दायित्व के लिए छूट का मोचन	59.53	55.12
	1,059.80	**869.58**

26. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
संपत्ति संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास (टिप्पणी 3)	23,336.75	18,746.92
अमूर्त संपत्ति पर परिशोधन (टिप्पणी 5)	2,390.58	2,390.58
घटाएं : परियोजनाओं पर अप्रत्यक्ष व्यय	(-3.88)	1.53
	25,723.45	**21,139.03**

27. अन्य व्यय

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
संविदात्मक खान विकास व्यय	4,634.80	4,387.96
तुम्मालपल्ली संविदात्मक खनन व्यय	18,063.24	5,053.47
स्टोर और पुर्जों का उपभोग	9,236.07	11,224.62
बिजली और ईधन	14,005.07	13,619.45
जल प्रभार	951.68	1,030.93
रॉयल्टी	6,345.92	5,161.11
परिवहन व्यय	845.23	860.40
मरम्मत और रखरखाव : (टिप्पणी 'क' देखें)		
- संयंत्र एवं मशीन	14,478.52	8,818.56
- इमारते	1,215.12	4,392.87
- अन्य	1,311.47	1,034.77
माल ढुलाई और अग्रेषण शुल्क	114.13	95.31
अप्रचलित स्टोर प्रावधान	66.70	69.15
दरें और कर	146.05	99.44
सुरक्षा खर्च	6,090.98	4,431.46
बीमा	46.00	45.89
विज्ञापन और बिक्री प्रचार	126.80	337.55
यात्रा और वाहन	297.12	223.37
वाहन किराया शुल्क	1,153.37	964.37
संचार लागत	77.03	98.26
छपाई और लेखन सामग्री	68.86	90.27
परामर्श शुल्क	1,291.78	254.70
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक (टिप्पणी 'ख' देखें)	4.06	4.17
विधिक और पेशेवर शुल्क	15.53	17.31
सीएसआर व्यय (नोट 'ग' देखें)	623.66	328.58
जीएसटी व्यय	164.01	42.29
टाउनशिप और सामाजिक सुविधाओं का व्यय	271.14	128.32
परियोजनाओं के बंद होने पर नुकसान	1,023.59	109.28
विविध व्यय	1,458.91	2,684.49
	84,126.84	**65,608.35**

टिप्पणी :

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
क) मरम्मत और रखरखाव में शामिल हैं :-		
- स्टोर/भंडारण का उपभोग	10,525.42	2,744.77
- पुर्जों का उपभोग	3,755.17	5,943.47

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
ख) लेखा परीक्षकों को भुगतान का विवरण		
- लेखा परीक्षा शुल्क	3.19	3.19
- कर लेखा परीक्षा	0.69	0.87
- अन्य सेवाओं के लिए	0.18	0.11
	4.06	**4.17**

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
ग) कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय		
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च किए जाने वाली व्यय राशि और वित्तीय विवरण इस प्रकार है : -		
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों का कुल शुद्ध लाभ	72,802.35	49,050.23
शुद्ध लाभ का औसत	24,267.45	16,350.08
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित प्रतिशत	2%	2%
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए खर्च की जाने वाली राशि	485.35	327.00
वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर वास्तविक व्यय राशि	623.66	328.58
वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि :		
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण-नकद रूप में	294.30	37.02
- अभी नकद में भुगतान किया जाना है	64.41	37.90
	358.71	74.92
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा - नकद रूप में	161.13	183.65
- अभी नकद में भुगतान किया जाना है	103.81	70.01
	264.94	253.66
	623.65	328.58

28. आयकर व्यय

लाभ और हानि के विवरण में मान्य कर व्यय

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
वर्तमान कर		
वर्ष के लिए कर योग्य आय पर कर	16,378.62	8,128.71
पहले के वर्षों से संबंधित कर	79.71	43.23
	16,458.33	8,171.94
आस्थगित कर		
आस्थगित कर प्रभार/(क्रेडिट)	(-5,824.05)	5,698.06
मैट क्रेडिट (लिया गया)/उपयोग किया गया	844.27	5,130.52
कुल आस्थगित आयकर व्यय/(लाभ)	**(-4,979.78)**	10,828.58
कुल आयकर व्यय	**11,478.55**	19,000.52

आय कर से पहले लाभ पर वैधानिक आयकर दर को लागू करके गणना की गई राशि के लिए आयकर व्यय का सारांश नीचे दिया गया है :

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
भारत में आयकर की अधिनियमित दर	25.17%	34.94%
कर से पूर्वलाभ	59,683.38	39,782.57
भारत में लागू आयकर दर के अनुसार कर से पूर्वलाभ पर वर्तमान कर व्यय	15,021.11	13,901.62
भुगतान के आधार पर अनुमति दिए गए आइटम	(-3,779.49)	4,983.49
उन राशियों का कर प्रभाव जो कर योग्य आय की गणना में कटौती योग्य/(कर योग्य) नहीं है	157.22	115.41
पहले के वर्षों से संबंधित कर	79.71	-
कुल आयकर व्यय/(क्रेडिट)	11,478.55	19,000.52

धारा 115 बीएए, आयकर अधिनियम 1961, वित्त अधिनियम 2020 के अनुसार, वर्ष 2019-20 के लिए लागू कर की दर 25.17% (2018-19 : 34.94%) है। प्रभावी कर की दर 19.23% (2018-19 : 47.76%) है।

आस्थगित कर (देयता)/परिसंपत्तियों में संचलन

रु. लाख में

विवरण	पीपीई	कर्मचारी लाभ	अप्रचलित स्टोर	अन्य वस्तुए	मैट क्रेडिट	कुल
01 अप्रैल 2018	(16,425.72)	2,315.03	125.21	246.66	5,974.80	(7,764.01)
प्रभारित /(क्रेडिट) :						
- लाभ या हानि	(6,294.45)	549.37	25.38	21.65	(5,130.52)	(10,828.58)
- अन्य व्यापक आय		21.98	-	-	-	21.98
31 मार्च 2019	(22,720.17)	2,886.38	150.59	268.31	844.28	(18,570.61)
प्रभारित/(क्रेडिट) :						
- लाभ या हानि	6,234.06	(325.15)	(25.34)	(59.52)	(844.27)	(4,979.78)
- अन्य व्यापक आय	-	321.82				321.82
31 मार्च 2020	**(16,486.11)**	**2,883.06**	**125.25**	**208.79**	**-**	**(13,269.01)**

29. प्रति शेयर आय

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	48,204.83	20,268.23
बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	204.34	204.34
प्रति शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड आय (रु.) (प्रति शेयर रु.1000 का अकित) मूल्य	235.91	99.19

30. कर्मचारी लाभ दायित्व

क) परिभाषित अंशदायी योजना

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान	4,881.59	3,622.49
सेनानिवृत्ति निधि में योगदान	282.54	190.41

ख) परिभाषित लाभ योजनाए

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020		31 मार्च 2019	
	वर्तमान	गैर वर्तमान	वर्तमान	गैर वर्तमान
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	34.09	1,849.55	12.79	589.76
ग्रेच्युटी	1,231.49	-	708.41	-
अवकाश नकदीकरण	326.16	8,787.22	275.76	7,182.88

30. कर्मचारी लाभ दायित्व

I. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना

कंपनी अपने सेवानिवृत्त कार्मिकों को सेवानिवृत्ति पश्चात स्वास्थ्य देखभाल का लाभ प्रदान करती है। इन लाभों के लिए पात्रता की शर्त मतौर पर कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहना और न्यूनतम सेवा अवधि का पूरा करना होती है। इन लाभों की अपेक्षित लागतों को नियोजन की अवधि में उसी लेखांकन पद्धति का उपयोग करके उपार्जित किया जाता है जैसा कि परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। अनुभव समायोजन से उत्पन्न होने वाले पुनर्मापित लाभों और हानियों तथा बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में उसी अवधि में प्रभारित या क्रेडिट किया जाता है जिस अवधि में वे उत्पन्न होते हैं।

क. तुलन-पत्र में मान्य की गयी राशि

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
योजना देनदारियों का वर्तमान मूल्य	1,883.64	602.55
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–
शुद्ध देयता / (परिसंपत्ति)	**1,883.64**	602.55

ख. योजना परिसंपत्तियों और योजना देनदारियों में संचलन

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
1 अप्रैल को	602.55	539.62
वर्तमान सेवा लागत	25.26	23.33
शुद्ध ब्याज	43.28	38.66
	68.54	61.99
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)		
निम्नलिखित में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) / हानि		
- वित्तीय मान्यताए	290.95	-
- अनुभव समायोजन	987.75	62.90
	1,278.70	62.90
भुगतान किए गए लाभ	(-66.15)	(-61.96)
31 मार्च तक	**1,883.64**	602.55

ग. लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्य की गयी राशि

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
वर्तमान सेवा लागत	25.26	23.33
शुद्ध ब्याज	43.28	38.66
	68.54	61.99
कर से पहले लाभ / हानि पर शुद्ध प्रभाव		
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता का पुनर्मापन		
मान्यताओंमें परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) / हानि	1,278.70	62.90
कर से पहले अन्य व्यापक आय में मान्य शुद्ध (लाभ) / हानि	1,278.70	62.90

घ. मान्यताए

तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार मुख्य बीमांकिक धारणाएँ :

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
छूट की दर (%)	6.70%	7.60%
पेंशन वृद्धि की दर	6.00%	6.00%

ङ. संवेदनशीलता

भारित प्रमुख मान्यताओं में परिवर्तन के लिए परिभाषित दायित्व की संवेदनशीलता निम्नलिखित है :

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020			31 मार्च 2019		
	मान्यता में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव	मान्यता में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव
छूट की दर	1.00%	(319.11)	423.43	1.00%	(95.93)	125.69
चिकित्सा वृद्धि दर	1.00%	412.77	(317.24)	1.00%	123.55	(95.94)

उपर्युक्त के संवेदनशीलता विश्लेषण को उस विधि के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव का बहिर्वेशन (एक्सट्रपलेशन) करनी है।

च. परिपक्वता

परिभाषित लाभ दायित्व निम्नलिखित रूप में परिपक्व होंगे :

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
2020	-	13.27
2021	35.21	16.00
2022	40.84	18.02
2023	47.17	20.48
2024	54.49	190.52
2025 और इसके बाद	523.37	-

परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि 10 वर्ष है।

30. कर्मचारी लाभ दायित्व

II. अवकाश नकदीकरण

अवकाश नकदीकरण के लिए देयताएं जिस अवधि में कर्मचारियों ने सेवा प्रदान की है उस अवधि के समाप्त होने के बाद 12 महीने के भीतर पूर्णतः से निपटान होने की उम्मीद नहीं है। इसलिए उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल का उपयोग करके लाभ को छूट दी जाती है जो संबंधित दायित्व की शर्तों से संबंधित होती है। अनुभव समायोजन के एक परिणाम के रूप में पुनर्मापन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तनों को लाभ और हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

क. तुलन-पत्र में मान्य की गयी राशि

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
योजना देनदारियों का वर्तमान मूल्य	9,113.38	7,458.64
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
शुद्ध देयता / (परिसंपत्ति)	**9,113.38**	**7,458.64**

ख. योजना परिसंपत्तियों और योजना देनदारियों में संचलन

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
01 अप्रैल को	7,458.64	5,931.74
वर्तमान सेवा लागत	1,081.08	971.10
शुद्ध ब्याज	494.05	397.29
(लाभ) / हानि की तत्काल मान्यता - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	1,995.54	1,567.12
शुद्ध अवकाश नकदीकरण लागत	3,570.67	2,935.51
घटाए : राशि IEDC को हस्तांतरित	9.53	34.17
कर से पहले लाभ / हानि पर शुद्ध प्रभाव	3,580.20	2,969.68
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)		
निम्नलिखित में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) / हानि	-	-
- जनसांख्यिकीय मान्यताए	-	-
- वित्तीय मान्यताए		
- अनुभव समायोजन	1,995.54	1,567.12
(लाभ) / हानि की तत्काल मान्यता - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजना	(-1,995.54)	(-1,567.12)
अन्य व्यापक आय में मान्य शुद्ध लाभ	-	0.00
भुगतान किए गए लाभ	(-1,915.93)	(-1,408.61)
31 मार्च तक	**9,113.38**	**7,458.64**

ग. मान्यताए

तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार मुख्य बीमांकिक धारणाएँ :

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
छूट की दर (%)	6.70%	7.60%
वेतन वृद्धि दर	5.00%	5.00%

घ. संवेदनशीलता

भारित प्रमुख मान्यताओं में परिवर्तन के लिए परिभाषित दायित्व की संवेदनशीलता निम्नलिखित है :

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020			31 मार्च 2019		
	मान्यता में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव	मान्यता में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव
छूट की दर	1.00%	(820.44)	963.30	1.00%	(648.05)	757.74
वेतन वृद्धि दर	1.00%	970.44	(840.25)	1.00%	770.34	(668.91)

उपर्युक्त के संवेदनशीलता विश्लेषण को उस विधि के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव का बहिर्वेशन (एक्सट्रपलेशन) करनी है।

ङ. परिपक्वता

परिभाषित लाभ दायित्व निम्नलिखित रूप में परिपक्व होंगे :

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
2020	-	286.05
2021	336.91	599.44
2022	595.84	578.87
2023	734.35	748.69
2024	989.17	7650.21
2025 और उसके बाद	8,588.26	-

परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि 11 वर्ष है।

30. कर्मचारी लाभ दायित्व

III. ग्रेच्युटी

कंपनी पेमेटं ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसारभारत में कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी का प्रावधान करती है। 5 साल की अवधि तक निरंतर सेवा में रहने वाले कर्मचारी ग्रेच्युटी के लिए पात्र हैं। सेवानिवृत्ति/समाप्ति पर देय ग्रेच्युटी की राशि की गणना कर्मचारियों द्वारा अतिम माह में आहरित मूल वेतन के आधार पर आनुपातिक रुप से सेवा के कुल वर्षो की संख्या में 15 दिनों के वेतन से गुणा करके की जाती है। ग्रेच्युटी योजना एक वित्त पोषित योजना है और कंपनी भारत में मान्यता प्राप्त फंडों में योगदान करती है।

क. तुलन-पत्र में मान्य की गयी राशि

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
वित्त पोषित योजना देनदारियों का वर्तमान मूल्य	25,593.66	21,116.62
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	24,362.17	20,408.21
शुद्ध देयता/(संपत्ति)	1,231.49	708.41

ख. योजना परिसंपत्तियों और योजना देनदारियों में संचलन

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020			31 मार्च 2019		
	योजना देयताए	योजना परिसंपत्तियां	शुद्ध (देयता-परिसंपत्तियों)	योजना देयताए	योजना परिसंपत्तियां	शुद्ध (देयता-परिसंपत्तियों)
1 अप्रैल को	21,116.62	20,408.21	708.41	17,428.38	15,332.81	2,095.57
वर्तमान सेवा लागत	1,014.32	-	1,014.32	899.25	-	899.25
ब्याज व्यय/आय	1,552.36	1,606.90	(-54.54)	1,281.65	1,283.48	(-1.83)
	2,566.68	**1,606.90**	**959.78**	**2,180.90**	**1,283.48**	**897.42**
विगत सेवा लागत योजना में संशोधन -	-	-	-	-	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)	-	876.62	(-876.62)	-	681.81	(681.81)
निम्नलिखित में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-	-	-	-	-
- वित्तीय मान्यताए	1,776.03	-	1,776.03	-	-	-
- अनुभव समायोजन	1,516.03	-	1,516.03	2,636.53	-	2,636.53
	3,292.06	**876.62**	**2,415.44**	**2,636.53**	**681.81**	**1,954.72**
भुगतान किए गए लाभ	(-1,381.70)	(-1,381.70)	-	(-1,129.19)	(-1,129.19)	-
नियोक्ता का योगदान	-	2,852.14	(-2,852.14)	-	4,239.30	(-4,239.30)
31 मार्च तक	**25,593.66**	**24,362.17**	**1,231.49**	**21,116.62**	**20,408.21**	**708.41**

ग. कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
वर्तमान सेवा लागत	1,014.32	899.25
विगत सेवा लागत	-	-
शुद्ध ब्याज	(54.54)	(1.83)
कर से पहले लाभ/हानि पर शुद्ध प्रभाव	**959.78**	**897.42**
पुनः शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व की माप		
एक्टयुरियल (लाभ)/मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न हानि	2,415.44	1,954.72
घटाए : राशि IEDC को हस्तांतरित	1.44	27.91
कर से पहले अन्य व्यापक आय में शुद्ध(लाभ)/हानि को मान्यता दी गई	**2,414.00**	**1,926.81**

घ. योजना परिसंपत्तियों के निवेश का विवरण

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
i. भारत सरकार की प्रतिभूति	0.00%	0.00%
ii. कॉरपोरेट बॉन्ड	0.00%	0.00%
iii. विशेष जमा योजना	0.00%	0.00%
iv. अन्य (भारतीय जीवन निगम)	100.00%	100.00%
	100.00%	100.00%

ङ. मान्यताए

तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार मुख्य बीमांकिक धारणाएँ :

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
छूट की दर (%)	6.70%	7.6%
वेतन वृद्धि दर	5.00%	5.00%

30. कर्मचारी लाभ दायित्व

III. ग्रेच्युटी

च. संवेदनशीलता

भारित प्रमुख मान्यताओं में परिवर्तन के लिए परिभाषित दायित्व की संवेदनशीलता निम्नलिखित हैं :

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020			31 मार्च 2019		
	धारणा में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव	धारणा में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव
छूट की दर	1.00%	(1,960.42)	2,251.46	1.00%	(1,595.58)	1,824.44
वेतन वृद्धि दर	1.00%	1,729.79	(1,737.13)	1.00%	1,630.43	(1,570.62)

उपर्युक्त के संवेदनशीलता विश्लेषण को उस विधि के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव का बहिर्वेशन (एक्सट्रपलेशन) करनी है।

30. कर्मचारी लाभ दायित्व

III. ग्रेच्युटी

छ. परिपक्वता

परिभाषित लाभ दायित्वों के रूप में परिपक्व होगा :

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
2020	-	788.13
2021	1,021.00	1,568.10
2022	1,698.01	1,574.31
2023	2,031.09	1,921.67
2024	2,534.12	16,501.29
2025 और उसके बाद	17,799.89	-

परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि 10 वर्ष है।

30. कर्मचारी लाभ दायित्व

IV. अवकाश यात्रा रियायत

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
छूट की दर (%)	-	7.60%
प्रति व्यक्ति यात्रा दावे की औसत लागत (भारतीय रुपये में)	-	3,000.00
शुद्ध अवकाश यात्रा रियायत व्यय	-	(-4.52)
लाभ और हानि विवरणी में प्रभारित राशि	-	(-4.52)

31. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताए

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
क. ऋण के रूप में न स्वीकार किया गया दावा		
- झारखण्ड बिजली बोर्ड द्वारा ईधन अधिभार का दावा	8,613.00	10,913.00
- इसकी कटौती और कर देयता के लिए आयकर	-	60.00
- जल प्रभाप का दावा	756.84	256.86
- अन्य	0.59	0.59
	23.37	197.74
ख. अनपेक्षित शाख-पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट)		
ग. पूँजी खाते (अग्रिमों का शुद्ध) पर निष्पादित होने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	10,352.16	16,502.76

विभिन्न अदालतों में सेवा मामलों सहित अन्य मामले लंबित हैं जिनके मुकाबले लेखा में कोई प्रावधान नहीं किया गया है/ आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट नहीं किया गया है क्योंकि इस स्तर पर वे मात्रात्मक मापम योग्य नहीं है।

32. सम्बंधित पक्ष प्रकटीकरण

(I) संबंधित पक्षों का नाम और संबंध का विवरण :

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

(अ) पूरे समय के निर्देशक

श्री सी के असनानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री देबाशीष घोष, निदेशक (वित्त)
श्री प्राणेश एस.आर., निदेशक (तकनीकी) (19.04.2019 से प्रभावी)

(ब) निदेशक, उनके रिश्तेदारों और उनके उद्यम, जिन पर वे महत्तवपूर्ण प्रभाव डालने में सक्षम है

डॉ. डी के तिवारी, आईएएस, मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार (01.05.2019 से प्रभावी)
डॉ. मर्विन एस अलेक्जेंडर, संयुक्त सचिव (आईएण्डएम), परमाणु ऊर्जा विभाग (15.04.2019 से प्रभावी)
डॉ. डी.के. सिन्हा, निदेशक, एएमडी (08.01.2020 से प्रभावी)
श्री एम बी वर्मा, निदेशक, एएमडी (31.12.2019 तक)
डॉ. दिनेश श्रीवास्तव, मुख्य कार्यकारी, एनएफसी
श्री आर बी चक्रवर्ती - पूर्व उप खान सुरक्षा महानिदेशक (31.08.2019 तक)
डॉ. के उमामहेश्वर राव, निदेशक, एनआईटीके, सूरतकल (31.08.2019 तक)

(स) कंपनी सचिव

श्री बी.सी. गुप्ता, कंपनी सचिव

(III) संबंधित पक्ष लेनदेन

पूरे समय के निदेशकों और कंपनी सचिव का मुआवजा

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
अल्पावधि कर्मचारी लाभ	199.79	148.15
नियोजन पश्चात लाभ	26.22	18.01

33. उचित मूल्य मापन

श्रेणी के अनुसार वित्तीय प्रपत्र/साधन

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
वित्तीय परिसंपत्तियां		
लाभ/(हानि) के माध्यम से उचित मूल्य	-	-
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	-	-
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्यांकन		
- व्यापार प्राप्य	155,502.26	101,918.03
- नकद और बैंक शेष	32,258.95	23,367.76
- ऋण	3,587.45	3,473.64
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	7,755.91	1,777.03
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**1,99,104.57**	**1,30,536.45**
वित्तीय देयताए		
लाभ/(हानि) के माध्यम से उचित मूल्य	-	-
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	-	-
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्यांकन		
- उधारियां	-	10,000.00
- व्यापार देय	7,494.35	5,188.70
- अन्य	68,472.76	47,819.57
कुल वित्तीय देयताए	**75,967.11**	**63,008.27**

उचित मूल्य पदानुक्रम

रु. लाख में

वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें 31 मार्च 2019 तक परिशोधित लागत पर मापा गया	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिसंपत्तियां	-	-	155,502.26	155,502.26
- व्यापार प्राप्य	-	-	32,258.95	32,258.95
- नकद और बैंक शेष	-	-	3,587.45	3,587.45
- ऋण	-	-	7,755.91	7,755.91
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	**199,104.57**	**199,104.57**
देयताए	-	-	-	-
- उधारियां	-	-	7,494.35	7,494.35
- व्यापार देयताए	-	-	68,472.76	68,472.76
- अन्य	-	-	75,967.11	75,967.11

33. उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य पदानुक्रम

रु. लाख में

वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें 31 मार्च 2019 तक परिशोधित लागत पर मापा गया	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिसंपत्तियां	-	-		
- व्यापार प्राप्य	-	-	101,918.03	101,918.03
- नकद और बैंक शेष	-	-	23,367.76	23,367.76
- ऋण	-	-	3,473.64	3,473.64
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	1,777.02	1,777.02
	-	**-**	**130,536.45**	**130,536.45**
देयताए	-	-		
- उधारियां	-	-	10,000.00	10,000.00
- व्यापार देयताए	-	-	5,188.70	5,188.70
- अन्य	-	-	47,819.57	47,819.57
	-	**-**	**63,008.27**	**63,008.27**

व्यापार प्राप्तियाँ, नकद एवं नकदतुल्यों, व्यापार देय, बैंक जमा उपार्जित ब्याज तथा उस समय की वर्त्तमान उधारियों की मात्रा उनकी अल्प कालिक प्रवृति के कारण अपने उचित मूल्य के बराबर होती है। दिए गए ऋणों के लिए उचित मूल्य की गणना वर्तमान ऋण दर का उपयोग करके रियायती नकदी प्रवाह के आधार पर की गई थी। अप्रमाणित इनपुट शामिल किए जाने के कारण उन्हें स्तर 3 उचित मूल्य पदान क्रम के रूप में वर्गीकत किया जाता है।

34. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी का वित्तीय जोखिम प्रबंधन अपनी व्यावसायिक रणनीतियों की योजना बनाने और निष्पादित करने का एक अभिन्न अंग है। कंपनी की गतिविधियो को तरलता जोखिम और ऋण जोखिम के लिए उजागर किया जाता है।

जोखिम	निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाला जोखिम	माप	प्रबंध
ऋण जोखिम	नकद और नकद समतुल्य व्यापार प्राप्य बैंक जमा	आयुवृद्धि विश्लेषण	जमा क्रेडिट सीमा का विविधीकरण
तरलता जोखिम	उधार और अन्य देनदारियां	रोलिंग नकदी प्रवाह पुर्वानमान	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता

पूंजी जोखिम प्रबंधन

कंपनी का लक्ष्य अपनी पूजी का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना है ताकि कि एक निरंतर कारोबार को जारी रखने की कंपनी की क्षमता और शेयरधारकों के समुचित प्रतिफल (रिटर्न) को सुरक्षित किया जा सके। कंपनी की नीति कुल इक्विटी पर ध्यान देने के साथ एक स्थिर और मजबूत पूश्जी संरचना बनाए रखना है ताकि भविष्य के विकास और अपने व्यवसाय के विकास को बनाए रखने के लिए निवेशक और लेनदारों का विश्वास बनाए रखा जा सके। कंपनी अपनी पूजी संरचना को बनाए रखने या आवश्यक समायोजन करने के लिए उचित कदम उठाएगी।

टिप्पणी– 35

लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियां

31 मार्च, 2019 को समाप्त लेखा वर्ष के लिए

35.1 परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) की धारा 18 के तहत जारी परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेश संख्या 7/6/69-डपद दिनांक 7 अगस्त,1973 और आदेश संख्या 7/6/69-Min (PSU) दिनांक 3 जुलाई, 1974 के माध्यम से कंपनी को टर्नओवर, कच्चे माल की खपत से संबंधित मात्रात्मक जानकारी तथा उत्पादित माल के प्रारंभिक एवं अतिम स्टॉक, खरीदी की गई या अधिग्रहित कच्ची सामग्री, लाइसेंस प्राप्त क्षमता, स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन से संबंधित जानकारी को प्रकाशित करने या उपलब्ध कराने से प्रतिबंधित किया गया है।

हालांकि, वर्ष 2003-04 से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के तहत उच्च स्तर पर नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षकों को गोपनीयता समझौते के साथ कंपनी के खातों के सार्थक अकेक्षण के उद्देश्य से दिनांक 9 जुलाई, 2004 के आदेश संख्या 10/8(12)/2004-पीएसयू/448 के माध्यम से कंपनी के संचालन से संबंधित समस्त जानकारी हासिल करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि यह जानकारी किसी भी अन्य एजेंसी को प्रस्तुत नहीं की जाएगा और ना ही विशेष रूप से किसी अकेक्षण रिपोर्ट में इन आकड़ों का उल्लेख किया जाएगा।

35.2 कंपनी ने तुम्मललापल्ली में 813.412 हेक्टेयर (गत वर्ष 813.412 हेक्टेयर) भूमि, तुरामडीह में 557.18 एकड़ (गत वर्ष : 557.18 एकड़) भूमि, बंदुहुरांग में 686.86 एकड़ (गत वर्ष : 686.86 एकड़) भूमि, बागजाता में 303.14 एकड़ (गत वर्ष : 303.14 एकड़) भूमि, जादूगोड़ा में भाटिन समेत 1312.62 एकड़ (उपयुक्त अधिकारियों के साथ पत्राचार में गत वर्ष : 1312.62 एकड़) भूमि, और मोहुलडीह में 288.20 एकड़ (उपयुक्त अधिकारियों के साथ पत्राचार में गत वर्ष : 288.20 एकड) भूमि के लिए खनन पट्टा प्राप्त किया है। 1128.32 एकड़ भूमि के नरवापहाड़ खनन पट्टे क्षेत्र का विस्तार 27.01.2013 से पूर्वव्यापी रूप से संपूर्ण निक्षेप समाप्त होने तक, तुरामडीह में अतिरिक्त 31.77 एकड़ (गत वर्ष 31.77 एकड़) भूमि के लिए, क्योलेंग प्योंगसेंगहिओंग मावथाबा में 290. 45 (गत वर्ष 290.45 हेक्टेयर) हेक्टेयर भूमि के लिए, लांबापुर में 1,337.62 एकड़ (गत वर्ष 1,337.62 एकड़) भूमि के लिए, और गोगी में गोगी में 39.13 हेक्टेयर (गत वर्ष 39.13 हेक्टेयर) भूमि के लिए झारखंड सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

35.3 कंपनी राज्य सरकार/निजी पार्टियों से अधिग्रहण की गई 1548.09 एकड़ (गत वर्ष 1548.09 एकड़) भूमि की अनुमति प्राप्त करके अपने अधिकार में लेने की प्रक्रिया में है, जिससे सम्बंधित पंजीकरण का औपचारिक विलेख लंबित है, जिसकी लागत 1517.59 लाख रुपये (गत वर्ष 1517.59 लाख रु.) को सम्बंधित मद ''पट्टाधृत भूमि" तथा "पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि'' के तहत कंपनी की चल सपत्ति में शामिल किया गया है।

कंपनी 1986 से, मोसाबनी, झारखंड में 3 (तीन) एकड़ जमीन का इस्तेमाल कर रही है। झारखंड सरकार द्वारा उठाए गए मांग-पत्र (डिमांड नोट) का भुगतान कर दिया गया है और झारखंड सरकार के साथ लीज हस्तांतरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

35.4 परियोजना पूर्व/चालू परियोजना पर व्यय :-

परियोजना पूर्वव्यय :-

क) लांबापुर परियोजना (रु.873.38 लाख) :

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) ने अभी तक ष्स्थापना के लिए सहमति (सीएफई) जारी नहीं किया है और परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे प्रदान नहीं किए गए हैं।

ख) के.पी.एम. परियोजना (रु.1004.76 लाख) :

परमाणु ऊर्जा विभाग के निर्देश के बाद, शिलांग में यूसीआईएल का कार्यालय बंद है और परियोजना संबंधी सभी गतिविधियाँ निलंबित हैं।

ग) तुम्मलापल्ले विस्तारीकरण परियोजना (रु.83.40 लाख) :

यूसीआईएल ने 3000 टीपीडी से 4500 टीपीडी तक की मौजूदा सुविधा की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए तुम्मलापल्ले परियोजना, आंध्र प्रदेश का विस्तार किया है। परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) 2010 में तैयार की गई थी। ईआईए/ईएमपी अध्ययन किया गया है और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) को सौंप दिया गया। लेकिन, समय पर जन सुनवाई नहीं हो सकी और फलस्वरूप, संदर्भ की शर्तों (टीओआर) की वैधता समाप्त हो गई। नई टीओआर प्राप्त की गयी हैं और ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट की तैयारी चल रही है। टीओआर की वैधता को एक वर्ष की अवधि के लिए, यानी 18.01.2021 तक बढ़ा दिया गया है।

घ) गोगी परियोजना (रु.394.01 लाख) :

मेकॉन को आधारभूत आंकड़ों के संग्रह, ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट की तैयारी, पट्टे की सीमा के सीमांकन और अन्य पूर्व-परियोजना गतिविधियों के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्ति की गयी है। मेकॉन द्वारा पट्टे की सीमा का सीमांकन जल्द ही पूरा होने की संभावना है, जो डीएमजी को आगे प्रस्तुत करने के लिए एएमडी को प्रस्तुत किया जाएगा। इस बीच, एएमडी द्वारा गोगी से सटे कंचनकाई में एक नए निक्षेप का अन्वेषण पूरा किया गया है। मेकॉन, इस परियोजना के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त, ने पट्टे की सीमा का सीमांकन पूरा कर लिया है और एएमडी को प्रस्तुत किया है। खनन और भूविज्ञान निदेशालय, कर्नाटक को एएमडी द्वारा भूवैज्ञानिक रिपोर्ट सौंपने की संभावना है। एक सामान्य अयस्क प्रसंस्करण सुविधा के साथ, मेकॉन गोगी और कंचनकाई दोनों परियोजनाओं के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (TEFR) तैयार कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा (नियम -6 (2), एएमसीआर, 2016, के तहत खनन और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), कर्नाटक द्वारा यूसीआईएल को पत्र जारी करने के बाद एमओईएफ और सीसी को टीओआर के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। इन स्थलों में सीएसआर गतिविधियां जारी हैं।

ङ) रोहिल अन्वेशी खनन परियोजना (रु.34.22 लाख) :

राजस्थान के सीकर जिले में रोहिल यूरेनियम निक्षेप का अन्वेषण परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसन्धान निदेशालय (एएमडी) द्वारा किया जा रहा है। एएमडी की ओर से अन्वेशी खनन गतिविधियां, यूसीआईएल और एएमडी के बीच समझौते के अनुसार, एएमडी की ओर से, यूसीआईएल द्वारा शुरू किया गया है। भूमिगत कामकाज तक पहुँचने के लिए एक डिक्लाइन का पोर्टल 135 मीटर तक विकसित किया गया है। बाद में एक चरण में किए जाने वाले वाणिज्यिक खनन अभियान के दौरान आवश्यक औद्योगिक और पीने के पानी की भविष्य की आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए सीकर के नगर परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना से संबंधित गतिविधियों को करने के लिए, मेसर्स मेकॉन को सलाहकार के रूप में व्यस्त किया गया है। मेकॉन ने अयस्क निकाय का 3 डी मॉडल तैयार किया है और उसने यूसीआईएल द्वारा समीक्षा के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) का मसौदा प्रस्तुत किया है। एएमडी ने पहले ही भूवैज्ञानिक रिपोर्ट को डीएमजी, राजस्थान को सौंप दिया है। राज्य सरकार द्वारा (नियम -6 (2), एएमसीआर, 2016, के तहत खनन और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), राजस्थान द्वारा यूसीआईएल को पत्र जारी करने के बाद एमओईएफ और सीसी को टीओआर के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

च) यूरेनियम प्राप्ति संयंत्र (मुसाबनी) (रु.131.49 लाख) :

यूसीआईएल ने मुसाबनी में 0.9 MTPA की कुल क्षमता वाले दो यूरेनियम रिकवरी प्लांट के निर्माण का प्रस्ताव दिया

है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) के मुसाबनी कॉन्सेंट्रेटर प्लांट में उत्पन्न होने वाले कॉपर टेलिंग्स के भौतिक लाभ (टैबलिंग) द्वारा यूरेनियम सांद्रता करने के लिए, इसके बाद यूसीआईएल के जादुगोड़ा के यूरेनियम अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र में हीट ट्रीटेड यूरेनियम पेरोक्साइड (HTUP) के उत्पादन के लिए की जाएगी। परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) एमओईएफ द्वारा प्रदान की गई है। परियोजना को परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजना मूल्यांकन समिति (PAC) द्वारा अंतिम अनुमोदन के लिए अनुशंसित किया गया है। पानी, बिजली की आपूर्ति और भूमि के अधिग्रहण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन दिए गए हैं और प्रक्रिया में हैं।

छ) जज्वाल परियोजना (रु.20.54 लाख) :

एएमडी ने छत्तीसगढ़ राज्य में अंबिकापुर के पास प्रस्ताव जाजवल परियोजना के लिए खोजपूर्ण ड्रिलिंग पूरी कर ली है। MECON को टेक्नो-इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट (TEFR) की तैयारी के लिए सलाहकार के रूप में लगाया गया है। मेकॉन द्वारा प्रस्तावित पट्टा क्षेत्र की सीमा के सीमांकन के बाद, एएमडी ने वाणिज्यिक खनन के लिए पट्टे पर देने के लिए भूवैज्ञानिक रिपोर्ट खनन और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), छत्तीसगढ़ को सरकारी एजेंसी के नामांकन के लिए सौंप दी है। राज्य सरकार द्वारा (नियम-6 (2), एएमसीआर, 2016, के तहत खनन और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), छत्तीसगढ़ द्वारा यूसीआईएल को पत्र जारी करने के बाद एमओईएफ और सीसी को टीओआर के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। मेकॉन द्वारा TEFR की तैयारी चल रही है।

चालू परियोजना :

क) तुरामडीह मिल विस्तारीकरण (रु.4624.27 लाख) :

MoEFCC द्वारा परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी की सिफारिश की गई है लेकिन अंतिम मंजूरी पत्र अतिरिक्त खनन पट्टा क्षेत्र के लिए लंबित स्टेज-I वन मंजूरी जारी नहीं किया गया है। एईआरबी मंजूरी एमओईएफ मंजूरी के बाद प्राप्त किया जाएगा।

ख) तुरामडीह मैग्नेटाइट रिकवरी प्लांट (रु. 2327.32 लाख) :

तुरामडीह और बंदुहुरांग खान के यूरेनियम अयस्क में मैग्नेटाइट खनिज की मात्रा काफी कम होती है। तुरमडीह मैग्नेटाइट रिकवरी प्लांट को उप-उत्पाद के रूप में, कोयला वॉशरियों में इसके उपयोग के लिए चुंबकीय सामग्री और सूक्ष्मता के संदर्भ में बहुत उच्च गुणवत्ता के मैग्नेटाइट के रूप में उत्पादन करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्लांट का निर्माण पूरा हो चुका है और इसे चालू किया जाना बाकी है।

ग) तुरामडीह पेरॉक्साइड संयंत्र परियोजना (रु. 1268.49 लाख) :

'मैग्नीशियम डी-यूरेनेट (एमडीयू)' के स्थान पर 'हीट ट्रीटेड यूरेनियम पेरोक्साइड (HTUP)' के उत्पादन की सुविधा पूरी हो गई है और इस परियोजना को चालू किया जाना बाकी है। HTUP ग्रेड में बेहतर है, कम अशुद्धियाँ, और आसानी से नाइट्रिक एसिड में घुलनशील होने के कारण, डाउनस्ट्रीम प्रक्रिया की दक्षता में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है।

घ) जादुगोडा में चतुर्थ चरण टेलिंग पॉन्ड परियोजना (रु. 6538.20 लाख) :

जादुगोडा मिल की मिल टेलिंग के लिए 143 उत्स की ऊंचाई तक इम्पाउंडमेंट का 4 वीं स्टेज टेलिंग पॉन्ड का निर्माण पूरा हो गया है। साइट पर आनुषंगिक कार्य जारी हैं।

ङ) तुरामडीह में द्वितीय चरण टेलिंग डैम परियाजना (शून्य) :

तुरमडीह मिल की मिल टेलिंग के लिए 198 उत्स से 208 mRL तक इम्पाउंडमेंट का दूसरे स्टेज टेलिंग पॉन्ड का निर्माण उन्नत चरण में है और जल्द ही पूरा होने वाला है।

च) **सिंहभूम और तुम्मलापल्ले में डिबॉटलनेकिंग परियोजना (रु. 1742.07 लाख) :**

यूसीआईएल ने सिंहभूम और तुम्मलापल्ले में 07 परियोजनाओं की शुरुआत की हैं, जो 'सिंहभूम और तुम्मलापल्ले में सचालन के डि-बॉटलनेकिंग" के तहत समूहीकृत हैं, जो स्थायी तरीके से वर्तमान प्रदर्शन स्तर को बनाए रखने में मदद करेंगे। प्रशासनिक अनुमोदन जुलाई 2016 में प्राप्त हो चुका है। सात (07) परियोजनाओं में से तीन परियोजनाएँ अल्पकालीन के लिए बंद हो चुकी हैं और एक परियोजना पूरी हो चुकी है। शेष परियोजनाओं की टेंडरिंग और साइट की गतिविधियाँ अर्थात खरकई नदी पर नदी तट और मेड़ के संरक्षणय जादुगोड़ा मिल में मिश्रित लीचर्ड स्लरी को संभालने के लिए प्रणाली संशोधनय तुम्मलापल्ले में पर्यावरणीय निर्वहन की उन्नत गतिविधियों को नियंत्रित करना जारी है।

छ) **भाटिन खान आधुनिकीकरण परियोजना (शून्य) :**

400 टीपीडी अयस्क के उत्पादन के लिए भाटिन माइन्स का आधुनिकीकरण सीमित ज्ञात रिजर्व अयस्क पर आधारित था। इस बीच, पट्टाहोल्ड क्षेत्र में खोजपूर्ण ड्रिलिंग ने उत्साहजनक परिणाम दिखाए हैं। चूंकि खोजपूर्ण ड्रिलिंग के अंत में एक उच्च क्षमता की खान विकसित करने की गुंजाइश है और आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है। हाल ही में, मेसर्स मेकॉन खदान के गहरे क्षितिज के विकास और मौजूदा सेट अप का उपयोग करके 200 टीपीडी अयस्क के उत्पादन के लिए निविदा जारी किये हैं।

35.5 लेनदारों, देनदारों की शेष राशि और ठेकेदारों तथा आपूर्तिकर्ताओं का अग्रिम, समाधान, पुष्टीकरण और संबंधित परिणामी समायोजन के अधीन है, यदि कोई हो तो।

35.6 आतंरिक और बाहरी कारकों के मूल्यांकन के आधार पर, परिसंपत्तियों के मिलान के लिए किसी भी तुलनात्मक प्रावधान का विचार आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य परिसंपत्तियों की वहन लागत से अधिक है।

35.7 कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 (ईपीएफ एक्ट) के अंतर्गत नहीं आती है, परंतु कंपनी 1967 से एक न्यास के माध्यम से भविष्य निधि का प्रबंधन करती है, जिसके अपने स्वयं के नियम हैं और इसे क्षेत्रीय प्रोविडेंट फंड आयुक्त (आरपीएफसी), पटना एवं आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया है। तथापि, आरपीएफसी, जमशेदपुर ने अपनी सूचना दिनांक 01.01.1997 द्वारा दावा किया है कि कंपनी ईपीएफ अधिनियम 1952 के अंतर्गत आती है और कंपनी को 1967 से बकाया पीएफ तथा 1997 से परिवार पेंशन अंशदान जमा करने के लिए कहा है। कंपनी ने दावे पर आपत्ति जताई है और इस पर अपील दायर की है जो वर्तमान में इम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड अपीलेट ट्रिव्यूनल (ईपीएटी), नई दिल्ली के पास लंबित है। चूकि कंपनी ईपीएफ एक्ट 1952 के तहत प्रदत्त अंशदान के बराबर ट्रस्ट के लिए पीएफ का भुगतान करती है, अतः कोई अतिरिक्त वित्तीय दायित्व ईपीटी के समक्ष अपील लंबित होने का कारण नहीं बनता है।

35.8 तुलन-पत्र तिथि पर कार्य दायित्व अभियंता प्रमाण पत्र के अनुसार दी गई है। अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अभियंता प्रमाण पत्र के अनुसार बिलों के लंबित अंतिम निपटान का उपयोग करने के लिए लगाई गई संपत्ति के मामले में पूजीकरण अंतिम आधार पर किया जाता है।

35.9 वित्तीय वर्ष 2012-2013 में मेसर्स एनपीसीआईएल से 100 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया था। अब तक हुए समझौते के अनुसार ऋण पर ब्याज को बही-खातों में प्रावधान के रूप में रखा गया है। ऋण लेने की तिथि से मेसर्स एनपीसीआईएल को कोई ब्याज नहीं दिया गया है।

35.10 कंपनी ने भाटिन माइन्स आधुनिकीकरण परियोजना को 01.08.2018 से प्रभावी रूप से बंद कर दिया है और 31.07.2018 के बाद हुए राजस्व व्यय को 3.40 करोड़ रुपये तक लाभ और हानि खाते में लगाया गया है।

35.11 कंपनी ने डी-बॉटलनेकिंग परियोजना की दो उप परियोजनाएं बंद कर दी हैं और रु.1.09 करोड़ की परियोजनाओं को बंद करने पर लाभ और हानि खाते का शुल्क लिया गया है। उपरोक्त का प्रभाव पूर्व की अवधि और लाभ और हानि खाते से लिया गया है और बैलेंस शीट को इसके अनुसार फिर से लगाया गया है।

35.12 वैश्विक रूप से और भारत में COVID-19 के प्रकोप के कारण, कंपनी के प्रबंधन ने व्यवसाय और वित्तीय जोखिमों पर कोई सामग्री प्रभाव नहीं होने का प्रारंभिक आकलन किया है। प्रबंधन को कंपनी की क्षमता में किसी भी माध्यम से दीर्घकालिक जोखिमों के बारे में चिंता करने और अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए जारी रखने की क्षमता के रूप में नहीं दिखता है। महामारी की प्रकृति के कारण, कंपनी चालू वर्ष के उन लोगों के साथ तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं की पहचान करने के लिए विकास की निगरानी करना जारी रखेगी।

35.13 पिछले वर्ष के आकड़ों को पुनर्समूहीकृत/ पुनर्व्यवस्थित कर दिया गया है जहां भी उन्हें वर्तमान वर्ष के साथ तलना करने की आवश्यक हुई है।

टिप्पणी '1' से '35' तक हस्ताक्षर

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

बी सी गुप्ता	**एस आर प्रणेश**	**देबाशीष घोष**	**सी के असनानी**
कपनी सचिव	निदेशक(तकनीकी)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
एईआरपीजी9596सी	डीआईएन : 08477517	डीआईएन : 07252959	डीआईएन : 03497356

हमारी संलग्न समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार हस्ताक्षरित

कृते मेसर्स कदमावाला एड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

FRN: 323212E

CA राकेश कुमार जैन

भागीदार

सदस्यता संख्या : 063654

यूडीआईएन : 20063654AAAAAW7699

स्थान : जादूगोड़ा

दिनांक : 17.08.2020

नकदी प्रवाह विवरणी

रु. लाख में

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019
को समाप्त वर्ष			
संचालनीय गतिविधियों से प्राप्त रोकड़		59,683.38	39,268.75
कर से पहले लाभ / (हानि)		-	-
के लिए समायोजन :		25,725.51	21,137.51
- मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	26	(1,727.34)	(1,043.22)
- बैंकों के पास जमा पर ब्याज	22	(78.97)	(99.42)
- ऋण और अग्रिमों पर ब्याज	22	1,059.79	869.58
- वित्तीय खर्च	25	84,662.37	60,133.20
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ			
कार्यशील पूंजी समायोजन :			
- (वृद्धि) / व्यापार प्राप्य में कमी	9	(53,584.23)	(38,622.96)
- (वृद्धि) / ऋण और अग्रिमों में कमी	6	(113.81)	295.87
- (बढ़ाएँ) / आविष्कारों में कमी	8	(761.81)	11,371.20
- (बढ़ाएँ) / अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों में कमी	14	(1,356.51)	167.45
- (वृद्धि) / अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी	13	(5,978.89)	(320.58)
- व्यापार के भुगतान में वृद्धि / (कमी)	17(b)	2,305.64	(1,214.06)
- प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	18	33.73	(2,044.44)
- अन्य वित्तीय देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	17(c)	20,653.19	7,359.38
- अन्य वर्तमान देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	20	1,551.17	309.77
संचालन से नकदी उत्पन्न हुई		47,410.85	37,434.83
		(9,811.68)	(2,326.39)
		37,599.17	35,108.44
आयकर चुकाया	3	(20,774.03)	(6,063.20)
ऑपरेटिंग गतिविधियों / (में) से (उपयोग में) शुद्ध नकदी प्रवाह	4	(7,601.34)	(6,513.28)
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह	7	(94.97)	-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	22	78.97	99.42
(वृद्धि) / कैपिटल WIP में कमी	22	1,727.34	1,043.22
पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम	11	5,150.48	(5,087.33)
ऋण और अग्रिम पर ब्याज (वित्त आय)		(6,310.37)	(16,521.16)
बैंकों के पास जमा राशि पर प्राप्त ब्याज			
नकद / नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष में वृद्धि / कमी (कमी)			
नेट केश फ्लो / (इस्तेमाल में) निवेश गतिविधियों (बी) से			
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह	b	1,500.00	1,500.00
इक्विटी शेयर पूंजी के मुद्दे से कार्यवाही (लंबित आवंटन सहित)	17(a)	-	-
उधार से आगे बढ़ता है	17(a)	(10,000.00)	-
उधार का भुगतान	16	(6,426.00)	(3,202.00)
	16	(1,320.87)	(651.96)
सूद अदा किया	25	(1,000.27)	(814.46)
लाभांश वितरण कर			
ब्याज भुगतान			
वित्तीय गतिविधियों (/ में) से (उपयोग में) शुद्ध नकदी प्रवाह		(17,247.14)	(3,168.42)
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि (A + B + C)	10	14,041.66	15,418.86
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	10	18,163.12	2,744.25
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष		32,204.78	18,163.11

साथ दिए गए नोट्स इन वित्तीय वक्तव्यों का एक अभिन्न हिस्सा हैं। संलग्न तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

कृते मेसर्स कदमावाला एड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 323212E

CA राकेश कुमार जैन	बी सी गुप्ता	एस आर प्रणेश	देबाशीष घोष	सी के असनानी
भागीदार	कपनी सचिव	निदेशक (तकनीकी)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्या : 063654	एईआरपीजी9596सी	डीआईएन : 08477517	डीआईएन : 07252959	डीआईएन 03497356
यूडीआईएन : 20063654AAAAAW7699				

स्थान : जादूगोड़ा
दिनांक : 17.08.2020

पच्चीस वर्ष का सार–संग्रह

वर्ष	आय	सामग्रियाँ	वेतन/मजदूरी तथा अन्य सुविधाएँ	मूल्यह्रास	उत्पादन एवं अन्य व्यय	कर पूर्व लाभ/हानि
1995-96	7149.8	1064.5	2569.6	1286.7	2187.7	31.1
1996-97	8601	1037	3141.5	1404.8	3693.6	(-) 676.0
1997-98	11140.5	1107	3429.6	1067.3	5019.9	516.7
1998-99	13417.5	1252.7	4255.9	1236.4	6495	177.5
1999-00	14533	1461.9	4522.2	1685.2	5361.4	1307.9
2000-01	14797	1612.7	4768.8	1842.9	6167.4	405.2
2001-02	16597.1	1746.8	5524.9	2054.1	6399.3	872
2002-03	19357.1	1740.5	5274.5	2069.9	7500	2772.4
2003-04	21396.9	2248.4	5596.8	2236.3	9389.7	1925.7
2004-05	25497	2590.01	5945.24	2443.43	9896.72	4621.6
2005-06	28156	3121	7309	2468	10332	4926
2006-07	29781	4138	8817	2592	9856	4378
2007-08	30436	4786	9929	2518	11061	2142
2008-09	41462	6143	12728	2755	13832	6004
2009-10	54306	7494	14539	6661	17827	7785
2010-11	76025	10072	19815	8245	21836	16057
2011-12	70728	10469	18572	7184	25526	8626
2012-13	85512	12882	21988	7795	28447	14417
2013-14	81430	13106	24806	7793	33979	1633
2014-15	89024	14138	27869	8186	37693	1133
2015-16	102463	12694	29566	8581	35816	15806
2016-17	127270	8874	30167	13663	53582	20984
2017-18	179195	17335	40739	21963	86747	12410
2018-19	203479	17984	47126	21085	77501	39783
2019-20	241959	18174	54070	25723	84309	59683

कर पश्चात लाभ / हानि	पूँजी	आरक्षित तथा अतिरिक्त	सकल निरुद्ध पूँजी	कुल मूल्यह्रास	शुद्ध निरुद्ध पूँजी	31 मार्च को कर्मचारियों की संख्या
78.6	5422.3	3787.1	18558.6	5813.8	12744.8	4171
(-) 854	36922.3	1326.6	19008.1	7203.8	11804.2	4249
251.4	37075.3	1523	25203.8	8644.3	16559.5	4312
367.1	41982.3	1808	34057.7	10039.8	24018	4385
1151.1	41982.3	2666.4	36438.7	11894.8	24543.9	4408
303.7	41982.3	2902.3	38041.5	13915.3	24126.3	4420
588.2	38339.3	4971.5	38510.6	16076.3	22434.3	4218
480.84	41839.3	4398.8	43443.2	18062.2	25381	4147
978.7	49839.3	4981.8	48591.2	20109.6	28481.6	4064
2925.1	63389.3	7222.8	52746.6	22813.5	29933.1	4034
3161	69094	9472	57074	25509	31566	4103
2751	71265	11403	61942	28192	33750	4276
1463	84165	12433	67254	31012	36242	4439
1801	107765	13684	117101	33914	83187	4643
4626	134793	16957	123150	40842	82308	4539
10153	143962	24146	126383	49131	77251	4696
6484	143962	28742	135090	56446	78644	4624
9078	143962	35697	145358	64418	80940	4613
1069	146962	36516	148617	71878	76739	4642
818	153962	36116	153054	81715	71339	4685
10212	156462	42641	159762	90401	69362	4757
12618	161562	55173	253703	22446	231257	4834
10673	181562	84559	255073	44477	210596	4781
21420	206962	76432	259256	65559	193693	4629
48205	206962	113865	281910	91339	190571	4672

यूसिल द्वारा सीएसआर पहल – शिक्षा

बच्चों का ऑगनबाड़ी केन्द्र

ऑगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों के लिए डेस्क

संविधान दिवस के अवसर पर प्रस्तावना का पाठ करते सीएमडी के साथ निदेशक (वित्त) एवं निदेशक (तकनिकी)

यूसिल द्वारा सीएसआर पहल – कोविड–19 में

निस्संक्रामक का गाँव में छिड़काव

यूसिल द्वारा खाद्य सामानों की आपूर्ति

यूसिल द्वारा सीएसआर पहल – सौर्य ऊर्जा गाँव में

सौर्य ऊर्जा का स्थापना गाँव में

सौर्य ऊर्जा की सुविधा

यूसिल द्वारा सीएसआर पहल – स्वस्थ सुविधा

मोबाईल मेडिकल कैंप तुम्मलापली गाँव

जिला अस्पताल के लिए एम्बुलेंस

यूसिल द्वारा सीएसआर पहल – कौशल विकास

हल्के वाहन ड्राईविंग - कौशल विकास उद्घाटन

यूसिल द्वारा सीएसआर पहल – डिजिटल

डिजिटल कक्षा

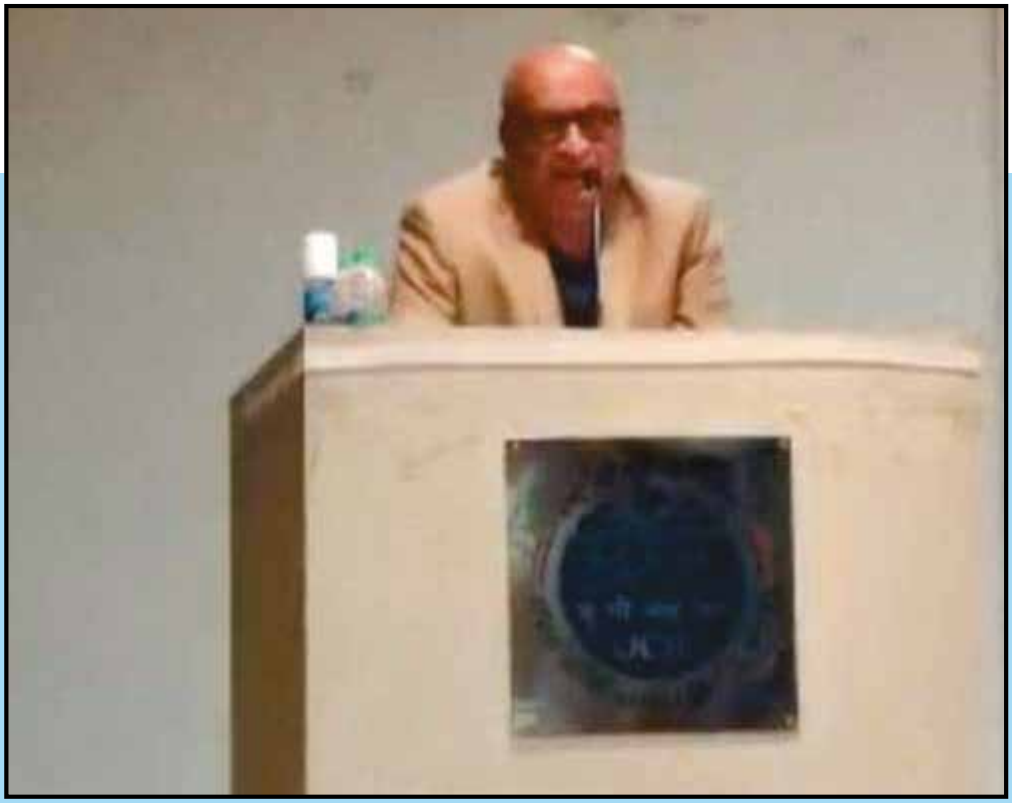

यूसिल के प्रदर्शन का अवलोकन एवं सीएमडी यूसिल द्वारा अधिकारीयों को संम्बोधन

Shri C K Asnani, C&MD UCIL handing over the Dividend amount of Rs. 16042 Lakhs for the F.Y. 2019-20 to Dr. K.N. Vyas, Chairman, Atomic Energy Commission & Secretary, DAE.

ISO 9001:2008, 14001:2004 एवं IS 18001:2007 कम्पनी

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & IS 18001:2007 Company